णतंत्र दिवस
विशेषांक

ISSN-0971-8397

विकास को समर्पित मासिक

योजना

जनवरी : 2005

मूल्य : 15 रुपये

राष्ट्रीय निर्माण में योजना आयोग की भूमिका

बड़े निवेश की आवश्यकता

○ अमर्त्य सेन

"भारत को यह ध्यान रखना होगा कि उच्चतर विकास–दर का लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।"

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को बुनियादी शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में सरकार की दीर्घकालिक अकर्मण्यता और लाइसेंस राज जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक सक्रियता से आघात पहुंचा है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस राज की समस्या पर 1990 के दशक में डाक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण के दौरान ध्यान दिया गया, किन्तु, बुनियादी शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान नहीं दिया गया।

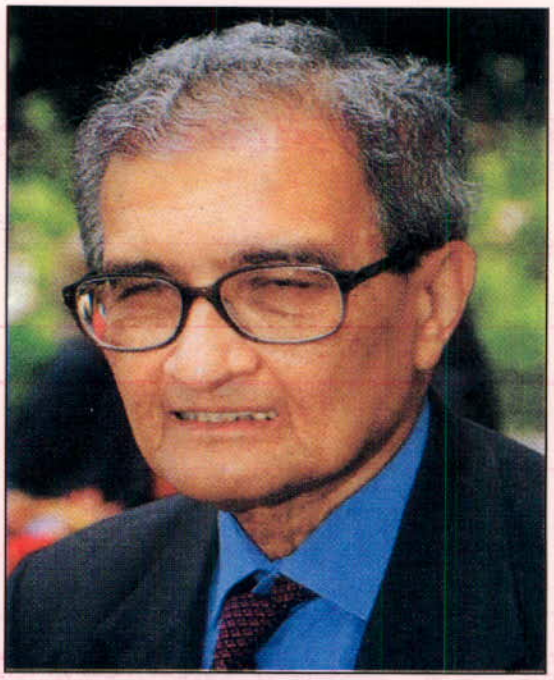

नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन

प्रोफेसर सेन ने, मौजूदा सरकार द्वारा सामाजिक ढांचा विकास पर बल दिए जाने की सराहना की। नई दिल्ली में "भारत : बृहत् या लघु" (इंडियाः बिग और स्माल) विषय पर अपने व्याख्यान में आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों की चर्चा की।

उन्होंने कहा : "इस बात के पर्याप्त प्रमाण सामने आए हैं कि वर्तमान सरकार इस असंतुलन को दूर करने के प्रति अधिक वचनबद्ध है। सामाजिक क्षेत्र में निवेश के अभाव पर अब अधिक ध्यान दिया गया है।" अपने अनुसंधान कार्य में प्रोफेसर सेन ने आर्थिक सुधारों के अंग के रूप में सामाजिक क्षेत्र के विकास के महत्व पर बल दिया है।

रोजगार गारंटी विधेयक की, जिसका लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवार को वर्ष में 100 दिन के लिए पक्के तौर पर दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराना है, सराहना करते हुए उन्होंने आगाह किया कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस कार्यक्रम पर लगाए जा रहे संसाधन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों से स्थानांतरित न किए जाएं।

उन्होंने कहा "अगर रोजगार गारंटी के जरिए आर्थिक क्षमता में प्रभावकारी वृद्धि करनी है, तो किए गए कार्य के स्वरूप का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।"

प्रोफेसर सेन ने कहा कि चीन ने जिस तरह से उच्च विकास–दर हासिल की है और हर संभव बाजार में प्रवेश किया है, उससे भारत बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन भारत को उन गलतियों से बचना होगा जो चीन ने की हैं। उन्होंने कहा कि चीन की बड़ी भूलों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का निजीकरण और बढ़ती असमानता को रोकने के उपाय न करना शामिल है। चीन में आर्थिक सुधार के परवर्ती युग में आर्थिक विकास का श्रेय औद्योगिक विस्तार को जाता है, लेकिन उसके साथ ही देश में असमानता बढ़ी है। उनके शब्दों में, "भारत को यह ध्यान रखना होगा कि उच्चतर विकास–दर का लक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।"

उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया स्थानिक या क्षेत्र विशेष में भुखमरी जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मुद्दों पर सार्वजनिक बहस नहीं होती। उनके अनुसार सूचना का अधिकार विधेयक जनमत तैयार करने और ऐसे मुद्दों को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जो सामान्यतः पर्दे के पीछे धकेल दिए जाते हैं। ❑

(नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा "इंडियाः बिग और स्माल" विषय पर नई दिल्ली में 17 दिसंबर, 2004 को दिए गए व्याख्यान पर आधारित। प्रोफेसर अमर्त्य सेन लैमाउन्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज में अर्थशास्त्र विभाग में अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर हैं।)

योजना

वर्ष : 48 अंक 10 जनवरी, 2005 पौष–माघ, शक संवत् 1926

इस अंक में

• इतिहास के आईने में	–	5
• विकास की नीतियां	मोंटेक सिंह अहलूवालिया	9
• आर्थिक योजना	भालचंद्र मुणगेकर	14
• योजना आयोग : क्या जीवंत विचार मंच की भूमिका निभाएगा	ऋत्विक सिन्हा	17
• योजना आयोग के बीते दिन	मुजीब उर रहमान	21
• उद्यमशीलता के जरिए महिलाओं को शक्तिशाली बनाना	अरुंधती चट्टोपाध्याय	27
• दसवीं योजना – मध्यावधि समीक्षा कृषि पर जोर	–	34
• योजना भवन और 'योजना' की यादें	एच.वाई. शारदा प्रसाद	35
• कृषि नीति : बदलता प्रतिमान	समर के. दत्ता और आर.एल. शियानी	37
• मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में योजना आयोग	शुभमय भट्टाचार्जी	45
• खबरों में	–	49
• मध्यावधि आर्थिक समीक्षा : विकास के आयाम	सपना एन. सिंह	55
• स्त्री–पुरुष असमानता और आयोजना	देविका पॉल	61
• सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण	रमण पी. सिंह	65
• भारत का ग्रामीण विकास	राजीव थिओडोर	68
• पारिवारिक झगड़े और कारपोरेट प्रशासन	पुष्पेश पंत	70
• भारत–पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार नई ऊंचाइयों पर	मनोज्ञान आर. पाल	72
• महान भारतीय योजना	मधु आर. शेखर	73
• जहां चाह वहां राह – साधारण व्यक्ति का असाधारण कार्य	राजेन्द्र राय	76
• अंतरिक्ष पर्यटन की खुलती डगर	संजय वर्मा	78

प्रधान संपादक – अनुराग मिश्रा

संपादक – राजेन्द्र राय

सहायक संपादक – योगेन्द्र दत्त शर्मा

उप संपादक – रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 538 ए, योजना भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली–110 001
दूरभाष : 23096738, 23717910
23096666 / 2508, 2566
ई–मेल : yojana@techpilgrim.com
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन.सी. मजूमदार

व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन)
दूरभाष : 24367260, 2436509, 24365610

आवरण – मुकुल चक्रवर्ती

रेखाचित्र – दुर्गादत्त पांडेय

योजना हिन्दी के अतिरिक्त असमिया, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलगू तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नई सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर / डिमांड ड्राफ्ट / पोस्टल आर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें :–
व्यापार प्रबंधक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066 टेलीफोन : 26100207, 26105590

चंदे की दरें : वार्षिक : 70 रु.; द्विवार्षिक : 135 रु.; त्रैवार्षिक : 190 रु.; विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश : 500 रु.; यूरोपीय एवं अन्य देश : 700 रु.

'योजना' में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से सम्बद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

संपादकीय

दुनिया आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अनेक बदलावों के दौर से गुजर रही है। आज आर्थिक नियोजन से जो दिशा–निर्देशक सिद्धांत उभरकर सामने आ रहा है, वह है विकास; ऐसा विकास जो बाजार शक्तियों द्वारा निर्देशित हो और जिसमें उदार नीतियों और सुधार का भी समन्वय हो। भारत में समाज का एक बड़ा वर्ग है जिनकी जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं और वे नियोजन प्रक्रिया से अछूते रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए नियोजन की भूमिका और प्रासंगिकता को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आज जिस मुद्दे को लेकर बहस हो रही है वह है : बदलते परिदृश्य में नियोजन की क्या भूमिका होगी? जिस तरह से वैश्वीकरण और आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं उनका मतलब यह नहीं है कि सरकार और योजना आयोग के प्रयासों में किसी तरह की कमी आई है। सच तो यह है कि इन परिवर्तनों से दोनों की भूमिकाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं, लेकिन लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नई प्राथमिकताओं का निर्धारण आवश्यक हो गया है; ऐसी प्राथमिकताएं जिनमें विकास के नए मॉडलों पर जोर दिया गया हो और जिनमें न्याय के साथ विकास का ध्यान रखा गया हो। साथ ही समुचित वितरण प्रणाली और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन भी बहुत जरूरी है।

भारत में सामाजिक, मानवीय और आर्थिक विकास में नियोजन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। विश्व के अनेक देशों के अनुभवों से पता चलता है कि बाजार कार्यकुशलता बढ़ाने का एक औजार भी बन सकता है। बाजार की भूमिका की पहचान की जानी चाहिए। लेकिन भारत का विकास और उन्नति पूरी तरह बाजार प्रणाली के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। गांवों के किसानों सहित हमारी आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी केवल बाजार शक्तियों को नहीं सौंपी जा सकती है। हमारे समाज के एक बड़े हिस्से की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं केवल बाजार से पूरी नहीं की जा सकतीं। विकास के माध्यम के रूप में बाजार प्रणाली की अपनी सीमाएं हैं। इसी सीमा की इन बाधाओं को दूर करने और विकास से अछूते क्षेत्रों तक पहुंचने में सरकार और योजना आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए नियोजन को कई क्षेत्रों, जैसे गरीबों की देखभाल सहित सामाजिक और मानवीय विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। पिछड़े, पर्वतीय और दूर–दराज के इलाकों के विकास के उत्तरदायित्व को पूरी तरह बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इनके विकास के लिए तो योजनाबद्ध प्रयासों की आवश्यकता होगी। नियोजन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र परिवहन और संचार जैसे आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने से संबंधित है। नियोजन और बाजार व्यवस्था को एक–दूसरे का पूरक माना जाना चाहिए।

लेकिन यह भी एक तथ्य है कि अब तक हमने जो कुछ किया है, खास तौर पर मानव विकास के मानदंडों के संदर्भ में जो कुछ हुआ है वह पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ठीक से पूरा करने का कार्य अभी बकाया है। इसी तरह गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय असमानताएं दूर करने, किसानों की आवश्यकताएं पूरी करने, साक्षरता के तेजी से प्रसार और परिवार कल्याण जैसे कुछ क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की जरूरत है।

केन्द्र और राज्य सरकारें योजनाओं को लागू करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन योजनाओं के क्रियान्वयन में सफलता तो तभी मिलेगी जब अधिक से अधिक लोगों को इसमें भागीदार बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है विकेन्द्रित अवसंरचना को सुदृढ़ करना। यह एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर नया जोर देने की आवश्यकता है। ❑

आपकी राय

(संदर्भित अंक–अक्टूबर, 2004)

एक सुझाव

अक्टूबर अंक महत्वपूर्ण और काफी सराहनीय है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, हो सके तो अवश्य अपनी 'योजना' पत्रिका में शामिल करने की कृपा करें। हमारे देश में जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं वे काफी दूर–दराज पहाड़ियों, घाटियों एवं जंगलों में काम कर रही हैं। सरकार की बहुत–सी परियोजनाएं जो अखबारों के माध्यम से निकलती हैं वे उनको समय पर मालूम नहीं होतीं या होती हैं तो समय बीत जाने के उपरांत, जिससे उनको इस तरह के सरकारी कार्यक्रमों को गरीब जनता तक पहुंचाने में अक्षम होना पड़ता है।

अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी परियोजनाएं जो अखबारों में निकलती हैं, उनको 'योजना' पत्रिका में भी शामिल करें।

रविशंकर, पटना

सर्वश्रेष्ठ पत्र

भारतीय डाक पर ज्ञानवर्द्धक लेख

अक्टूबर अंक में पत्रिका के कवर पर 'भारतीय डाक–विभाग के 150 वर्ष' छपा देखकर अपने को इसे खरीदने से रोक न सका। न चाहते हुए भी इस लेख को पढ़ते–पढ़ते अतीत के दिनों में विचरण करने का जी हो उठता है, जब घर का दरवाजा खोलते ही पहली नजर सीधे जमीन पर पड़ती थी कि कहीं डाकिया पत्र तो नहीं डाल गया। कालेज के समय में सदैव डाकिया द्वारा लाए गए मनीआर्डर का इंतजार रहता था। कभी–कभी तो डाकिया बाबू से उधार लेकर भी ट्यूशन की फीस चुकाई है।

ऐसे में डाक–विभाग के 150 वर्ष पूरे होने की खबर ऐसी ही थी, मानो अपने बीच का ही कोई बंधु–बांधव अचानक इतना बड़ा हो गया हो। यह भारतीय समाज में डाक–विभाग के प्रति व्याप्त विश्वसनीयता का ही नतीजा है कि जब–जब समाज के अंतिम छोर तक पहुंच की बात आई, लोगों को डाकघरों का ही रुख करना पड़ा। चाहे वह मलेरिया से बचाव हेतु कुनैन की गोलियों का वितरण हो, चाहे आपातकाल के दौर में परिवार–नियोजन संबंधी साधनों का वितरण हो, चाहे सैन्य जरूरतों की पूर्ति हेतु सेना डाक सेवा का आविर्भाव हो, चाहे दूरसंचार विभाग द्वारा डाकियों के माध्यम से गांवों में मोबाइल की पहुंच हो, चाहे विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों का प्रसार हो एवं चाहे हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण हेतु डाकघरों की मदद लेने का सवाल हो।

निश्चिततः ऐसे विभाग द्वारा, जिसने अपनी विश्वसनीयता व प्रतिबद्धता के 150 स्वर्णिम वर्ष पूरे किए हों, राष्ट्र हेतु बेहद गौरव का विषय है। इस विषय पर सारगर्भित एवं ज्ञानवर्द्धक लेख हेतु कृष्ण कुमार यादव जी बधाई के पात्र हैं, जो डाक–विभाग द्वारा प्रवर्तित तमाम नई सेवाओं व तकनीकों को, जिनसे अधिकतर जनता अनजान ही थी, उत्कृष्ट रूप में सामने लाए।

आशा है कि डाकियों को खाकी से नीली वर्दी पहनाने के साथ–साथ डाक–विभाग आगामी दिनों में कुछ नए रूप में नई सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा के इस माहौल में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखेगा एवं इसी प्रकार 'अहर्निशं सेवामहे' की भावना के साथ जन–जन की सेवा में तत्पर रहेगा।

डा. ब्रजेश कुमार राय,
इलाहाबाद (उ.प्र.)

सर्वांगीण विकास आवश्यक

एकांगी विकास, विकास नहीं कहा जा सकता। जीवन को समग्ररूपेण गहराई से जीना ही वास्तविक जीवन है। जीवन का बाह्य पक्ष प्रखर हो तथा आंतरिक पक्ष निर्मल व सात्विक हो तो ही समग्र जीवन जीने की सार्थकता हो सकती है। आज भारत में इसी सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। अपने लिए तो सभी जीते हैं पर क्या 'स्व' को 'सर्व' बनाना ही मनुष्यता नहीं? यही है मनुजता। दूसरों के लिए जिएं, खुशियां, ज्ञान तथा आनंद बांटें। दीन–दुखी भी तो हमारे बंधु हैं, उनके प्रति भी हमारा क्या कुछ कर्त्तव्य शेष नहीं है? जरूर है। यह अंदर–बाहर दोनों ओर से प्रेरित विचार कर्म का सम्मिलन ही सर्वांगीण विकास का द्योतक हो सकता है। स्वर्ण (धन) – मृग की मारीचिका से परे होकर विकास के सबसे निचले पायदान पर खड़े अपने बंधु को संबल देना ही तो मनुजता है। गांधीजी की सोच कुछ ऐसी ही थी। आइए, इसे सार्थक कर हम उन्हें श्रद्धांजलि दें।

लेखकों व पत्र लिखने वालों का पूरा पता दें, ताकि लोग आपस में पत्र द्वारा जुड़ सकें। ऐसा हो, तो बहुत अच्छा होगा।

उमेश चंद्र राय,
इलाहाबाद (उ.प्र.)

'सूरत' के साथ 'सीरत' भी

भारतीय डाक–विभाग के 150 वर्ष पर शानदान लेख प्रकाशित करने हेतु बधाई। जानकर ताज्जुब हुआ कि जिस डाक–विभाग

पाठकों को नववर्ष की शुभकामनाएं!

को समाज में मात्र पत्रों के आदान–प्रदान से जोड़ा जाता है, वह अन्य क्षेत्रों में भी उसी तल्लीनता से विद्यमान है। ऐसी शानदार प्रस्तुति हेतु कृष्ण कुमार यादव बधाई के पात्र हैं। निश्चिततः, अब हर किसी को नीली वर्दी पहने डाकिये का अपने दरवाजे पर इंतजार रहेगा।

आर्थिक नीति और संतुलित आर्थिक विकास पर लेख काफी ज्ञानवर्द्धक लगा। 'ज्ञान–सागर' स्तंभ निश्चिततः संग्रहणीय है। 'योजना' पत्रिका की 'सूरत' बदलने के साथ–साथ 'सीरत' भी बदलती नजर आ रही है... साधुवाद।

अगर पत्रिका में विज्ञापनों के बढ़ते पृष्ठों के साथ–साथ लेख हेतु भी पृष्ठ बढ़ाए जाएं, तो अत्युत्तम होगा।

नंदलाल प्रजापति,
वाराणसी (उ.प्र.)

आत्मनिर्भरता बढ़े

अक्टूबर अंक ने विशेष प्रभावित किया। गांधीजी के 'रामराज्य' की याद तरोताजा हो गई। यह 'रामराज्य' सरकार नहीं, जनता ही ला सकती है। अतः एक पुनर्जागरण भारत में भी जरूरी है कि हम सदियों की उस नींद से जागें जिसमें भेड़ की भांति हमें एक अनजानी दिशा में शक्ति और शासन का 'डंडा' ठेलता रहा।

हमारे समाज को स्वयमेव अपने ही पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है। वस्तुतः हमें बड़े–बड़े उद्योगों और उच्च प्रौद्योगिकी की अभी उतनी जरूरत नहीं है जितनी स्वावलंबन की। गांधीजी ने एक आदर्श ग्राम की कल्पना की थी जो पूर्णतया आत्मनिर्भर हो एवं उसे किसी भी वस्तु के लिए शहर की ओर न ताकना पड़े। हमारी शिक्षा पद्धति इस तरह की है कि वह बेरोजगार तो पैदा कर सकती है परंतु रोजगार नहीं। बेरोजगारी दूर करने के लिए स्वरोजगार से अच्छा विकल्प दूसरा नहीं हो सकता। यह स्वरोजगार कैसे पैदा हो, यह सोचने का काम बेरोजगार ही कर सकते हैं, सरकार तो सिर्फ सहायता प्रदान कर सकती है। पूरी बात का निचोड़ यही निकलता है कि आत्मनिर्भरता बढ़े। गांव के लोगों को शहर में, राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में तथा देशवासियों को विदेश में 'किसी भी हेतु' न भटकना पड़े, तभी रामराज्य आ सकता है।

घनश्याम कुमार 'देवांश'
नई दिल्ली

एक जरूरी पत्रिका

अक्टूबर अंक देखने का सुखद अवसर मिला। विकास को समर्पित इस प्रेरक मासिक को पढ़कर बहुत खुशी हुई। निःसंदेह आपने इसे हर लिहाज से महत्वपूर्ण बना दिया है।

'वर्तमान संदर्भ में गांधीजी', 'आर्थिक विकास में गांधीवादी मॉडल की प्रासंगिकता' और 'बापू : मेरी मां' तीनों लेख उद्देश्यपूर्ण और प्रेरणादायी हैं। 'भारतीय डाक–विभाग के 150 वर्ष' एक जानकारी परक आलेख है। अन्य लेख भी पठनीय और संग्रहणीय हैं। कालेज के छात्रों, अध्यापकों और शोधार्थियों के लिए 'योजना' एक जरूरी पत्रिका बन चुकी है। 'योजना' को नए अंदाज और नए कलेवर में देखकर बहुत ही अच्छा लगा है। इस हेतु मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि 'योजना' भारत के कोने–कोने में जाकर देश के जागरण और विकास में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करे।

अहद प्रकाश,
भोपाल (म.प्र.)

संवेदनाओं का आदान–प्रदान

अक्टूबर अंक पढ़कर अच्छा लगा। खासतौर पर 'वर्तमान संदर्भ में गांधीजी' तथा 'भारतीय डाक–विभाग के 150 वर्ष' जैसे उत्कृष्ट लेख के लिए कोटिशः धन्यवाद।

अंक पढ़कर लगा कि विकरालता को पहुंच चुकी समस्याओं के समाधान के लिए गांधीजी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने कि कल थे – खासतौर से भारतीय संदर्भ में। बस आवश्यकता है तो विचारों के सही नियोजन की।

पचास पैसे के पोस्टकार्ड से भारत के ओर–छोर को नापने तथा दिलों को मिलाने की क्षमता रखने वाले इस 'सेवा संस्थान' (डाक विभाग) से किसी भी संचार माध्यम की तुलना करना बेईमानी है। मंत्री महोदय का यह वाक्य – 'हां, चिट्ठियां जरूर लिखिए' इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य संचार माध्यम जहां केवल सूचनाओं का आदान–प्रदान करते हैं, वहीं चिट्ठियां इसके साथ–साथ संवेदनाओं का भी आदान–प्रदान करती हैं।

एक अनुरोध यह कि पाठकों के हाथ में 'योजना' की पहुंच को माह के प्रथम सप्ताह में सुनिश्चित करें।

विजय कुमार श्रीवास्तव
इलाहाबाद (उ.प्र.)

व्यक्ति नहीं, विचार

अक्टूबर अंक पढ़ा। हरदयाल जी का लेख 'वर्तमान संदर्भ में गांधीजी' में गांधीजी की मानवतावादी छवि निखरकर सामने आई है। महात्मा गांधी पर अन्य लेख भी, लेखक की आत्मा के प्रकाश से उद्भूत हुआ है। महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति पर इतनी अधिक दिशाओं में प्रभाव डाला है कि उनके समस्त अवदान का सम्यक मूल्य निर्धारित करना अभी किसी के लिए संभव नहीं दिखता। गांधी एक व्यक्ति ही नहीं, एक विचार भी थे। गांधीजी का आशय एक ऐसे विश्व से था जिसमें रंग, भाषा, प्रजाति, संकीर्णता, गरीब–अमीर, शोषक और शोषित, उत्पीड़न, शक्ति उच्चाभिमान से रहित हो। इनका जीवन–दर्शन सत्य और अहिंसा से अनुप्राणित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बुनियादी तौर पर राष्ट्रीय मुक्ति के नेता थे। उनके समस्त चिंतन में देश की आजादी का ताना–बाना था। आज यदि हम स्वाधीन भारत में सांस ले रहे हैं तो इस स्वाधीनता प्राप्ति में महात्मा गांधी के सत्य–अहिंसा के प्रयासों के अप्रतिम अवदान और उनकी राष्ट्रीय चेतना की सामाजिक विचारधारा का सबसे अधिक योगदान रहा है। सारी दुनिया में अचेतन रूप से गांधीजी को जो सम्मान हासिल था और उनकी जो पहचान स्थापित हुई थी वह यह बताती है कि हमारे इस नैतिक पतन के युग में गांधीजी राजनीति के क्षेत्र में अकेले ऐसे राजनेता थे जो मानवीय संबंधों के ऊंचे विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे जिसकी आकांक्षा हम सबको मिलकर पूरी करनी चाहिए।

सतीश उपाध्याय,
महेन्द्रगढ़ (कोरिया) (म.प्र.)

'योजना' का प्रवेशांक

महान योजनाकार पं. जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र के निर्माण के लिए जो सपना देखा था, उसे वह योजना आयोग के माध्यम से साकार करना चाहते थे। योजना आयोग जहां नई–नई योजनाएं बना रहा था, वहीं देश की भावी योजनाओं की जानकारी जन–जन तक पहुंचाने के लिए 'योजना' नाम की पत्रिका निकालने पर भी विचार किया गया। यह विचार 1957 में फलीभूत हुआ और प्रख्यात लेखक खुशवंत सिंह के संपादकत्व में 'योजना' (अंग्रेजी) का पहला अंक 26 जनवरी 1957 को प्रकाशित हुआ।

यहां पर प्रस्तुत है उस ऐतिहासिक प्रथम अंक का संपादकीय – खुशवंत सिंह की कलम से। साथ ही प्रस्तुत हैं पत्रिका के बारे में प्रथम प्रधानमंत्री (जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भी थे), तथा आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष के विचार :

'योजना' के बारे में

जब दुनिया के लोग भारत के बारे में सोचते हैं तो उनके मन से जो छवि प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती है वह महात्मा गांधी और उस शांतिपूर्ण आंदोलन की होती है जिसके माध्यम से देश ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई और दुनिया ने पहले कभी न तो देखा था और न सुना था। महात्मा गांधी और उनके नेतृत्व में छिड़ा आंदोलन दोनों ही अनोखे थे और पूरी तरह भारतीयता से ओत–प्रोत थे। हम अब एक और क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं और यह क्रांति सामाजिक तथा आर्थिक क्रांति है। यह क्रांति भी अनोखी है। इस क्रांति का नेतृत्व कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि देश की समूची जनता इसमें शामिल है। इससे पहले कभी भी करोड़ों लोग इतने बड़े फेर–बदल के अभियान में शामिल नहीं हुए। यह ऐसा अभियान है जिसके माध्यम से सदियों के नुकसान की भरपाई करने का लक्ष्य रखा गया है। हमें उम्मीद है कि इससे हमारे देश को अर्थ सामंती व्यवस्था वाले समाज से समाजवादी देश में बदलने में मदद मिलेगी। इस तरह हमें उस बीच के चरण से होकर नहीं गुजरना होगा जिससे होकर अन्य देशों को गुजरना पड़ा। यह सब बिना किसी हिंसा या खूनखराबे के होगा। अगर यह प्रयास अनोखे योगदान के रूप में दर्ज होगा।

अगर हमें अपनी इस शांतिपूर्ण क्रांति को सफल बनाना है तो इसकी एक महत्वपूर्ण शर्त है : जनता को इसमें पूरा योगदान देना होगा। हमारी योजनाएं क्रांति की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं। इन्हें योजना और देश के विभिन्न भागों में इसके नियोजन के क्षेत्र में सहकार संभव नहीं है। यही वजह है कि पहली पंचवर्षीय योजना में योजना के बारे में क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में योजना की जानकारी के प्रचार–प्रसार तथा जनता की साझा आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने की आवश्यकता महसूस की गई। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरी योजना में व्यवस्था की गई। 'योजना' इसी आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।

लेखक, पत्रकार खुशवंत सिंह

दूसरी पंचवर्षीय योजना में 'योजना' को सौंपे गए कार्य को इन शब्दों में व्यक्त किया है : "दूसरी पंचवर्षीय योजना के संदेश को राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न

क्षेत्रों में संप्रेषित करना तथा देश भर के गांवों सहकारिताओं और पंचायतों, स्वैच्छिक संगठनों और संघों, जन–सेवकों व गैर–सरकारी कार्यकर्त्ताओं को योजना उद्देश्य और मूल्यों की जानकारी देना।"

यह बड़ी भारी जिम्मेदारी है। हम दो भाषाओं – हिन्दी और अंग्रेजी में पाक्षिक पत्रिका के रूप में छोटी–सी शुरुआत कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही 'योजना' का साप्ताहिक प्रकाशन होने लगेगा। यही नहीं देश की सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में इसके प्रकाशन से यह पत्रिका देश के करोड़ों लोगों में से कम–से–कम उन लोगों के घरों में तो योजना का संदेश संप्रेषित कर ही सकेगी जिनके घर साक्षरता का दीप प्रज्वलित है।

देश के युवाओं और महिलाओं पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। खास तौर पर महिलाओं पर क्योंकि लंबे अरसे से उनकी उपेक्षा होती आई है और समाज में उन्हें वह भूमिका नहीं मिली है जो नवजागरित भारत में उन्हें मिलनी चाहिए थी। इसी तरह युवाओं पर हम विशेष रूप से इसलिए ध्यान देंगे क्योंकि उन्हीं पर हमारी सारी आशाएं तथा आकांक्षाएं केंद्रित हैं।

हालांकि क्रांतियां कभी पीछे को नहीं लौटतीं लेकिन अक्सर वे पथभ्रष्ट हो जाती हैं। आज शिशु के पालने को हिलाने वाले हाथों में देश की भावी पीढ़ी के निर्माण की जिम्मेदारी है। उन्हें ही यह देखना है कि हमने जिस स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और समाजवादी भारत के निर्माण की शपथ ली है, भावी पीढ़ी उससे विचलित न होने पाए। तभी हम अपनी क्रांति को महान फ्रांसीसी उपन्यासकार विक्टर ह्यूंगो के शब्दों में ईश्वर का अग्रगामी चरण कह सकेंगे।

योजनाओं की ही तरह 'योजना' पत्रिका का भी आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे तमाम क्षेत्रों को अपने में समेटने का प्रयास करेंगी। यह पखवाड़े विभिन्न राज्यों के समाचारों के साथ–साथ काम काज के हर क्षेत्र में हुई प्रगति का लेखा–जोखा प्रस्तुत करेगी।

हां, एक बात और! हालांकि योजना आयोग 'योजना' पत्रिका का संरक्षक है और यह एक सरकारी संगठन है, लेकिन इस नाते पत्रिका में केवल सरकार का दृष्टिकोण नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। यह प्रयास करेगी कि जहां प्रशंसा की आवश्यकता है वहां प्रशंसा हो और जहां आलोचना जरूरी है वहां रचनात्मक समालोचना भी हो। ❑

इतिहास के आईने में

योजना का उद्देश्य

○ वी.टी. कृष्णमाचारी
प्रथम उपाध्यक्ष, योजना आयोग

इस लेख में पंचवर्षीय योजनाओं के मूल उद्देश्य और राष्ट्र के जीवन में उनके स्थान की संक्षेप में व्याख्या करना चाहता हूं।

समाज का नया स्वरूप

आम तौर पर हम अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को अनेक परियोजनाओं या कार्यक्रमों से बना मानते हैं जिनमें बहु–उद्देशीय और विशाल नदी परियोजनाएं, बिजली परियोजनाएं, इस्पात संयंत्र और रेल प्रणाली के विस्तार की परियोजनाएं आदि शामिल हैं। ये निश्चय ही बड़ी महत्वपूर्ण हैं और आशा है 'योजना' के प्रत्येक अंक में एक खंड इन परियोजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा और देश की अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव से संबंधित होगा। लेकिन हमारी योजनाओं का महत्व तो इससे भी कहीं ज्यादा है। हमारे प्रधानमंत्री के शब्दों में ये "बहुत अधिक विस्तृत हैं" – ये "राष्ट्र निर्माण की भव्य कर्मस्थली हैं जहां राष्ट्र अपना पुनर्निर्माण कर रहा है। हम सब नए भारत के निर्माण के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं – किसी अमूर्त राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि जीते जागते 36 करोड़ लोगों के लिए।" स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के लोग अपने लिए नए जीवन की शुरुआत करने में लगे हैं। वे समाज के नए रूप का सृजन कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का यह मूल उद्देश्य होना चाहिए कि वे इन प्रयासों को नया रूप और नई अर्थक्ता प्रदान करें ताकि सामाजिक परिवर्तनों को वास्तविकता में बदला जा सके। हमारे संविधान ने देश के समक्ष राष्ट्र के नए स्वरूप की ऐसी मोटी रूप–रेखा प्रस्तुत की है जिसके लिए हमें कार्य करना है। संविधान निर्माताओं को इस बात का अहसास था कि भारत को अपनी बुद्धि और सांस्कृतिक तथा अन्य परंपराओं के अनुसार अपने खुद के तय किए रास्ते पर आगे बढ़ना है। मैं समाज के इस स्वरूप की मूल विशेषताएं बताना चाहूंगा।

हम क्या चाहते हैं?

सबसे पहली बात यह है कि हमारा संविधान लोकतांत्रिक संविधान है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने हाल में कहा था "जीवन के लोकतांत्रिक तौर–तरीकों पर हमारी दृढ़ आस्था है।" "सबसे बड़ी बात यह है

प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू का संदेश

भारत में कई पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि 'योजना' पत्रिका प्रकाशित करने का प्रस्ताव स्वागत–योग्य है। इसके नाम से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका उद्देश्य क्या होगा?

हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना बना रखी है और प्रकाशित की है। इसके बारे में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं लेकिन मुझे लगता है कि इसका जैसा प्रचार–प्रसार होना चाहिए था नहीं हुआ है।

यह योजना चोटी के कुछ लोगों के लिए नहीं है। यह पक्के तौर पर जनता की योजना है जिसे भारत भर में सभी देश वासियों के हार्दिक समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि योजना का संदेश आम आदमी तक, खास तौर पर गांवों में रहने वालों तक पहुंचे।

मेरा विचार है कि 'योजना' को व्यापक प्रसार संख्या वाली पत्रिका बनाया जाएगा। इसे हमारी सभी सामुदायिक विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय प्रसार खंडों, सहकारिताओं और पंचायतों, स्वैच्छिक संगठनों और राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकर्त्ताओं तक भेजा जाएगा। यह क्षेत्र अब तक लगभग अछूता रहा है इसलिए 'योजना' जो कार्य करेगी वह हरावल दस्ते के काम की तरह बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मुझे उम्मीद है कि यह पत्रिका सरल भाषा में होगी ताकि गांव वाले भी इसे समझ सकें। मुझे यह भी उम्मीद है कि भारतीय भाषाओं में इसका मुद्रण इस तरह से किया जाएगा जिससे वे लोग भी इसे पढ़ सकें जिन्हें पढ़ने का अधिक अभ्यास नहीं है। मैं इस पत्रिका का स्वागत करता हूं और जो भारी जिम्मेदारी निभाने का बीड़ा इसने उठाया है उसमें पूरी कामयाबी की कामना करता हूं। ❑

कि हम सब स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा और मानव आत्मा की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता पर भरोसा रखते हैं।"

दूसरे, हमारा उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में तेजी से उच्च स्तरीय सुधार का लक्ष्य हासिल करने के साथ–साथ रोजगार के अधिक अवसरों तथा उत्पादन में बढ़ोत्तरी के माध्यम से लोगों के जीवन में अधिक पूर्णता और समृद्धि लाना है। संतुलित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है इसके लिए जो उपाय किए जाएंगे उनमें विविधताओं से युक्त प्रसार करने वाली कृषि प्रणाली का विकास, कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा तथा बड़े पैमाने पर उपभोक्ता, वस्तुओं और भारी उद्योगों का विकास जैसे कार्य शामिल हैं अर्थव्यवस्था के इन सभी क्षेत्रों में अधिक समन्वय जरूरी है और ये एक दूसरे के पूरक भी होने चाहिए।

तीसरे, हम एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे राष्ट्रीय जीवन की तमाम संस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को अपने में समाहित करें। हम जिस तरह के समाज की स्थापना करने जा रहे हैं उसमें अधिकतम सामाजिक न्याय की व्यवस्था करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

कुल मिलाकर हम एक ऐसी लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था चाहते हैं जिसमें पूर्ण रोजगार, अधिक उत्पादन और अधिकतम संभव सामाजिक न्याय से जनता के जीवन स्तर में तेजी से व्यापक सुधार हो।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा

यहीं एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है – क्या पहली पंचवर्षीय योजना से सामाजिक बदलाव की यह प्रक्रिया प्रारंभ हो सकी है। इस सवाल का जबाव देने में मैं राष्ट्रीय प्रसार अभियान का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें सामुदायिक परियोजनाएं शामिल हैं, पहली पंचवर्षीय योजना में इस आंदोलन का फैलाव देश के चौथाई भाग में हो चुका था और 1960–61 तक यह पूरे देश में फैल जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य ग्रामीण जीवन के तमाम पहलुओं में सुधार लाना है। देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी गांवों में रहती है, इसलिए इस कार्य को जो प्राथमिकता दी जा रही है उसका औचित्य सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इससे पहले भी कहीं जिक्र कर चुका हूं कि गांवों में रहने वाले लाखों परिवारों के दृष्टिकोण में बदलाव और उनमें नए ज्ञान तथा जीवन के नए–नए तौर–तरीकों के बारे में उत्साह उत्पन्न करने की आवश्यकता है। उनमें आशा और बेहतर जीवन जीने की ललक जगाना जरूरी है।" इसके साथ ही राज्यों के भूमि सुधार कानूनों में बदलाव आ रहा है जिससे ग्राम्य समाज का स्वरूप भी बदल रहा है। बिचौलियों को खत्म करके और लगान पर भूमिहीनों को लगान जमीन के स्थायी स्वामित्व देकर एक नए ग्रामीण कृषक समाज का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा आंदोलन के सभी स्तरों से जुड़े सरकारी और गैर–सरकारी लोग बेहतरीन कार्यकर्ता हैं। इस आंदोलन की कार्यसूची इस प्रकार है :

हर परिवार की अपनी–अपनी सुधार योजना होनी चाहिए जिसके तहत कृषि, कुटीर और लघु उद्योगों में सुधार होना चाहिए। इस कार्यक्रम पर अमल के लिए आवश्यक सहायता दी जानी चाहिए।

सहकारिता आंदोलन का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि हर परिवार को कम से कम एक सहकारी समिति का सदस्य बनाया जा सके। हर परिवार को समाज के स्थायी लाभ के कार्यों के लिए श्रम और या धन के रूप में अपना योगदान करना चाहिए। इससे गांवों में काम नहीं आ रही ऊर्जा का सामुदायिक लाभ के लिए उपयोग किया जा सकेगा। सभी गांवों में सुसंगठित महिला और युवा आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए।

इस तरह यह आंदोलन मूलतः जनता का आंदोलन है और उसी से इसे शक्ति प्राप्त होती है। लागू होने के बाद के तीन वर्षों में इसने ग्रामीण स्तर पर व्यापक जन जागृति पैदा की है जो एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है।

सबसे अपील

मैं राष्ट्रीय प्रसार सेवा आंदोलन के बारे में आगे भी लिखता रहूंगा लेकिन यहां मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है क्योंकि इसमें हमें बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों की जरुरत पड़ेगी। हमें ऐसे हजारों नौजवान महिलाएं और पुरुष चाहिए जो सेवा–भावना से ओत–प्रोत हों।

हमारे देश में जिस तरह की लोकतांत्रिक योजनाएं हैं उनकी सफलता देश की हर महिला और पुरुष के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है। 'योजना' का उद्देश्य इस तरह के सहयोग की अपील करना है। हम चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में अधिक–से–अधिक समझ बढ़े ताकि हम सब गरीबी और अज्ञानता के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष कर सकें। एक जागृत राष्ट्र जो उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। ❑

इतिहास के आईने में

विकास की नीतियां

○ मोंटेक सिंह अहलूवालिया

हमारी घरेलू नीतियों की कार्यसूची में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आम तौर पर जिसे विश्व अर्थव्यवस्था का विश्व व्यापीकरण कहा जाता है उसके अंतर्गत छह अलग–अलग आर्थिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये हैं: (1) वस्तुओं और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार; (2) टेक्नोलाजी का अधिक मुक्त प्रवाह; (3) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि; (4) अन्य पूंजी प्रवाह का अधिक मुक्त संचरण; (5) राष्ट्रीय सीमाओं के आर–पार लोगों की मुक्त रूप से आवाजाही; (6) दुनिया की वैश्वीकृत व्यवस्था के लिए उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय शासन संस्थाओं का विकास।

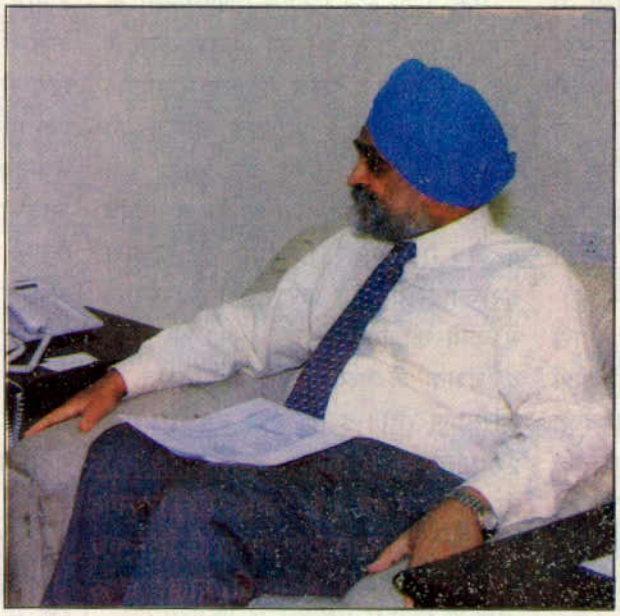

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया

पिछले दस वर्षों में वैश्वीकरण और इसके प्रभावों के बारे में लोगों की धारणाओं में बदलाव होता रहा है और यह बदलाव चक्रीय क्रम से हुआ है। 1990 के दशक के शुरू के पांच वर्षों में इसमें तेजी देखी गई। अगर राजनीतिक दृष्टि से विचार करें तो पूर्व यूरोप और सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन और इन देशों द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली तथा बाजारोन्मुख नीतियां उत्साहपूर्वक अपनाने से विजयोन्माद जैसा माहौल बना है। ये घटनाएं अमेरिका में आर्थिक तेजी के लंबे दौर के साथ–साथ हुई हैं जिसके पीछे नई टेक्नोलॉजी, खास तौर पर सूचना टेक्नोलॉजी के उपयोग से उत्पादकता में असाधारण बढ़ोत्तरी का बड़ा हाथ रहा है। ऐसी उम्मीद लगाई गई थी कि वैश्वीकरण से विकासशील देशों की पहुंच औद्योगिक देशों के निर्यात बाजार तक हो जाएगी जिससे उन्हें फायदा होगा। इसके साथ यह भी उम्मीद की गई थी कि अच्छे प्रबंधन वाली सभी अर्थव्यवस्थाओं को निर्बाध रूप से पूंजी की आपूर्ति भी होती रहेगी।

लेकिन अति उत्साह से पैदा हुआ भारत का माहौल अधिक समय तक नहीं चला। 1997 के अंत में पूर्वी एशिया का आर्थिक संकट एक जबर्दस्त झटका साबित हुआ। इसके तुरंत बाद 1998 में रूसी मुद्रा लड़खड़ाई और फिर उसके बाद 1999 में ब्राजील और तुर्की तथा इसके बाद अर्जेन्टीना की मुद्राएं गड़बड़ा गईं।

इन संकटों ने नवोदित बाजार अर्थव्यवस्थाओं की संवेदनशीलता और वैश्वीकरण के खतरों पर ध्यान केन्द्रित कर दिया। इन संवेदनशीलताओं के बारे में चेतावनी देने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की विफलता और उसके बाद तेजी से स्थिरता बहाल न कर पाने के कारण संस्थागत सहायता की गुणवत्ता में भरोसा घटा है जिससे दुनिया के आर्थिक एकीकरण में बाधा आई है।

औद्योगिक देशों की घटनाओं से भी पहले जो आशा का माहौल बन गया था वह दूर हो गया है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तेजी का लंबा दौर 2000 में समाप्त हो गया। ऐसा टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों के लुढ़कने और आर्थिक गतिविधियों में गिरावट से हुआ। ज्यों–ज्यों नौकरियों में कमी आई, औद्योगिक देशों में वैश्वीकरण के खिलाफ आवाज उठने लगीं। 1990 के दशक के अंत में विजयोन्माद तिरोहित हो गया और उसकी जगह आतंकवाद के बारे में चिंताओं ने ले ली। इससे राजनीतिक माहौल भी बदल गया।

नीति–निर्माण

वैश्वीकरण ने बाहरी माहौल एकदम

भूमंडलीकरण के प्रयासों ने एक बार फिर देश की आर्थिक समस्याओं और उसके समाधान के संदर्भ में नाटकीय मोड़ ला दिया है। प्रत्येक स्तर पर प्रतियोगिता एक आवश्यकता बन गई है और पसंद–नापसंद जैसी कोई बात शेष नहीं रही। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर वर्तमान दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है। इसलिए अपनी आर्थिक योजनाओं की प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट निर्णय करना आवश्यक है तभी हम संवैधानिक बाध्यताओं और सामाजिक न्याय के लक्ष्य के अनुरूप ऊंची आर्थिक विकास दर तक पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। कृषि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। इसके द्वारा लगभग दो–तिहाई श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं और बागवानी, पानी में उपजने वाली वस्तुओं की पैदावार, फूलों की खेती, मछलीपालन और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां बढ़ाना इसके लिए जरूरी है। हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना होगा क्योंकि इससे कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ेगी और तभी किसानों की आमदनी बढ़ पाएगी। ऋण और विपणन जैसी सभी प्रकार की संभव सेवाओं के विस्तार के माध्यम से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। क्योंकि राष्ट्रीय आय, रोजगार और निर्यात के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की जरूरत है और कई प्रकार की विकास–विरोधी प्रक्रियाओं को या तो सरल बनाना होगा या फिर उसे हटाना होगा। शिक्षा के भूमंडलीकरण के दौर में सामान्य और औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक और व्यावहारिक शिक्षा को शामिल करके उसे रोजगारोन्मुखी बनाकर संपूर्ण शिक्षा प्रणाली नए सिरे से कायम करना जरूरी है। हमें सर्वशिक्षा अभियान और दोपहर–भोजन योजना जैसी परियोजनाओं के यथोचित क्रियान्वयन के लिए सभी संभव प्रयास करने चाहिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए विशेष योजनाओं के प्रावधानों को लागू करना जरूरी है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जनोन्मुखी शासन का स्पष्ट उल्लेख करने के साथ ही संविधान में वर्णित लोककल्याणकारी राज्य के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई है।

विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और ग्रामीण स्तर पर लागू करने के लिए सरकार के विभिन्न अवयवों, लोगों और पूरे नागरिक समाज, विशेषकर, ईमानदारी और पारदर्शी स्वैच्छिक संगठनों की संपूर्ण प्रतिबद्धता जरूरी है। इसके बाद ही हमारी आर्थिक योजना की प्रक्रिया सफल होगी और तभी यह सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास का एक सार्थक औजार साबित होगी। ❑

(सदस्य, योजना आयोग, नई दिल्ली)

सामान्य अध्ययन : एक प्रामाणिक पुस्तक

संघ/राज्य लोक सेवा आयोग प्रारम्भिक परीक्षा एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अद्यतन पाठ्य सामग्री का अनमोल संग्रह

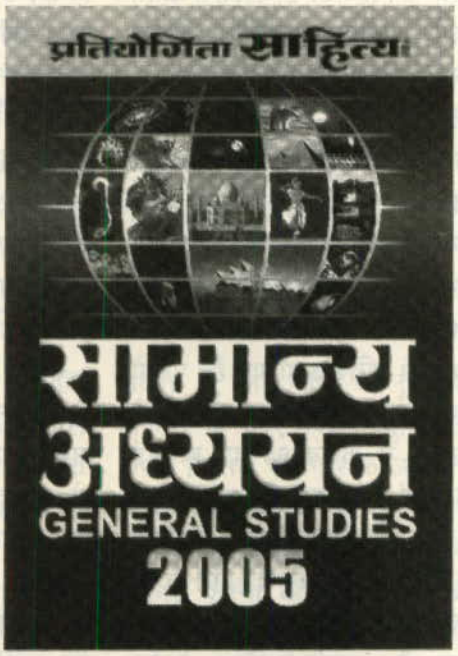

Rs. 730/-

Free Booklet

- विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी
- गत परीक्षा के सॉल्वड पेपर्स • 5 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स हल सहित

• प्राक्कथन लेखक: श्री एस.पी. आर्य (I.A.S.) पूर्व प्रमुख सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार • प्रधान सम्पादक : डॉ. बी.एल. फड़िया

• 8th संशोधित संस्करण • 2428 पृष्ठ • 10363 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

प्रमुख आर्कषण • सामान्य विज्ञान • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी • पर्यावरण व प्रदूषण • कृषि एवं पशुपालन • इतिहास : विश्व एवं भारत • राष्ट्रीय आन्दोलन • भारतीय राजव्यवस्था • विश्व एवं भारत का भूगोल • भारतीय अर्थव्यवस्था • सामान्य मानसिक योग्यता • खेलकूद • प्रमुख सम्मान तथा पुरस्कार • सामान्य ज्ञान • भारत की सामयिक व्यवस्था • राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम् घटनाएं • कौन, क्या, कहां? से सम्बन्धित प्रामाणिक एवं अद्यतन जानकारी एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल सहित • विगत वर्षों के परीक्षा प्रश्न-पत्र व्याख्यात्मक हल सहित • नवीन परीक्षा प्रणाली के अनुरूप मानचित्र आधारित प्रश्न, कथन एवं कारण सम्बन्धी प्रश्नों का समावेश • नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित आदर्श प्रश्न-पत्र व्याख्यात्मक हल सहित

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2851665 Fax 2851568
Email: info@sbpagra.com or visit www.sbpagra.com

योजना आयोग : क्या जीवंत विचार मंच की भूमिका निभाएगा

○ ऋत्विक सिन्हा

योजना आयोग ने केंद्रीकृत योजना के मकसद को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। विभिन्न एजेंसियों को जाने वाले संसाधन के आवंटन के अलावा आम खर्चे और निवेश की दिशा तय करने के दौरान भी इसने धुरी के संस्थान की भूमिका अदा की है।

यदि आम धारणा की बात करें तो योजना आयोग को किसी भी तरह से राजनीतिक विवाद को जन्म देने वाली संस्था नहीं माना जाता, लेकिन सच बात तो यह है कि जब पिछले साल संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह के कहने पर डाक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने इसके उपाध्यक्ष का कार्यभार संभाला तो यह धारणा टूटती प्रतीत हुई। योजना आयोग में विचार–विमर्श के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाए जाने का डाक्टर अहलूवालिया का प्रस्ताव वाम दलों को फूटी आंख नहीं सुहाया। आखिरकार इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। साफ है कि यहां वैचारिक मतभेद की बात तो है, पर क्या इस घटना के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और क्या भविष्य में आयोग सक्षम और सार्थक भूमिका निभा पाएगा? और वह भी एक बेहतर और प्रभावी विचार मंच की भूमिका, जो डा. मनमोहन सिंह और डा. मोंटेक सिंह, दोनों का ही लक्ष्य है। यही इस मुद्दे के मूल में है जिस पर जानकार नजरें टिकाए हुए हैं।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि योजना आयोग के बारे में आम नजरिया उदारवादियों के "सरकार इसकी उपेक्षा करती है" से लेकर अतिवादियों की इस सोच तक कि "मुक्त अर्थव्यवस्था में इसकी कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए, इससे निजात पा लेनी चाहिए" तक है। डा. अहलूवालिया के सामने इस अतिवादी सोच को बदलते हुए योजना आयोग को अपने कुशल संचालन से एक अहम विचार मंच की भूमिका में लाने की चुनौती है जो परिस्थिति को बदल सके। हालांकि यह कई बातों पर निर्भर करेगा लेकिन नई टीम ने जो शुरुआती संकेत दिए हैं (कम से कम नए विचार और दिशा के संबंध में), उससे कुछ कर दिखाने का जज्बा साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस मसले से जुड़े खास और आम पहलुओं पर चर्चा से पहले एक नजर डालते हैं इस ऐतिहासिक संस्थान की यात्रा पर, जो वर्ष 1950 में शुरू हुई।

मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के तहत स्थापित होने वाले योजना आयोग को निम्नलिखित जिम्मेदारियां सौंपी थीं :

- तकनीकी काम–काज करने वालों समेत सामग्री, पूंजी और मानव संसाधन का मूल्यांकन कर उन संभावनाओं की तलाश करना जिनके तहत उन संसाधनों में सुधार हो जो देश की जरूरतों से कहीं कम है।
- देश में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर और संतुलित इस्तेमाल के लिए योजना तैयार करना।
- प्राथमिकताओं का पता चलने के बाद उन चरणों को तय करना, जिनमें योजना को लागू किया जाना है। साथ ही हर चरण के पूरा होने के लिए जरूरी संसाधनों का आवंटन करना।
- उन कारकों को चिह्नित करना जो आर्थिक विकास को धीमा करते हैं, और उन परिस्थितियों का पता लगाना जो चालू, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में योजना को सफलतापूर्वक लागू कराने के उपयुक्त हैं।
- उस मशीनरी के प्रकार को तय करना जो हर चरण के सफलतापूर्वक लागू किए जाने के लिए सभी प्रकार से जरूरी हो।
- समय–समय पर विभिन्न चरणों में हुई प्रगति से सरकार को अवगत कराना और साथ–साथ उपायों में जरूरी बदलावों की अनुशंसा करना।

- ऐसी अंतरिम या आनुषांगिक अनुशंसा करना जो इसे सौंपी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए जरूरी हो या तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों, चालू नीतियों, उपायों और विकास के कार्यक्रमों या खास समस्याओं के परीक्षण का कार्य करना जो इसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दी गई हों।

जानकारों की इस बारे में आम राय है कि योजना आयोग ने केंद्रीकृत योजना के मकसद को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। विभिन्न एजेंसियों को जाने वाले संसाधन के आवंटन के अलावा आम खर्चे और निवेश की दिशा तय करने के दौरान भी इसने धुरी के संस्थान की भूमिका अदा की है। फाउंडेशन आफ पब्लिक इकानामिक्स एंड पालिसी रिसर्च के निदेशक डाक्टर महेश पुरोहित कहते हैं, "योजना आयोग ने अर्थव्यवस्था के दिशा निर्धारण में निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासतौर से क्षेत्रीय आर्थिक नीति को दिशा प्रदान करने में" और यह रुख 1990 के दशक तक जारी रहा। योजना आयोग की विश्वसनीयता की समस्या 1990 के दशक में सामने आई जब भारत ने मुक्त व्यवस्था को अपनाया और बाजार की शक्तियां केंद्रीकृत योजना व्यवस्था के विकल्प के तौर पर उभरीं। अब "सार्वजनिक उपक्रम संचालित अर्थव्यवस्था" की जगह "सार्वजनिक–निजी साझेदारी" ने लेना शुरू कर दिया और समय बीतने के साथ–साथ नई अर्थव्यवस्था में योजना आयोग की भूमिका पर खतरा मंडराने लगा। आलोचकों ने ऐसी एजेंसी के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जो सांकेतिक योजना बनाता हो। राष्ट्रीय राजनीति के उस बदले स्वरूप ने भी योजना आयोग की अहमियत को काफी कम कर दिया जिसके तहत क्षेत्रीय शक्तियां मजबूती से उभरी हैं। क्षेत्रीय राजनैतिक हस्तियों ने अपने हितों को तरजीह दिलाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) को ही प्राथमिकता दी। इस वजह से धीरे–धीरे एनडीसी की भूमिका सशक्त होती गई, चाहे वह नीति निर्धारण में हो या फिर वित्तीय संसाधनों के बंटवारे की बात हो।

मुक्त व्यवस्था की शुरुआती के बाद से योजना आयोग ने तीन योजना मसौदे और कई शोध–पत्र तैयार किए हैं। बाजार की शक्तियों के प्रभुत्व वाली सुधार की प्रक्रिया में इन पत्रों को ज्यादातर आर्थिक वर्गों (पढ़ें निजी क्षेत्र) पर नाम मात्र का ही प्रभाव है। जहां तक शोध–पत्रों की बात है तो आज देश में विश्वसनीय शोध संस्थानों की कोई कमी नहीं है, वहीं विकास के लक्ष्यों और प्रक्षेपों की बात है तो आलोचकों के मुताबिक, ऐसी कई एजेसियां हैं जो योजना आयोग के मुकाबले ज्यादा सच्ची और सटीक तस्वीर पेश करती हैं। ये सभी तथ्य इस बात को साफ कर देते हैं कि भविष्य में मजबूती से उभरने के लिए योजना आयोग को न केवल नया कलेवर अपनाने की जरूरत है बल्कि उसे ईमानदारी से ऐसी संभावनाओं की तलाश भी करनी होगी जो सांकेतिक योजना की परिधि में आते हों। स्पष्ट शब्दों में कहें तो नए उपायों के साथ–साथ नीति परिवर्तन सुझाने होंगे जिसके मध्यम और दूरगामी परिणाम हों। इसका उज्ज्वल पक्ष यह है कि डा. अहलूवालिया और उनकी टीम ने नीति परिवर्तन के संबंध में एक बहस छेड़ दी है... और सही मायने में, इस बहस के नतीजे ही साबित करेंगे कि क्या डा. अहलूवालिया वह कर पाने में सफल रहेंगे जिसके लिए उनके पूर्ववर्ती पिछले एक दशक में लगातार विफल होते रहे हैं।

कहने की जरूरत नहीं कि चीन के बाद दूसरी सबसे तेज अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने वाला भारत अपनी खराब ढांचागत स्थिति के चलते विकास की उच्च दर (8 फीसदी या उससे ज्यादा) को हासिल करने में नाकाम रहा है। चाहे बंदरगाहों की बात हो या फिर ऊर्जा, भूतल परिवहन या फिर हवाई अड्डे, हमारी ढांचागत सुविधाएं अब भी विश्वस्तर से काफी नीचे हैं और इनमें आमूल–चूल परिवर्तन के लिए सैकड़ों अरब डालर विदेशी निवेश की जरूरत हैं। देशी (निजी और सार्वजनिक) तथा विदेशी निवेश (सालाना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अब भी 5 बिलियन डालर से कम है) अब भी इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके इलाज के लिए ही डा. अहलूवालिया ने सुझाव दिया है कि विदेशी मुद्रा भंडार से 5 बिलियन डालर का निवेश ढांचागत क्षेत्र में किया जाए। वैसे भी विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वाधिक स्तर 120 बिलियन डालर तक पहुंच गया है। इस प्रस्ताव ने एक सार्थक बहस छेड़ दी जिसके सभी पहलुओं पर वित्त मंत्रालय भी विचार कर रहा है। ज्यादातर विशेषज्ञ भी इसे एक अच्छा सुझाव मानते हैं। जाने–माने अर्थशास्त्री डा. डी.एच. पाणंदीकर कहते हैं, "यह प्रस्ताव खासकर उन परियोजनाओ के लिए लाभकारी है जिनमें आयात का घटक ज्यादा होता है।" हालांकि कुछ अर्थशास्त्री यह मशविरा भी देते हैं कि इसके मुद्रास्फीति संबंधी प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एक और संकटपूर्ण क्षेत्र, जहां योजना आयोग की मौजूदा टीम अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, वह है अलग–अलग मंत्रालयों को स्वतंत्र सुझाव देना। एक पत्रिका के संबोधन में हाल ही में डा. अहलूवालिया ने कहा कि "जिन नीतियों को लागू करना किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी है, वह इनका स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कर सकता और यहीं से योजना आयोग का काम शुरू हो जाता है।" लेकिन अब तक सभी मंत्रालय अपने विभाग से जुड़ी नीतियों के निर्धारण में एकाधिकार रखते आए हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे योजना आयोग के

स्वतंत्र और वस्तुपरक सुझावों पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं।

बहरहाल, योजना आयोग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती हैं, केंद्र की ओर से प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन। इस बात पर पहले ही काफी विवाद हो चुका है कि इन योजनाओं के संसाधन को राज्य सरकार, जिला या स्थानीय स्तर पर भेज दिया जाए। ज्यादातर राज्य सरकारों के विरोध के बावजूद डा. अहलूवालिया ने साफ कर दिया है कि वह चाहेंगे कि संसाधन सीधे जिलों को भेजे जाएं। इसके अलावा यह देखना भी दिलचस्प होगा कि योजना आयोग केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के मौजूदा सरकार के एजेंडे पर क्या रुख अपनाएगा क्योंकि पिछली सरकारें इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं।

योजना आयोग के एक उपयोगी विचार मंच के रूप में उभरने के लिए जो सबसे अहम मुद्दा है, वह यह कि इसे किस हद तक राजनीतिक समर्थन मिल पाता है। यह बात तो सभी जानते हैं कि योजना आयोग की विश्वसनीयता में कमी का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकारों के द्वारा इसकी उपेक्षा रही है। इस रवैये को पूरी तरह बदलने की जरूरत है। इसके बिना नई टीम को अपने प्रस्तावों और सुझावों को अमली जामा पहनाने में सफलता नहीं मिल सकेगी, फिर चाहे वह विदेशी मुद्रा भंडार से ढांचागत क्षेत्र में निवेश की बात हो, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बेहतर उपयोगिता या फिर मंत्रालयों को दिए गए सुझावों को गंभीरता से लिए जाने की बात हो। संयोग और दुर्योग कुछ भी करा सकते हैं लेकिन कुछ जानकार मानते हैं कि डा. मनमोहन सिंह और डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया की जोड़ी एक बार फिर कमाल दिखा सकती है। डा. पाणंदीकर कहते हैं, "उनका आपसी तालमेल जगजाहिर है और एक खास मकसद से ही डा. अहलूवालिया को योजना आयोग में लाया गया है। मुझे उम्मीद है कि योजना आयोग को नीतिगत मामलों में और आगे चलकर उन्हें लागू किए जाने में ज्यादा अधिकार मिलेंगे। लेकिन यह जानने के लिए कि इस 'खास मकसद' से जुड़ी चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ❑

(लेखक एक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

IN EAST DELHI

IAS/PCS 2005/2006

GYAN INSTITUTE

(Ahead to Success)

★ GENERAL STUDIES
★ POLITICAL SCIENCE
★ GEOGRAPHY

★ HISTORY
★ PUBLIC ADMINISTRATION
★ PHILOSOPHY

- ★ Fully educative and interesting environment.
- ★ 20 weeks non stop classroom coaching subject wise.
- ★ Effective and enthusiastic lectures and guidance by highly qualified faculty.
- ★ Best essay writing guidance, techniques and practice.
- ★ Test series Continuously.
- ★ Selective study material.
- ★ Reasonable and bearable fee structure.
- ★ Development of effective answer writing skills with hand writing.
- ★ Tips for interview by IAS/PCS and interview specialists.
- ★ Hostel facility available.

- ★ Postal Guidance for Geneal Studies and History for Prelims and Mains.
- ★ Special Guideline and Moments with IAS & PCS.
- ★ Education, Coaching, Guidance & Smart Techniques by Highly Qualified and experienced faculty and IAS/PCS.

Venue : DA-18, IIIrd Floor, Main Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092
Contact : 9350803337, 011-22014698, 20502251
E-mail:gyaninstitute@yahoo.com

"Less Time, More Marks, Listen only and give the weekly test, we assure you the best"

ADMISSION NOTICE
For IAS/PCS-2005-06

P.T. cum Main Full Training Programme

VIDYA IAS ACADEMY

लोक-प्रशासन
by
Prof. S.N. Mishra (I.I.P.A)
Dr. A.D.Mishra (Author)
Giving Amazing Results

सामान्य अध्ययन by Dr. B.P. Verma (Economist)
Kumar Ujjwal & Team (The Unique Expert)

दर्शनशास्त्र by Rakesh Kr. Singh (1st Rank in D.U.)

राजनीति विज्ञान by Prof.S.N.Jha (J.N.U.)
Dr. Rajendra (D.U.)
Prof. Sondhi (D.U.)

इतिहास by Dr. Pradeep (I.C.H.R.)

भूगोल by G.S.YADAV (D.U.)
Sanjay Pandey

मनोविज्ञान by Dr. S.S.Chauhan (D.U.)

समाजशास्त्र by Vinay Singh (D.S.E.)

हिन्दी by Prof. R.S. Srivastava (D.U.)
Dr. Nirmala Gupta (Author)

- Batch of only 15 students.
- Every week Exam for P.T./Mains
- 400 hours classroom.
- Unique Technology.
- Option in Flexi Modules.
- Hostel Facilities

ALL SUBJECTS IN ENG./HINDI MEDIUM

CORRESPONDENCE COURSE ALSO AVAILABLE FOR Rs. 1100/- Only

Special Discount for SC,ST &Girls Candidate

VIDYA IAS ACADEMY

Office : B-17, Comm. Comp., Near UTI ATM , Dr. Mukherjee Nager, Delhi-110009
Institute : 302, 303 Ansal Bhawan , Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.: 55756665, 27655241, 9811770406

योजना आयोग के बीते दिन

○ मुजीब उर रहमान

पिछले कुछ एक दशकों में योजना आयोग का जिस प्रकार का उद्भव हुआ है और इसने बाजारवादी आर्थिक सुधारों के नए दौर के लिए अपने को ढाला है उससे विश्वास होता है कि यह संस्था भारत के नीतिनिर्माण क्षेत्र में नाटकीय परिवर्तनों का भी सामना कर सकती है।

पिछले कुछ दशकों में 'योजना आयोग' का जिस तरह विकास हुआ और इसने बाजारवादी सुधारों के नए दौर में अपनी भूमिका को नए रूप के अनुसार ढाला उससे विश्वास होता है कि यह संस्था भारत के नीतिनिर्माण क्षेत्र में नाटकीय बदलावों का भी सामना कर सकती है।

आर्थिक सुधारों के दौर में भी योजना आयोग ने भारत के नीतिनिर्माण क्षेत्र में अपनी भूमिका की प्रमुखता बनाए रखी है। इसकी वर्तमान भूमिका की व्याख्या करते हुए आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डा मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कुछ इस तरह कहा – "इस समय दो भूमिकाएं हैं जो अब और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक भूमिका नीति की थी। आप को हर समय नीतियों का अवलोकन करना पड़ता है और उनमें जरूरी बातों का समावेश करते रहना होता है। यह भूमिका मंत्रालयों द्वारा निभाई जाती है क्योंकि उनसे ही अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी नीतियों पर स्वयं आलोचनात्मक दृष्टि से निगाह रखेंगे। पर यह जरूरी नहीं है कि कोई मंत्रालय जो किसी नीति के लिए जिम्मेदार है, उस नीति की सफलता–विफलता के बारे में हमेशा स्वतंत्र दृष्टिकोण ही प्रस्तुत करे। इसी तरह की स्थितियों में योजना आयोग की भूमिका बनती है। आयोग की दूसरी भूमिका है दीर्घ काल में आने वाली चुनौतियों के समाधान की नीति बनाना। मंत्रालय भी यह काम कर सकते हैं। पर एक दीर्घकालिक नीति बनाते समय दूसरे मंत्रालयों की नीतियों के प्रभावों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। मंत्रालय यह व्याख्या करने की स्थिति में नहीं होते कि दूसरे मंत्रालय की नीतियां क्या होंगी। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों से अलग किसी व्यक्ति की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए यदि ऊर्जा के क्षेत्र में आपको यह सोचना पड़ता है कि भविष्य में आपको अपने ऊर्जा के सभी संसाधन आयात करने पड़ सकते हैं और आपको खनिज ईंधन पर निर्भरता कम करनी है तो आप परमाणु बिजली या गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का सहारा ले सकते हैं और ऊर्जा संरक्षण पर जोर दे सकते हैं। पर इस प्रकार के विकल्पों पर काम पेट्रोलियम मंत्रालय में नहीं बल्कि उसके बाहर ही तो हो सकता है।"

डा. अहलूवालिया ने योजना आयोग की भूमिका और प्रासंगिकता का जो साफ और विस्तृत खाका प्रस्तुत किया है उससे यह जाहिर होता है कि योजना निर्माण का काम कितना जटिल और कितना महत्वपूर्ण हो गया है। फिर भी इस संस्था की भूमिका और काम–काज के बारे में सरकार के अंदर तथा सरकार के बाहर बड़ी बहस हुई है। भारत के नीति नियामकों में अधिकतर का मानना है कि बदली परिस्थिति में भी योजना आयोग का महत्व बरकरार है। ऐसे में इस संस्थान के मूल्यांकन की कसौटी यह होनी चाहिए कि सर्वप्रथम यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के मामले में कहां टिकता है। इसके बाद यह भी देखना चाहिए कि क्या इस संस्था को और प्रभावशाली बनाने के लिए 1950 के उस अधिनियम में कुछ और बातें जोड़ने की जरूरत है। आयोग के बारे में हुई बहस की बातों और तेवर को देख कर एक बात तो कही ही जा सकती है कि इस आयोग को आने वाले दिनों में भी बनाए रखा जाएगा।

विरासत

भारत का योजना आयोग देश के स्वाधीनता संग्राम का जीता–जाता उदाहरण है। वैसे इसके विभिन्न अंग–उपांगों और उनकी भूमिका विशेष का विकास इसकी स्थापना के बाद ही हुआ। योजना आयोग के विषय में आधुनिक भारत के मुख्य शिल्पी पं. जवाहर लाल नेहरू की निर्णायक भूमिका रही। पं. नेहरू ने आधुनिक भारत के करीब सभी बड़ी संस्थाओं में निर्णायक भूमिका निभाई।

'पतञ्जलि' दर्शनशास्त्र की तैयारी हेतु समर्पित भारत का विशेषज्ञ संस्थान **IAS/PCS**

दर्शनशास्त्र

सर्वाधिक लोकप्रिय एवं अंकदायी विषय

द्वारा

धर्मेन्द्र कुमार

धर्मेन्द्र कुमार के विशेषज्ञतापूर्ण एवं सारगर्भित मार्गदर्शन में संस्थान ने अपनी स्थापना के पश्चात दर्शनशास्त्र को लेकर सिविल सेवा के क्षेत्र में लगातार सफलता के नवीन प्रतिमानों को स्थापित किया है तथा इसे एक सुरक्षित, विश्वसनीय एवं सर्वाधिक अंकदायी विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

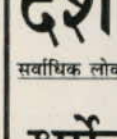

दर्शनशास्त्र विषय के साथ हिन्दी माध्यम में **सर्वोच्च स्थान**

UPSC
13th Rank
डॉ0 प्रदीप सिंह राजपुरोहित

"दर्शनशास्त्र में 'पतञ्जलि' के धर्मेन्द्र कुमार सर से काफी सहायता मिली।"
(राष्ट्रीय सहारा, दिल्ली संस्करण-१२ मई)

UPPSC, Ist Ranker

बिपिन कुमार मिश्रा

दर्शनशास्त्र विषय के साथ **सर्वोच्च स्थान**

"मैंने 'पतञ्जलि' के निर्देशक धर्मेन्द्र कुमार सर से दर्शनशास्त्र एवं साक्षात्कार हेतु कोचिंग ली थी, जिसका निर्णायक रूप से मुझे लाभ मिला। दर्शनशास्त्र की तार्किक एवं वैज्ञानिक रूप से उनकी अभिव्यक्ति एवं जटिल तथ्यों के भी सरल रूप में स्पष्टीकरण की कला ने मेरे अभिव्यक्ति पक्ष को मजबूत बनाया। यहाँ उल्लेखनीय है कि मैंने बाद में 'पतञ्जलि' में दर्शनशास्त्र के कुछ भागों का अध्यापन का भी कार्य किया।"
(प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी ०४, पृष्ठ १२९१)

UPSC-2003, 41st Rank

राजेश प्रधान

देश भर में दर्शनशास्त्र में **सर्वोच्च अंक**

"दर्शनशास्त्र हेतु मैंने 'पतञ्जलि' के निदेशक धर्मेन्द्र कुमार सर से मदद ली थी जरूरत के अनुरूप उनका मित्रवत् मार्गदर्शन मेरे लिये लाभदायक रहा।"
(सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, दिसम्बर २००३, पृष्ठ ४८)

अमृतेन्दु शेखर ठाकुर **BPSC,** Ist Ranker

"मार्गदर्शन मुझे श्री धर्मेन्द्र कुमार (निर्देशक Patanjali) का मिला।"
(प्रतियोगिता दर्पण, अप्रैल २००४, पृष्ठ १६७७)

जगदीश प्रसाद मीणा **I.A.S.**
दर्शनशास्त्र विषय के साथ S.T. वर्ग में
द्वितीय स्थान

अविनाश कुमार
I.P.S.

"दर्शनशास्त्र के द्वितीय-पत्र में देश भर में **सर्वोच्च अंक।**"

फूलचन्द मीणा **I.A.S.**
दर्शनशास्त्र विषय के साथ S.T. वर्ग में
पाँचवां स्थान

दीपक कुमार
DANIPS

"दर्शनशास्त्र विषय के साथ प्रथम प्रयास में सफल।"

अरविन्द कुमार, **I.R.S.**

"दर्शनशास्त्र विषय के साथ अपने पहले ही प्रयास में सफल।"

अभय कुमार, **I.C.E.S.**

"दर्शनशास्त्र विषय के साथ प्रथम प्रयास में सफल।"

PATANJALI

2580, हडसन लाईन, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-110009
फोन : 011-30966281, मोबाईल : 9810172345
वैबसाइट : www.patanjaliias.com E-mail : pir@patanjaliias.com

छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विवरणिका के लिए ३० रू. का बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर भेजें।

सलाह, सहयोग, समर्थन-दर्शन प्रसार एवं अनुसंधान केन्द्र

प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा - 2005

IAS **दर्शनशास्त्र** PCS

सर्वाधिक लोकप्रिय एवं अंकदायी विषय

द्वारा

धर्मेन्द्र कुमार

दर्शनशास्त्र (Philosophy)

प्रारम्भिक (P.T.)
16 जनवरी (समय: 11.00 प्रात:)

।। विशेषताएँ ।।

- संपूर्ण अध्ययन सामग्री।
- साप्ताहिक जाँच परीक्षा।
- पिछले वर्ष के प्रश्नों पर सारगर्भित विवेचन।
- तर्कशास्त्र (Logic) के प्रश्नों को हल करने की विशिष्ट तकनीक।
- सिविल सेवा (P.T.) में पूछे गये प्रश्नों का पाठ्यक्रमानुसार क्रमबद्ध संकलन।

कक्षा कार्यक्रम 2005

प्रथम सत्र (मुख्य परीक्षा कार्यक्रम)

प्रथम बैच - 24 मई (प्रात: 8.30)
द्वितीय बैच - 16 जून (सायं 5.30)
Philosophy - 24th May, 11.00 a.m.
(English Medium) (Separate Batch)

द्वितीय सत्र

अक्टूबर 2005 से प्रारम्भ

पत्राचार कार्यक्रम (दर्शनशास्त्र, मुख्य परीक्षा)

संस्थान दर्शनशास्त्र हेतु पर्याप्त, गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ, अत्यन्त उपयोगी एवं प्रमाणिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। इसमें वैसे अध्यायों पर विशेष बल दिया गया है जिस पर प्रमाणिक सामग्री सहजता से उपलब्ध नहीं है। पत्राचार सामग्री को प्राप्त करने के लिये 2600 रू0 का दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट 'PATANJALI IAS CLASSES' के नाम भेजें।

PATANJALI

2580, हडसन लाईन, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली-110009
फोन : 011-30966281, मोबाईल : 9810172345

सलाह, सहयोग, समर्थन-दर्शन प्रसार एवं अनुसंधान केन्द्र

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन भारत के नेताओं की इस सोच की अभिव्यक्ति थी कि देश की विकास संबंधी समस्याओं के निदान का सबसे अच्छा तरीका योजनाबद्ध प्रयास ही रहेगा। उसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ जाने और कई अन्य राजनीतिक घटनाओं के कारण इस समिति के काम में व्यवधान उत्पन्न हुए। उसके छह वर्ष बाद 1944 में भारत सरकार ने योजना और विकास विभाग की स्थापना की। विभाग ने कुछ नीतियों का निर्माण कर भारत के भविष्य की योजना की दिशा का संकेत दिया। भारत की स्वाधीनता के बाद 1949 में अंतरिम सरकार द्वारा गठित सलाहकार योजना परिषद ने योजना आयोग के गठन की सलाह दी और कहा कि भारत के विकास की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए इस प्रकार की एक स्थाई संस्था का होना जरूरी है। यह कहना जरूरी नहीं कि पं. नेहरू इस आयोग के गठन को दिल से चाहते थे। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि इस विषय में उस समय कोई भिन्न मत था ही नहीं। वास्तविकता तो यह है कि देश के पहले वित्तमंत्री जॉन मथाई को इस संस्था के गठन के विरोध के कारण मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। इस संस्थान के बारे में एक बड़ी गलतफहमी यह रही है कि यह साम्यवादी नीतियों का एक अंग है और इसको आर्थिक विकास के किसी अन्य मॉडल के लिए नहीं ढाला जा सकता। पिछले कुछेक दशकों में इस संस्था का जिस प्रकार का उद्भव हुआ है और इसने बाजारवादी आर्थिक सुधारों के नए दौर के लिए अपने को ढाला है उससे विश्वास होता है कि यह संस्था भारत के नीतिनिर्माण क्षेत्र में नाटकीय परिवर्तनों का भी सामना कर सकती है।

देश में योजना आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना की मंशा सर्वप्रथम जनवरी, 1950 के अंत में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रकट हुई। उसी वर्ष 28 फरवरी को वित्तमंत्री के बजट भाषण में इस आकांक्षा का विधिवत घोषणा की गई। सरकार के 15 मार्च, 1950 के एक प्रस्ताव से इस संस्था की स्थापना की गई। इस प्रस्ताव में भारत के संविधान और उसके कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। प्रस्ताव में कहा गया कि इसके और जनता के जीवन स्तर में तीव्र सुधार करने के सरकार के घोषित उद्देश्य की दृष्टि से निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक योजना आयोग का गठन किया गया है : (1) देश के सामान, पूंजी और तकनीकी कौशल वाले व्यक्तियों सहित मानव संसाधन का आकलन करना तथा ऐसे संसाधनों की यदि राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कमी हो तो उनकी वृद्धि की जांच करना; (2) संसाधनों के सबसे कारगर और संतुलित इस्तेमाल की एक योजना बनाना; (3) प्राथमिकताओं का निर्धारण कर उन चरणों की व्याख्या करना जिनके अनुसार योजना को लागू किया जाए और हर चरण के कार्य के लिए संसाधनों के वितरण का प्रस्ताव करना; (4) विकास में बाधक कारकों की पहचान कराना और वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में उन परिस्थितियों का निर्धारण करना जिनका किया जा सकता है; (5) योजना के प्रत्येक चरण को उसके सभी पक्षों के साथ सफलतापूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक तंत्र की प्रक्रिया का निर्धारण करना; (6) समय–समय पर योजना की चरणबद्ध प्रगति की समीक्षा कर आवश्यकता पड़ने पर उसमें समायोजन के सुझाव देना; (7) ऐसा कोई भी अंतरिम पर सहायक सुझाव या प्रतिवेदन प्रस्तुत करना जो इस संस्था को प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन में सहायक हो या केंद्र अथवा राज्य सरकारों की ओर से सामयिक आर्थिक परिस्थितियों, नीतियों, उपायों और विशिष्ट समस्याओं के संबंध में मांगे गए हों।

प्रस्ताव में कहा गया कि आयोग मुख्य रूप से एक सलाहकार निकाय की भूमिका निभाएगा और अपनी सिफारिश मंत्रिमंडल को देगा। प्रस्ताव के अनुसार अपनी सिफारिशें तय करते समय आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ तालमेल से चलेगा। विकास में सांख्यिकीय आंकड़ो के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के गठन की भी घोषणा की। आज इस संगठन की भूमिका योजना प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी हो गई है।

यह संस्था बड़ा अधिकार रखती है और लोग इसकी ओर ध्यान से देखते हैं तथा इसके आलोचक इसे 'सुपर कैबिनेट' भी कह देते हैं इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि खुद भारत के प्रधानमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आयोग में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की भूमिका सबसे सक्रिय रही है। वह उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के दौर से ही ऐसी संस्थाओं के साथ नजदीक से जुड़े एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में खुद एक अध्याय लिखकर शामिल कराया है। पं. नेहरू ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में 'नियोजित विकास की भूमिका' शीर्षक अध्याय खुद लिखकर दिया था। उनके कुछ परंपरावादी सहयोगियों ने आलोचना की कि वह योजना आयोग के माध्यम से देश में साम्यवादी व्यवस्था लाना चाहते थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि नेहरू के समय का योजना आयोग कुछ अलग ही था। इसका एक कारण यह भी था कि उन्होंने खुद अपने दिल से इस संस्था को खड़ा किया था। नेहरू के बाद के दौर के प्रधानमंत्रियों की आयोग में रुचि कुछ कम हो गई और इसके सदस्यों तथा उपाध्यक्ष के चयन में राजनीति भी होने लगी।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस संस्था को

आधुनिक भारत के निर्माण में अपने पिता के योगदान की एक विरासत के रूप में लेकर इसे दिल से लगाए रखा। इस संस्था की भूमिका औरों को देने के प्रयास भी किए गए लेकिन वे ज्यादा दिन नहीं चले। उदाहरण के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जब प्रधानमंत्री पद संभाला तो उन्होंने आर्थिक निणयों का केंद्र योजना आयोग से हटा दिया और एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की। परिषद का गठन फरवरी 1965 में किया गया। शास्त्रीजी ने इसका औचित्य बताते हुए कहा था कि चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने में और अधिक संख्या में गैर अधिकारी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए ऐसा किया गया। योजना आयोग के सदस्य इस तर्क से सहमत नहीं थे और उन्होंने परिषद को आयोग की एक प्रतिद्वंद्वी संस्था के रूप में देखा। सत्रह सदस्यों की इस परिषद में कुछ उद्योगपति, वैज्ञानिक, ग्रामीण कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री और मजदूर नेता रखे गए। इसमें श्री पी.एन. धर और श्री पी.एस. लोकनाथन जैसे लोग भी थे। इस परिषद ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं के अध्ययन के लिए कई समूहों का गठन किया। परिषद का काम आयोग के काम के समांतर था। परिषद के सदस्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे योजना आयोग के साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों निकायों की कई बैठकें हुईं और उसके परिणाम स्वरूप कुछ परचे भी तैयार हुए। लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री जैसा चाहते थे, परिषद वैसा काम नहीं कर सकी। शास्त्रीजी के बाद योजना आयोग को फिर शक्ति मिली और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसे अपना पूरा संरक्षण दिया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में आयोग का दृष्टिकोण बदला क्योंकि श्री गांधी चाहते थे कि आयोग मुख्य रूप से थिंक टैंक यानी विचार प्रस्तुत करने वाली एक संस्था के रूप में काम करे। श्री गांधी आयोग के सदस्यों से प्रायः यह सोचने का आग्रह करते थे कि इस आयोग को भारत को आधुनिक बनाने की आवश्यकताओं के अनुसार कैसे ढाला जा सकता है।

श्री गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। उन्होंने इस पद पर बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया। वह लंबे समय तक इस पद पर रहे और बाद में उन्होंने योजना मंत्री का पद भी संभाला। श्री नंदा से लेकर वर्तमान उपाध्यक्ष डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया तक इस पद पर विभिन्न आर्थिक दृष्टिकोण और अलग–अलग राजनीतिक तथा बौद्धिक पृष्ठभूमि के लोग आते रहे। इन सबने बड़ा योगदान किया हो, ऐसा नहीं है क्योंकि इनमें से कुछ उपाध्यक्षों का कार्यकाल बहुत छोटा था। यही नहीं, आयोग की नियुक्तियों में राजनीति के चलते अनेक बार इसकी जरूरतों की जगह राजनीतिक लोगों को खपाने के काम को प्राथमिकता दी गई। कई बार ऐसा भी हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री रह चुके लोगों को आयोग के उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया। श्री प्रणव मुखर्जी, के.सी. पंत, मधु दंडवते, नारायण दत्त तिवारी आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। कुछ ऐसे लोग भी आए जो आयोग में थोड़े समय तक रहने के बाद कोई बड़ा राजनीतिक पद पाते ही चले गए। इंडक्शन मैटीरियल 2003 के अनुसार देश में अभी तक केवल नौ पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हुई हैं और दसवीं चल रही है पर इस दौरान आयोग में 23 से अधिक लोग उपाध्यक्ष पद पर आ–जा चुके हैं।

संगठन के हिसाब से योजना आयोग को तीन प्रभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- **प्रशासनिक प्रभाग** : यह विभाग आयोग के आंतरिक प्रशासन, पुस्तकालय, प्रशिक्षण, लेखा–जोखा और इसके कर्मचारियों की अन्य सामान्य सेवाओं को देखता है।
- **सामान्य प्रभाग** : सामान्य प्रभाग पूरी अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ निश्चित पहलुओं पर ध्यान देता है। उदाहरण के लिए समदर्श योजना, वित्तीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्रम–रोजगार और मानव संसाधन, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, योजना समन्वयन, बहुस्तरीय योजना सहित राज्यों की योजना, विकास नीति और सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान इस प्रभाग के अंतर्गत आते हैं।
- **उप विभाग** : कृषि, पर्यावरण एवं वन, जल संसाधन, सामाजिक और आद्रता विकास कार्यक्रम, पिछड़ा वर्ग, उद्योग एवं खनिज, परिवहन, संचार एवं सूचना, बिजली और ऊर्जा, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, स्वास्थ्य, पोषाहार एवं परिवार कल्याण, आवास एवं शहरी विकास, ग्रामीण विकास तथा शिक्षा जैसे विकास के अलग–अलग क्षेत्रों के लिए उप विभाग हैं।

योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना है जिनसे देश के साधन, पूंजी और मानव शक्ति का सबसे अच्छे और संतुलित तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। आयोग को योजनागत उपायों के अनुपालक की सामयिक समीक्षा करने और उनमें आवश्यकतानुसार समायोजन के सुझाव देने की जिम्मेदारी निभानी होती है, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करते समय आयोग विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विकास कार्यक्रमों को राष्ट्रीय योजना के साथ समन्वित करता है। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए वित्तीय योजनाएं तैयार की जाती हैं और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रयास सुझाए जाते हैं। इन सबको पूरी अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह की योजना के साथ समन्वित किया जाता है। केंद्र की निवेश योजना में आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयोग

व्यापक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर संसाधनों के संवितरण का वस्तुनिष्ठ तरीका अपनाता है। आयोग वार्षिक योजनाओं के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि केंद्र और राज्यों की वार्षिक योजनाएं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हों।

पंचवर्षीय योजना बनाने की प्रक्रिया में पहला महत्वपूर्ण कदम योजना के बारे में दृष्टिकोण–पत्र तैयार करने का होता है। दृष्टिकोण–पत्र योजना आयोग में की जाने वाली प्रारंभिक तैयारी के आधार पर बनाया जाता है जिसमें आने वाली योजना सहित 15–20 साल की अवधि में अर्थव्यवस्था की विकास की स्थिति का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। दृष्टिकोण–पत्र तैयार करने में क्षेत्रीय विभागों का भी ध्यान रखा जाता है और यह भी बताया जाता है कि आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि में विभिन्न क्षेत्रों से किस तरह से निपटना है।

चालू पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए संचालन समिति कार्य दल बनाए जाते हैं और कार्यक्रमों, नीतियों, योजनाओं और परिव्यय के बारे में विस्तृत सिफारिशें की जाती हैं। इन कार्यदलों के सदस्य योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के अधिकारी शामिल होते हैं। नौवीं योजना के सिलसिले में 23 संचालन दल और 336 कार्यदल गठित किए गए हैं। दसवीं योजना के लिए 27 संचालक समितियां और 98 कार्य समूह बनाए गए थे। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद इन्हें बदल दिया गया। इस प्रकार के बदलाव आयोग की नियुक्तियों में राजनीति का नतीजा माने जा रहे हैं।

भारत में योजना आयोग और इसकी भूमिका तथा उपादेयता पर अनेक बार बहस चली है। बढ़ते राजनीतिकरण से इसका काम–काज प्रभावित हुआ है। गठबंधन की राजनीति के दौर में आयोग के सामने अपना काम–काज करने की राह में अब चुनौतियां और बढ़ने की संभावना है।

इस संदर्भ में योजना आयोग के गठन के बारे में सरकार के संकल्प को नई दृष्टि से देखने तथा यह विचार करने की आवश्यकता है कि आयोग को और अधिक कारगर, नीतिनिर्माण संस्था बनाने के लिए इसमें क्या कुछ और जोड़ा जा सकता है। ❑

(मुजीब उर रहमान ऑस्टिन, अमेरिका के टैक्सास विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट आफ गवर्नमेंट में शोध छात्र हैं।)

DESTINATION IAS ACADEMY

IAS/PCS (Pre-CUM-Mains - 2005-06)
U.G.C. / NET / SLET

भूगोल द्वारा संजय सिंह
लेखक :
1. क्रॉनिकल भूगोल
2. क्रॉनिकल वस्तुनिष्ठ भूगोल
3. क्रॉनिकल भारत एवं विश्व का भूगोल

सामान्य अध्ययन /G.S. द्वारा कैलाश मिश्रा संजय सिंह डी. आचार्य

समाज शास्त्र/Sociology द्वारा प्रवीन किशोर
FIRST TIME BY TECHNOCRAT
विशेषताएँ
1. विषय के सभी खण्डों का विस्तृत विवेचन
2. संभावित एवं विगत वर्षों के प्रश्नों की सविस्तार चर्चा
3. साप्ताहिक टेस्ट एवं मूल्यांकन
4. पूर्ण परिमार्जित अध्ययन सामग्री
5. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल तथा छत्तीसगढ़ के लिए विशेष सत्र

किन्हीं दो विषयों पर विशेष छूट, पत्राचार सविधा उपलब्ध

इतिहास द्वारा डी आचार्य (के दक्ष निर्देशन में)
MAXIMUM OUTPUT IN MINIMUM INPUT

राजनीति विज्ञान/Pol. Sci. द्वारा कैलाश मिश्रा

मुख्य संपादक : ट्रेण्ड एनैलिसिस
लेखक
1. भारतीय अर्थव्यवस्था
2. भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
3. बदलते हुए परिदृश्य में भारत की विदेश नीति

at B-12, COMMERCIAL COMPLEX
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI - 9
Mob.: 9868080491, 9868338235, 9818329854
SNEWS : 9811124003

ध्येय IAS

(हिन्दी माध्यम)

द्वारा

विजय सोनी
आई.ए.एस. 2003

अजय कुमार
आई.ए.एस. 2003

विनय सिंह

सामान्य अध्ययन
व
राजनीति विज्ञान

रमेन्द्र रत्नाकर सिंह
उ.प्र. पी.सी.एस. 2002

सीता श्रीवास्तवा
उ.प्र. पी.सी.एस. 2002

नया बैच प्रारम्भ

राजनीति विज्ञान दिसम्बर से
सामान्य अध्ययन दिसम्बर से

नया बैच जनवरी 2005 से लखनऊ में प्रारम्भ

सम्पर्क करें : 9415053204

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

202, द्वितीय तल, विराट भवन, कामर्शियल कामप्लेक्स,
डॉ० मुखर्जी नगर, दिल्ली - 110009
011-55727815, 9868499624

उद्यमशीलता के जरिए महिलाओं को शक्तिशाली बनाना

○ अरुंधती चट्टोपाध्याय

महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन्हें आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना आवश्यक है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक तरीका उनमें उद्यमशीलता का विकास करना है।

योजनाबद्ध विकास के प्रारंभ से ही सरकार का ध्यान महिलाओं के विकास की ओर गया है। तथापि, कल्याणकारी नीति के स्थान पर महिलाओं के विकास की नीति पर ध्यान छठी योजना (1980–85) के दौरान गया। आठवीं योजना (1992–97) में यह सुनिश्चित करने का वचन दिया गया था कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लाभ महिलाओं की अनदेखी या उपेक्षा न करें और ये लाभ उन्हें भी मिलें। गरीब और परिसंपत्ति विहीन महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में महिलाओं के विकास की योजना तैयार करने की नीति में दो उल्लेखनीय परिवर्तन किए गए। पहला "महिलाओं का सशक्तीकरण" प्रमुख उद्देश्य बन गया और दूसरा, योजना महिलाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई और महिलाओं से संबंधित वर्तमान उपलब्ध सेवाओं को मिलाने का प्रयास किया गया। दसवीं योजना (2002–07) में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में महिलाओं को शक्ति प्रदान करने का वचन दिया गया है। महिलाओं के सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति पर आधारित दसवीं योजना में महिलाओं को शक्ति प्रदान करने के लिए तिहरी रणनीति का सुझाव दिया गया है – सामाजिक सशक्तीकरण के जरिए, आर्थिक सशक्तीकरण के जरिए और स्त्रियों को न्याय दिलाकर। विश्व बैंक ने सशक्तीकरण की परिभाषा इस प्रकार की है: व्यक्तियों या दलों की पसंद क्षमता के बढ़ाने की प्रक्रिया और इस पसंद को वांछित कार्यों और नतीजों में बदलना। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं वे कार्रवाइयां जो व्यक्तियों और सामूहिक परिसंपत्ति का निर्माण करती हैं और परिसंपत्तियों को प्रबंध करने वाले संगठनों और संस्थाओं की कुशलता और न्यायसंगति को सुधारती हैं।

इस प्रकार सशक्तीकरण बहुआयामी है और सभी क्षेत्रों में (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) अपने जीवन को आकार प्रदान करने के लिए पसंद और कार्रवाई की स्वतंत्रता के विस्तार की ओर इशारा करता है। इसमें संसाधनों और निर्णयों पर नियंत्रण भी अभिप्रेत (ध्वनित) होता है। घर और समाज में स्त्री–पुरुष संबंधी भेदभाव के कारण महिलाओं की इस तरह की स्वतंत्रता अक्सर सीमित हो जाती है। इस प्रकार महिलाओं

के सशक्तीकरण के लिए व्यक्तिगत (जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार) और सामूहिक स्तर पर (उदाहरण के लिए अपनी समस्याओं के समाधान की कार्रवाई करने के लिए संगठन करने और लोगों को जुटाने की योग्यता) परिसंपत्तियों और क्षमताओं का समुच्चय आवश्यक है।

भारतीय महिलाओं का सशक्तीकरण वस्तुतः समाज में उनकी हैसियत के साथ जुड़ा है। यद्यपि पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिलाओं की कुल जनसंख्या में मामूली वृद्धि हुई है (1991 में 40 करोड़ 71 लाख से 2001 में 49 करोड़ 57 लाख), जन्म के समय संभावित औसत आयु (1989–1993 में 59.7 वर्ष से बढ़कर 1996–2001 में 65.3 वर्ष), स्त्री–पुरुष अनुपात (1991 में 927 से 2001 में 933), तथापि, महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या में असंतुलन जारी है। भारत में लोग लड़के के जन्म को तरजीह देते है; क्योंकि यह समझा जाता है कि लड़के भविष्य में जीविका अर्जन करके परिवार का भरण–पोषण करेंगे और बुढ़ापे में माता–पिता को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस तथ्य को सभी जानते हैं कि भारत में लड़कियों को जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव अधिक बढ़ जाता है, अगर लड़की गरीब माता–पिता के यहां जन्म लेती है। महिलाओं के सशक्तीकरण का कार्य मध्यवर्ती कारणों, जैसे – स्त्री–पुरुष संबंधी भेदभाव, शिक्षा और काम में भाग लेने का निम्न स्तर, भोजन में पोषक तत्वों की कमी, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव से और बढ़ जाता है। महिलाओं के सशक्तीकरण में एक अन्य प्रमुख बाधा है – समाज की गरीबी। भारत में गरीबी का दुश्चक्र है, जिसका महिलाओं की दशा पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में 70 प्रतिशत महिलाएं हैं। इनमें से अधिकांश भयंकर गरीबी में दिन गुजारती हैं। आशा है कि वर्तमान गरीबी हटाओ कार्यक्रम इन महिलाओं की जरूरतों और समस्याओं के समाधान की ओर खास तौर पर ध्यान देंगे क्योंकि गरीबी का प्रभाव पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर अधिक पड़ता है। यद्यपि एसजीएसवाई के अंतर्गत 40 प्रतिशत लाभ महिलाओं के लिए निर्धारित है, लेकिन व्यवहार में महिलाओं को इसी अनुपात में ये लाभ नहीं मिल रहे हैं (दसवीं योजना का दस्तावेज 2002–07)। अतः इस दुश्चक्र को समाप्त करना जरूरी है और इसके लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। अगर इस दुश्चक्र को समाप्त कर दिया जाता है तो देश में बड़े पैमाने पर गरीबी समाप्त की जा सकती है और समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

भारत में गरीबी

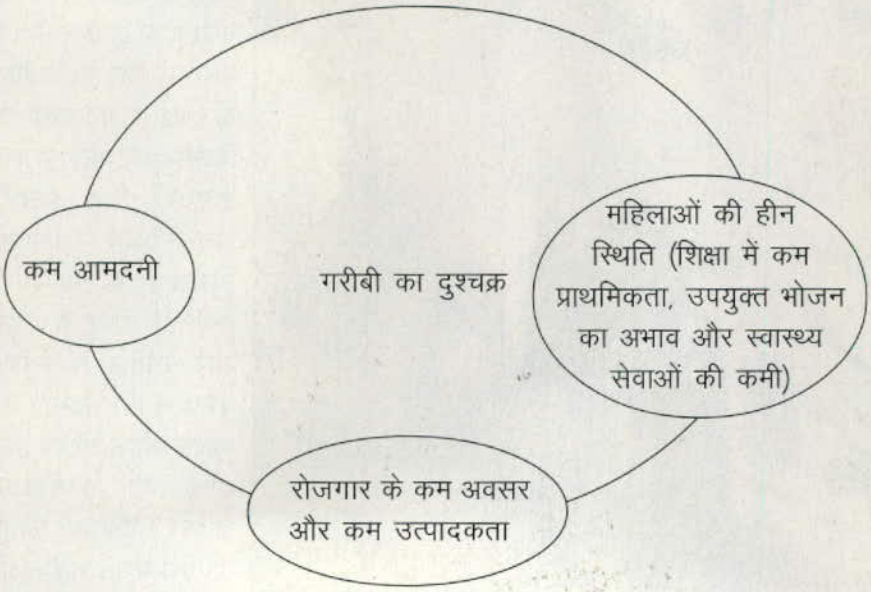

महिलाओं का सशक्तीकरण एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है क्योंकि इसके लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है। भारतीय महिलाओं को शिक्षा में कम प्राथमिकता मिलती है और उन्हें उपयुक्त भोजन और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलतीं। 2001 में भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत थी, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 75.85 प्रतिशत थी। 1998–99 में लगभग 51.8 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया अथवा रक्त की कमी से पीड़ित थीं। इसके अलावा 1995–96 में 32 प्रतिशत महिलाओं को बच्चों के जन्म के समय कोई चिकित्सा सहायता नहीं मिली। इसके कारण महिलाओं की उपस्थिति रोजगार क्षेत्र में कम है (2001 में संगठित क्षेत्र के रोजगार में महिलाओं की उपस्थिति 25.7 प्रतिशत थी, जबकि महिलाएं पुरुषों की 57.9 प्रतिशत थीं), उत्पादकता कम है और उनकी आय कम है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को उनके पुरुष साथियों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। इसके अलावा महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि में जो योगदान करती हैं उनकी उपेक्षा की जाती है या उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। उपर्युक्त सभी बाधाओं के बावजूद महिलाओं का आर्थिक/वित्तीय सशक्तीकरण उनके सामाजिक सशक्तीकरण की तुलना में आसान है।

इसके अतिरिक्त आर्थिक दृष्टि से

सक्रिय आयुवर्ग 15–59 की महिलाएं कुल महिलाओं का 58.4 प्रतिशत होती हैं। इस वर्ग की महिलाओं को शक्ति संपन्न करने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए क्योंकि अगर एक महिला आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली है तो उसके लिए सामाजिक दृष्टि से शक्ति संपन्न हो जाना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है। इन महिलाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण, आय पैदा करने, विकास प्रक्रिया और फैसला करने में सक्रिय भाग लेना चाहिए।

आर्थिक भूमिका

आमतौर पर यह समझा जाता है कि भारतीय महिलाएं आर्थिक बोझ हैं और अपने परिवार के लिए जो योगदान करती हैं उसकी अनदेखी की जाती है। इसलिए महिलाओं के काम में भाग लेने की दर को ही समाज में उनकी आर्थिक भूमिका का मापक समझा जाता है। भारत में यद्यपि काम करने वाली महिलाओं की दर में मामूली बढ़ोत्तरी हुई है, जो 1981 में 19.7 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 25.7 प्रतिशत हो गई है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले की दर से बहुत कम है। इसके अलावा, महिलाओं के काम के वितरण से संकेत मिलता है कि उनको केवल कुछ खास किस्म के काम सौंपे जाते हैं जो महिलाओं में बड़े पैमाने पर व्याप्त निरक्षरता के अंतर्निहित यथार्थ को प्रकट करता है। इस कारण उन्हें पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी वाले अकुशल काम मिलते हैं। कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में महिलाओं को सबसे अधिक रोजगार मिला हुआ है यानी इस क्षेत्र के रोजगार का 36 प्रतिशत। इसके बाद सेवा क्षेत्र का स्थान है जहां महिलाओं की संख्या कुल रोजगार का 19.07 प्रतिशत है तथा उद्योग क्षेत्र में जिसमें खनन पत्थर निकालना, वस्तुओं का निर्माण, बिजली, गैस तथा जल और निर्माण शामिल हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी कुल रोजगार की केवल 12.42 प्रतिशत है।

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की व्यावसायिक हैसियत

असंगठित क्षेत्र में 90 प्रतिशत महिलाएं हैं (80 प्रतिशत कृषि और उससे जुड़े कार्यों में और 10 प्रतिशत अन्य गतिविधियों में लगी हैं)। इसके अलावा, 90 प्रतिशत ग्रामीण श्रमिक महिलाएं और 70 प्रतिशत शहरी श्रमिक महिलाएं अकुशल हैं। सभी गरीब महिलाओं को, विशेष रूप से उन्हें जो गरीबी की रेखा के नीचे आती हैं, अपने घर का काम भी करना होता है। इसी के साथ उन्हें अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए भी काम करना पड़ता है। क्योंकि ये महिलाएं अकुशल होती हैं अतः इनके पास काई खास काम नहीं होता। उनके साथ भेदभाव किया जाता है और कम वेतन देकर उनका आर्थिक शोषण किया जाता है।

महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

भारत में केवल 10 प्रतिशत महिलाएं घर–गृहस्थी की मुखिया हैं। भूमि और संपत्ति मुख्य रूप से परिवार के पुरुष सदस्यों के नाम होती हैं इसलिए महिलाएं बहुत ही कम मामलों में संसाधनों की स्वामी होती हैं और उन्हें फैसले करने की स्वतंत्रता नहीं होती।

परिवार के लिए आय पैदा करने वाली गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी इधर बढ़ी है। महिलाओं के काम करने से न केवल परिवार की आय बढ़ती है बल्कि घर की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलती है। इससे वे घर के मामलों में फैसले करने की प्रक्रिया में अधिक कारगर ढंग से भाग लेने लगती हैं और उन्हें अधिक सूचना मिलने लगती है। इसके अलावा जहां महिलाएं आर्थिक दृष्टि से सक्रिय होती हैं, वहां लड़कियों को बोझ नहीं समझा जाता और उन्हें घर के संसाधनों में अधिक हिस्सा मिलता है। केवल महिलाओं के काम करने से आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित नहीं हो जाता क्योंकि संसाधनों का स्वामित्व फिर भी पुरुषों के हाथ में रहता है। इस प्रकार काम में महिलाओं की भागीदारी एक आवश्यक शर्त है लेकिन महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए केवल यह पर्याप्त नहीं है। महिलाओं का सशक्तीकरण तभी संभव है जब महिलाओं को अपनी आय खर्च करने की पूरी आजादी हो और संसाधनों पर उनका नियंत्रण हो।

महिलाओं के सशक्तीकरण का एक तरीका उनमें उद्यमशीलता का विकास हो सकता है। एक उद्यमशील महिला एक श्रमिक महिला से आर्थिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली होती है क्योंकि स्वामित्व उसे न केवल परिसंपत्तियों और देनदारियों पर नियंत्रण प्रदान करता है, बल्कि उसे निर्णय करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। इससे उसकी सामाजिक हैसियत में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होती है। इसके अलावा, एक महिला उद्यमशीलता के विकास के जरिए न केवल अपने लिए आय पैदा करती है बल्कि अपने **मुहल्ले** की अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करती है। इससे आय पैदा करने पर बहुमुखी प्रभाव होगा और गरीबी दूर करने में सहायता मिलेगी।

उद्यमशीलता एक जटिल और बहुगुना चमत्कार है। आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय श्रमिक बाजार में कर्मचारियों की योग्यता, काम के स्वरूप और काम के ठेकों के बारे में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता की रूपरेखा और महत्व को अधिक उठा दिया है। व्यावसायिक और प्रबंधकीय कामों में महिलाओं की संख्या बढ़ने के बावजूद उद्यमशीलता में महिलाओं की अभी भी काफी कमी है।

भारत में महिला उद्यमशीलता को 'अवसर उद्यमशीलता' के स्थान पर 'आवश्यक उद्यमशीलता' माना जा सकता है। बच्चों के प्रति माताओं की बढ़ती

जिम्मेदारियों और पारिवारिक आय में वृद्धि करने की प्रबल उत्कंठा महिलाओं को उद्यमशीलता की प्रेरणा दे रही है।

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को शोषण और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनको कम मजदूरी मिलती है, मजदूरी, 'प्रसव संबंधी लाभ', बच्चों की देखभाल और सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनों का उनमें से अधिकांश को लाभ नहीं मिलता। योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों में महिलाओं के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाता लेकिन उन्हें लागू करने का तंत्र अन्याय को स्थायी बना देता है और उन्हें विकास के लाभों से वंचित कर देता है।

आम तौर पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का तंत्र (कार्यालय संगठन) छोटा होता है और उनमें कम गतिशीलता होती है। यह बात युवा विवाहित महिलाओं पर विशेष रूप से लागू होती है, जिन्हें अपने परिवार की भी देखभाल करनी पड़ती है। ऐसी महिलाएं अपनी कुशलता और उपलब्ध स्थानीय संसाधनों का उपयोग अपना उद्यम शुरू करने के लिए कर सकती हैं। तथापि उद्यम का स्थान और संपर्कों के साथ रिश्तों की मजबूती यह निश्चय करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या उद्यमी अपने समाज में उपलब्ध संसाधनों को प्राप्त करके उनका इस्तेमाल कर सकेगा। वर्ष 2001–02 में यद्यपि कक्षा 1–12 तक लड़कियो की कुल भर्ती 50.29 प्रतिशत हुई, पालीटेकनीक सहित उच्च कक्षाओं में यह 6.71 प्रतिशत थी। इससे पता लगता है कि देश में साक्षर लेकिन अप्रशिक्षित महिलाओं का विशाल कार्यदल है। इस बात की संभावना कम है कि इन महिलाओं को बड़े सुस्थापित व्यापार या उद्योग प्रतिष्ठान में रोजगार मिलेगा। इन स्थानों का नित्य प्रति का काम इनकी समझ के बाहर और कठिन हो सकता है। लेकिन महिलाओं के कार्य दल के पास हस्तशिल्प, हथकरघे का काम करने या अचार, पापड़ आदि बनाने की कुशलता हो सकती है। छोटा उद्यम शुरू करके उनकी कुशलता से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ये महिला उद्यमी अन्य महिलाओं को रोज़गार प्रदान करने के साथ अपने उद्यम को लाभप्रद तरीके से चला सकती हैं। और अंत में रोजगार क्षेत्र में भयंकर प्रतियोगिता, जनसंख्या में वृद्धि के दबाव में अधिक से अधिक महिलाएं उद्यमशीलता की ओर आकृष्ट होंगी। अपने रोजगार में लगने से महिलाओं के संस्थागत रोजगार में आने वाली संस्थागत और सांस्कृतिक बाधाएं दूर होंगी।

भारत में महिलाओं की उद्यमशीलता

भारत में बहुत कम महिलाएं बड़े उद्यमों में हैं। मुख्य रूप से महिलाएं लघु उद्योग क्षेत्र (लउक्षे) में हैं। लउक्षे में महिलाओं की भागदारी को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है :

- उद्यम के मालिक के रूप में महिलाएं
- उद्यम के प्रबंधक के रूप में महिलाएं
- उद्यम के कर्मचारी के रूप में महिलाएं

जहां तक स्वामित्व का प्रश्न है, एक लउक्षे जिसका प्रबंध और स्वामित्व एक या अधिक महिला उद्यमियों के हाथ में है अथवा जिसकी शेयर पूंजी में एक या अधिक महिलाओं का व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से भागीदारी/शेयरधारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक/सहकारी समिति के सदस्य की हैसियत से 51 प्रतिशत से कम हिस्सा नहीं है, उसे महिलाओं का उद्यम कहा जाता है।

भारत सरकार के विकास आयुक्त (लउक्षे) द्वारा कराई गई तीसरी अखिल भारतीय लघु उद्योग क्षेत्र की गणना (2001–2002) में अनुमान लगाया गया है कि देश में महिलाओं के कुल 1063721 उद्यम हैं। ये देश में लउक्षे के कुल उद्यमों का 10.11 प्रतिशत हैं। इनमें से 13 प्रतिशत पंजीकृत लउक्षे में हैं और शेष 87 प्रतिशत अपंजीकृत क्षेत्र में हैं। वास्तव में महिलाओं के प्रबंध वाले उद्यमों की संख्या 995141 (अर्थात कुल लउक्षे का 9.46 प्रतिशत) है। इनमें से अधिकांश (88.5 प्रतिशत) अपंजीकृत क्षेत्र में हैं। लउक्षे में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 3317496 (अथवा कुल कर्मचारियों का 13.31 प्रतिशत) है। पंजीकृत लउक्षे में महिला कर्मचारियों की संख्या कुल कर्मचारियों का 15.81 प्रतिशत और अपंजीकृत लउक्षे में कुल कर्मचारियों का 12.48 प्रतिशत है।

जहां तक रोजगार का संबंध है। महिलाओं के प्रबंधन वाली इकाइयों का हिस्सा 714 था। महिलाओं के प्रबंध वाली इकाइयां प्रति एक लाख रुपये के निवेश पर 294 लोगों को रोजगार दे रही थीं।

समस्याएं

भारत में अभी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं के व्यवसाय शुरू करने की कम संभावना है यद्यपि यह दूरी अब कम हो रही है। महिला उद्यमियों की संख्या अभी भी बहुत कम (10 प्रतिशत) है जब कि काम में (श्रमिकों के रूप) उनकी हिस्सेदारी (25.7 प्रतिशत) अपेक्षाकृत अधिक है। इसलिए महिला उद्यमियों के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को जानना बहुत जरूरी है।

भारत में महिला उद्यमियों को अपना व्यापार–व्यवसाय स्थापित करने और उसे चलाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुरू के दौर में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में परिवार में और उसके बाहर भेदभाव के कारण अधिक कठिनाइयों–अड़चनों से जूझना पड़ता है। उदाहरण के लिए उन्हें वित्त प्राप्त करने, प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करने, जायदाद आदि की जमानत देने में अत्यधिक समय नष्ट करना पड़ता है। अक्सर इसका कारण संवेदनशीलता का अभाव और महिलाओं के प्रति भेदभाव की भावना का होना है। तथापि, अधिकांश महिलाओं का कहना है कि बिक्री अथवा विपणन उनकी मुख्य समस्या है। भारत

महिला उद्यमियों को आम तौर पर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है :

सामाजिक समस्याएं

- भूमिका में परिवर्तन
- समय का प्रबंध
- शिक्षा और अपेक्षित कुशलता की कमी
- व्यावसायिक वातावरण में काम करने के अनुभव की कमी
- महिलाओं की कम गतिशीलता
- जोखिम कम उठाने की क्षमता

आर्थिक समस्याएं

- ऋण के साधनों तक पहुंच का अभाव
- ऋण उपलब्धता की योजनाओं की सूचना का अभाव
- बिक्री संबंधी जानकारी का अभाव
- जमीन–जायदाद गिरवी रखने संबंधी सूचना अभाव
- हिसाब–किताब रखने संबंधी जानकारी का अभाव

सरकार की भूमिका

दसवीं योजना (2002–07) में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास के एजेंट के रूप में 'महिलाओं के सशक्तीकरण' की रणनीति जारी है। इस उद्देश्य के लिए एक क्षेत्र निश्चित तिहरी रणनीति स्वीकार की गई है।

- **सामाजिक सशक्तीकरण** : महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न स्वीकारात्मक विकास नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए अनुकूल वातावरण बनाना और इसके अलावा उन्हें सभी बुनियादी न्यूनतम सेवाएं सरलता से और बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर सकें।
- **आर्थिक सशक्तीकरण** : (अग्रगामी और पिछड़े दोनों संबंधों के साथ) प्रशिक्षण और आय पैदा करने वाली गतिविधियों की इस अंतिम उद्देश्य के साथ व्यवस्था करना कि सभी महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हो जाएं।
- **भेदभाव की समाप्ति** : स्त्री–पुरुष संबंधी सभी किस्म के भेदभावों को समाप्त करना और इस प्रकार महिलाओं के लिए न केवल विधिसमस्त बल्कि सभी क्षेत्रों में बराबरी के साथ वास्तविक अधिकारों और मूल स्वतंत्रता यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नागरिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का उपभोग संभव बनाना।

सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय कर रही है :

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य विकास क्षेत्रों से 30 प्रतिशत निधियों का लाभ महिलाओं को मिले, महिला घटक योजना की एक विशेष रणनीति स्वीकार करना।
- महिलाओं को स्वावलंबी मंडलियों में संगठित करना, उन्हें सेवाओं से सज्जित करना और उनमें जागरूकता फैलाना एवं प्रशिक्षण, रोजगार ऋण के जरिए आय पैदा करना और छोटे उद्यमियों के विपणन संपर्क स्थापित करना; इंदिरा महिला योजना (इमयो) जिसे अब समन्वित महिला सशक्तीकरण परियोजना कहा जाता है और ग्रामीण महिला सशक्तीकरण और विकास शुरू किए गए हैं। नौवीं योजना के लक्ष्य 50000 में से 37000 से अधिक मंडलियां स्थापित की जा चुकी हैं जो लगभग 8 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा रही हैं।
- महिलाओं के विकसित हो रहे आधुनिक व्यापार की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल में प्रशिक्षित करना ताकि वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होने के साथ लाभप्रद कार्यों में व्यस्त रहें।
- महिला उद्यमियों के विकास बैंक की स्थापना करके छोटे क्षेत्र में महिलाओं के लिए ऋण सुविधा बढ़ाना। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय महिला कोष की अधिकृत पूंजी बढ़ाई जा रही है।

आय पैदा करने वाले कार्यक्रम

- प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन कृषि, हस्तशिल्प आदि परंपरागत क्षेत्रों में प्रशिक्षण, विस्तार, निविष्टि, बाजार से संपर्क आदि के जरिए कुशलता को बढ़ाने का व्यापक पैकेज प्रस्तुत करता है।
- महिलाओं का रोजगार और आय पैदा करने का प्रशिक्षण एवं उत्पादन केंद्र 18–45 वर्ष की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को नए गैर–परंपरागत व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- सामाजिक–आर्थिक कार्यक्रम जरूरतमंद महिलाओं को काम और मजदूरी देते हैं।
- शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के छोटे (संक्षिप्त) पाठ्यक्रम निरंतर शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के जरिए स्कूल छोड़ने वालों के लिए भविष्य में रोजगार के नए द्वार खोलते हैं।

अन्य गतिविधियां

भारत में महिलाओं में उद्यमशीलता का भाव विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से कुछ केवल महिलाओं के लिए हैं जबकि कुछ में पुरुष और महिलाओं दोनों को प्रवेश दिया जाता है। इस तरह की गतिविधियों में लगे संस्थानों को तीन मोटे वर्गों में विभक्त किया जा सकता है; (1) विशेष अध्ययन के संस्थान, जो प्रशिक्षण और उद्यमशीलता के विकास के लिए उत्तरदायी हैं – मुख्य रूप से छोटे और मझोले प्रतिष्ठानों में; (2) बैंक/वित्तीय संस्थाएं; और (3) सरकारी विभाग/एजेंसियां। पहले वर्ग में निम्नलिखित संस्थान शामिल हैं : इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ओनरशिप, गुवाहाटी; नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्माल इंडस्ट्रीज एक्सटेंशन ट्रेनिंग, हैदराबाद, और नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एंट्रेप्रेन्योर एंड स्माल बिजनेस डेवलपमेंट, नई

दिल्ली। लगभग सभी पब्लिक सेक्टर बैंक और प्रमुख वित्तीय संस्थान यानी स्माल इंडस्ट्री डेवलपमेंट 'बैंक आफ इंडिया', नाबार्ड आदि महिला उद्यमियों के लिए अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं। इसके अलावा केंद्र और सरकारों के विभिन्न मंत्रालय/विभाग समय–समय पर महिलाओं की कुशलता और आय बढ़ाने और आय पैदा करने के अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं।

देश में आर्थिक सुधारों के बाद गरीबी को समाप्त करने और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए महिलाओं को सशक्तीकरण जरूरी है। क्योंकि सामाजिक सशक्तीकरण में समय लग सकता है अतः महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर देना आवश्यक है। एक बार महिलाएं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाएं तो वे समाज और घरों पर अपनी निर्भरता को समाप्त कर देंगी। उद्यमशीलता का विकास अथवा आय पैदा करने वाली व्यावसायिक गतिविधियां महिलाओं के सशक्तीकरण का व्यावहारिक समाधान हैं। महिला उद्यमियों को जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है उन्हें देखते हुए महिला उद्यमशीलता के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं :

- महिला उद्यमियों को छोटे पैमाने पर काम शुरू करना चाहिए लेकिन उनकी सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। एक बार जब प्रारंभिक बाधाएं दूर हो जाएंगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे चुनौतियों का सामना कर सकेंगी और जोखिम उठा सकेंगी। बाद में वे अपने काम का विस्तार कर सकती हैं।
- उद्यम शुरू करने से पहले संबंधित व्यक्ति को उस उद्योग विशेष का ज्ञान या उसमें कुशलता होनी चाहिए।
- उद्यम शुरू करने से पहले उसका व्यावहारिक अध्ययन और जोखिम का मूल्यांकन करा लेना चाहिए।
- उद्यम शुरू करने से पहले प्रारंभिक पूंजी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
- आसानी से उपलब्ध संसाधनों (भौतिक और मानवीय दोनों) का उपयोग करें।
- प्रारंभ में किसी कंपनी का माल बेचने, माल सप्लाई करने का काम बेहतर होगा।
- सामान की बिक्री का अधिकार किसी विशेषज्ञ एजेंसी को दिया जा सकता है। किसी वर्तमान कंपनी से सहयोग हमेशा बेहतर होता है।
- अगर व्यक्तिगत उद्यम शुरू करना लाभप्रद नहीं है तो महिलाएं स्वावलंबी टोलियां या सहकारी समितियां भी बना सकती हैं। ❑

(लेखिका राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली से संबद्ध हैं।)

IAS/PCS - 2005-06
Prelims/Mains हिन्दी माध्यम
सर्वाधिक लोकप्रिय संस्थान
समाज शास्त्र
द्वारा धर्मेन्द्र
'SYNONYM OF SOCIOLOGY'
रूपरेखा :
* अध्यापन की शुरुआत सतही रूप से।
* सभी छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान।
* सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का वैज्ञानिक संरचना।
* ईक्नॉमिकल एवं पालिटिक्स वीक्ली, योजना एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के सूचनाओं से समृद्ध क्लांस नोट्स।
* पर्याप्त लेखन अभ्यास।
* नवीनतम समाज शास्त्रीय अध्ययन विवेचना के साथ।
पत्राचार उपलब्ध IAS/PCS/UGC-NET के लिए :
1. ईक्नॉमिक एवं पालिटिकल वीक्ली, योजना एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय के सूचनाओं से समृद्ध क्लांस नोट्स।
2. 10 वर्षों के प्रश्नपत्र का विश्लेषण।
3. मॉडल उत्तर।
4. स्टडीज का विवरण।
5. लेखन कला पर विशेष सूचना / बुकलेट।
बैच प्रारम्भ : UPPCS परीक्षा के बाद
Correspondence Fees : 2500 (P+M) & 2000 (M)
DD in favour of Dharmendra Kumar payable at Delhi.
मनोविज्ञान
द्वारा ओ.पी. चौधरी
हिन्दी माध्यम में भी सफलता की ओर अग्रसर 'अग्रणी पहलकर्त्ता'
VIPUL GOYAL = 341 (2002, UPSC)
AMIT MISRA = SDM (UPPCS 2000), SDM (MPPCS 1999)
विषय के बारे में :
* पृष्टभूमि की आवश्यकता नहीं।
* प्रथम पत्र के साथ-साथ द्वितीय पत्र में भी 180+/300 स्तर का अंक प्राप्त करना संभव क्योंकि द्वितीय पत्र में आधे यूनिट तकनीकी/अवधारणात्मक।
* सम्पूर्ण पाठ्यक्रम 800 पृष्ट में समाहित।
* गैप की सुविधा।
* अत्यंत रूचिपूर्ण एवं बोधगम्य विषय।
नोट : * अंग्रेजी के समतुल्य पूर्णतः परिभार्जित सामग्री हिन्दी में उपलब्ध * पत्राचार उपलब्ध।
सा0 अध्ययन धर्मेंद्र, ओ.पी. चौधरी एवं टीम
नामांकन प्रारंभ
Compulsory/Spoken English
by PANKAJ K. SINGH
For all competitive exams including IAS/PCS/Judicial Exam
AAS
AN IAS ACADEMY
302, A-12-13, Top Floor, Ansal Building, Mukherjee Nagar, Delhi-9.
Ph.: 55152590 Cell.: 9891567782, 9312280722

IAS/PCS

लोक प्रशासन
by
अशोक कु० दुबे

इतिहास
एक नवीन रूप में .....
दिल्ली विश्वविद्यालय के गणमान्य प्राध्यापकों द्वारा

Introducing .....
समाजशास्त्र
by
Renowned Faculty

राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम
NCTP
(National Corr. Training Programme)

G.S.
Ashok Kr. Dubey & Team
Modular :-
Sc. & Tech. + Gen. Science by
R. Mrityunjay

HOSTEL FACILITY
SC/ST/OBC/HC/WOMAN के लिए शुल्क में विशेष रियायत

Registration Open

भारतीय अर्थव्यवस्था
by
K. Bashar

संस्थान का बढ़ता कद

PRELIM BATCH 18th Jan. 2005

प्रशासनिक अध्ययन संस्थान
Institute of Administrative Studies

102/B-14, Ist Floor, Commercial. Complex, Near HDFC ATM, Mukherjee Nagar, Delhi-9 Ph. 27651002, 9312399055, 9811291166

दसवीं योजना – मध्यावधि समीक्षा

कृषि पर जोर

मध्यावधि योजना समीक्षा में और बातों के अलावा अनाज आधारित उत्पादन–क्षेत्रों से अलग कृषि–क्षेत्रों के विविधीकरण और संबद्ध कृषि–उत्पादनों के क्षेत्रों के विकास के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है।

योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने आशंका व्यक्त की है कि कृषि विकास की वर्तमान दर 1.8 प्रतिशत को जब तक दुगना नहीं किया जाता, 8 प्रतिशत की विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है। कृषि–उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दिलाते हुए श्री अहलूवालिया ने दसवीं योजना की प्राथमिकताओं में बड़े पैमाने पर फेर–बदल की आवश्यकता पर जोर दिया।

नई दिल्ली में भारतीय आर्थिक शीर्ष बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर कृषि विकास के लिए कानून और नीति में परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचा तथा स्थानीय अधिकारियों में दायित्व–बोध ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बल पर ही दसवीं योजना में सात से आठ प्रतिशत की लक्ष्य–प्राप्ति संभव है।

कृषि के क्षेत्र में उच्चतर विकास पर जोर देते हुए उपाध्यक्ष ने अनाज–आधारित कृषि उपज को जारी रखने से अलग कृषि के विविधीकरण की वकालत की। योजना आयोग द्वारा मध्यावधि समीक्षा में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इसके अंतर्गत नीति को व्यापक बनाने, मुर्गी पालन, मछली पालन, पशु पालन, बागवानी, फल–फूल और सब्जियों – जैसे संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए विशिष्ट मानचित्र तैयार करना शामिल है।

उन्होंने इस बात की खास तौर से चर्चा की कि कृषि–विकास की दर 1990 के मध्य में 3.8 प्रतिशत से घटकर अभी 1.8 प्रतिशत रह गई है। श्री अहलूवालिया ने कहा कि "दृष्टिकोण में बिना आमूल परिवर्तन के कृषि–उत्पादन में दुगनी वृद्धि कठिन है।" उनका विचार था कि राज्य सरकारों के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वे 'विविधीकरण विकास की प्रक्रिया के आधार पर कृषि–उपज बढ़ाने के लिए मौजूदा कानून और नीति में निश्चित परिवर्तन लाने का कार्य हाथ में लें। सहकारी खेती के प्रतिरोध का सामना करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और परिणामतः कानून में परिवर्तन अनिवार्य है।

कृषि उपज की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध कराने के वास्ते निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है जिसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिवर्तन करना होगा।

उपाध्यक्ष का यह विचार भी था कि कृषि के लिए आवंटित धनराशि सिंचाई, संपर्क मार्ग – जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर खर्च की जानी चाहिए न कि उसका उपयोग कृषि–संबंधी अनुदानों पर होना चाहिए।

उनका यह भी कहना था कि धनराशि में वृद्धि के साथ–साथ सेवा प्रदान करने वाली प्रक्रिया में सुधार के लिए स्थानीय सरकार को उत्तरदायी बनाना होगा।

श्री अहलूवालिया ने कहा कि सरकार के समक्ष सामाजिक क्षेत्र, कृषि और मूलभूत सुविधाओं का विकास – ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें उच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा उच्चतर प्रगति की मानवीय उन्नति में सुधार के सूचक हैं।

आधारभूत सुविधाओं की कमी दूर करने लिए भारत में विशेष उपायों की आवश्यकता है जिनके लिए सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों का योगदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और संचार की व्यवस्था तथा शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार के लिए पूंजी निवेश आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसका अधिकतर हिस्सा निजी क्षेत्रों को ही उठाना चाहिए। ❑

योजना भवन और 'योजना' की यादें

○ एच.वाई. शारदा प्रसाद

हमने 'योजना' के उद्देश्य को इन शब्दों में परिभाषित किया – 'योजना' पत्रिका पंचवर्षीय योजना के अर्थ और संदेश को जन–जन तक पहुंचा कर इसकी सेवा करना चाहती है। इसका उद्देश्य लोगों को हमारी प्रगति की कहानी की जानकारी देना, कमियों की ओर संकेत करना, मुद्दों पर खुली बहस को प्रेरित करना तथा विकास की कठिनाइयों का वस्तुनिष्ठ विवेचन करना, विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच बौद्धिक संवाद स्थापित करना तथा अन्य पत्र–पत्रिकाओं के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण सामग्री सुलभ कराना है।

'योजना' के पहले संपादक लेखक खुशवंत सिंह थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यह पद स्वीकार करने का उनका एक मुख्य कारण था कि वह पूरे देश का भ्रमण कर सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की प्रगति, बांधों, कल–कारखानों और ग्रामीण दवाखानों को देख सकेंगे तथा उन्हें छोटे कस्बों और गांवों में ठहरने के अवसर प्राप्त होंगे। इस तरह उन्हें पूरे देश को देखने–समझने का मौका मिलेगा।

श्री खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा के इस दौर के विवरण का शीर्षक दिया है – 'डिस्कवरी आफ इंडिया' (भारत की खोज) और यह सही भी है। जब 'योजना' का मुख्य प्रचारक ही मूल 'डिस्कवरी आफ इंडिया' का लेखक रहा हो तो अन्य प्रचारकों के लिए ज्यादा करने को क्या बचा होगा! इसके अलावा उस समय पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को सभी दलों और वर्गों का सर्वशक्ति से समर्थन प्राप्त था।

श्री खुशवंत सिंह ने प्रतिभावान फोटोग्राफर टी.एस. नागराजन के सहयोग से एक बहुत रोचक और पठनीय पत्रिका प्रस्तुत की यहां यह की बता दें कि

'योजना' के पूर्व संपादक एच.वाई. शारदा प्रसाद

'योजना' में खुशवंत सिंह ने वे नुस्खे नहीं आजमाए थे जो उन्होंने बाद में अन्य पत्रिकाओं में आजमाए। 'योजना' उस समय अखबारी कागज पर टेबलॉयड आकार में छपती थी। लेकिन पहले संपादक का यह सपना पूरा नहीं हो सका कि उसकी पत्रिका आम लोगों की चर्चा का विषय बन जाएगी। इसका मुख्य कारण था कि सरकार 'योजना' पत्रिका के वितरण का कोई नेटवर्क नहीं बना सकी। मुफ्त वितरण के लिए रखी गई प्रतियों को भी डाक में डालना संभव नहीं हो पाता था। दो वर्ष तक यह हताशापूर्ण स्थिति झेलने के बाद खुशवंत सिंह ने 1959 के अंत में पत्रिका छोड़ दी।

उनकी जगह मैं आया। संस्कारों और स्वभाव में मैं उनसे बिल्कुल अलग था। मुझ जैसा एक पेशेवर अखबारकर्मी ज्यादा भ्रम नहीं पालता इसलिए उसे भ्रम टूटने की पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ती। मैं यह नहीं कहता कि खुशवंत सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में मैंने वे सभी काम कर दिखाए जिनमें वह नाकाम हो गए थे, फिर भी मैं अपने काम से संतुष्ट था। मैंने खुशवंत सिंह द्वारा शुरू की गई बहुत–सी लेखमालाओं, स्तंभों को जारी रखा और रिपोर्ट, विवरण तथा वार्तालाप की शैली पर बल को भी बनाए रखा। पर मैंने बहस और परिचर्चा को अधिक स्थान दिया। ऐसा स्वाभाविक था क्योंकि पंचवर्षीय योजना स्वयं में बहस और विवाद का एक बड़ा विषय बनती जा रही थी। योजना भवन को भी आलोचना और आरोप का सामना करना पड़ रहा था। और तो और देश के तत्कालीन वित्तमंत्री टी.टी.

कृष्णमाचारी जैसे व्यक्ति ने कह दिया कि योजना आयोग ने जितना कागज नष्ट किया है उससे भारत एक और जहाज उतार सकता था। कुछ आलोचक ऐसे थे जो आयोग को "तरलोक सभा" कहा करते थे। यह कटाक्ष आयोग के लिए समर्पित तरलोक सिंह को लेकर भी था और इसके मुख्यालय की संसद भवन (लोक सभा) से निकटता को लेकर भी था। ऐसे आलोचक तरलोक सभा का व्यंग्य कर आयोग के संविधानेतर स्वरूप पर भी कटाक्ष करते थे।

मुझे योजना भवन काम के लिए बड़ा सुसभ्य स्थान लगा। सरकारी कार्यालय होते हुए भी यहां का वातावरण कुछ विश्वविद्यालय जैसा था और यहां अन्य सरकारी कार्यालयों में व्याप्त वरिष्ठता कनिष्ठता का तनाव नहीं था। आयोग में कार्यरत ज्यादातर महिलाओं और पुरुषों के लिए विचार प्रमुख थे। उस समय वहां ऐसी कई अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हस्तियों से भी मुलाकात हो जाती थी जो योजनाकारों से मुलाकात करने आते थे, आयोग में परामर्श देने के लिए बुलाए गए होते थे। मुझे ऐसी ही मुलाकातों में प्रो. रोजेस्टिन रोडान, जॉन राबिनसन और अल्वा मिर्डाल जैसे अर्थशास्त्रियों तथा डा. पाल एप्लेबी तथा नार्मन बोर्लाग जैसी महान हस्तियों से हुई बातचीत अब भी याद है। योजना आयोग में उस समय आए सभी उपाध्यक्ष, चाहे वह सर टी.टी. कृष्णमाचारी रहे हों या गुलजारी लाल नंदा या फिर अशोक मेहता, सबसे आराम से मिला जा सकता था। तरलोक सिंह हमेशा ही मदद के लिए तैयार रहते थे।

योजना भवन के लोगों में से कइयों के साथ मेरी मित्रता हुई और वह लंबी निभी। ऐसे मित्रों में मैं पीतांबर पंत, के. एन. राज, एस.आर. सेन, के.एस. कृष्णस्वामी, ए. वैद्यनाथन, टी.एन. श्रीनिवासन और बी.एस. मिन्हास जैसे कुछ लोगों का नाम जरूर लूंगा। इन लोगों ने देश की समस्याओं को और अच्छी तरह समझने में मेरी मदद की। मैंने देश भर के अच्छे–अच्छे विद्वानों और लेखकों से 'योजना' के लिए लिखवाया। एक बार 'इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली' के संस्थापक सचिन चौधरी ने मजाक में कहा था कि उनकी पत्रिका में लिखने वाले सभी लोगों को 'योजना' अपनी ओर खींचे जा रही है। उस समय 'योजना' को प्रतिष्ठा दिलाने वालों में मैं एस. श्रीनिवासचार, शीला धर, एम.ए. हुसैनी, अम्मू कृष्णस्वामी और एस.के. पार्धी का नाम लेना चाहूंगा। ये सभी सहायक संपादक थे। इस सूची में फोटोग्राफर टी. एस. नागराजन नाम का भी शामिल है। मुझे यहां आई.ई. सोरेस का नाम भी नहीं भूलना चाहिए जिनका अभी पिछले दिनों निधन हुआ। वह योजना आयोग में शोध अधिकारी थे पर उन्होंने अपने को 'योजना' पत्रिका परिवार से जोड़ दिया था।

चूंकि 'योजना' एक संदर्भ–पत्र बन गया था इसलिए इसको 'ब्लिट्ज' साप्ताहिक के आकार की बजाय एक पत्रिका का रूप देने का फैसला किया गया ताकि इसे जिल्द में बंधवाकर संग्रह करने में सुविधा हो। विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग तथा अखबारों के कार्यालयों में यह पत्रिका अनिवार्य रूप से पढ़ी जाती थी। हमने 'योजना' के उद्देश्य को इन शब्दों में परिभाषित किया – 'योजना' पत्रिका पंचवर्षीय योजना के अर्थ और संदेश को जन–जन तक पहुंचा कर इसकी सेवा करना चाहती है। इसका उद्देश्य लोगों को हमारी प्रगति की कहानी की जानकारी देना, कमियों की ओर संकेत करना, मुद्दों पर खुली बहस को प्रेरित करना तथा विकास की कठिनाइयों का वस्तुनिष्ठ विवेचन करना, विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों के बीच बौद्धिक संवाद स्थापित करना तथा अन्य पत्र–पत्रिकाओं के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण सामग्री सुलभ कराना है।

उद्देश्यों की यह घोषणा कोई कोरे शब्द नहीं थे। मुझे याद है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर 'योजना' के एक विशेषांक में एक लेख में कहा गया था कि वह मसौदा किसी ललकार के बिना लड़ाई में उतरने के समान है। इस लेख को पं. जवाहर लाल नेहरू ने इतनी गंभीरता से लिया कि उन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना का परिचय अपने हाथों से लिखा। बाद में मुझे पंडित जी के एक निजी सचिव ने बताया कि 'योजना' उन पत्र–पत्रिकाओं में थी जिन्हें आते ही नेहरू जी अपनी मेज पर देखना चाहते थे।

मुझसे कई बार पूछा जाता है कि मैं एक सरकारी पत्रिका में सरकार की आलोचना करने वाले लेख कैसे प्रकाशित कर देता था। इस संबंध में मेरा उत्तर है कि मैं इस बारे में किसी की अनुमति नहीं लेता था। सलाह के साथ एक दिक्कत यह है कि यह मांगते ही मिल जाती है और मंजूरी के मामले में बात उल्टी है। मंजूरी मांगिए और वह रोक ली जाएगी। इसका एक अर्थ यह निकाला जा सकता है कि इस देश के शासक हमेशा ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास करने वाले रहे हैं।

मैं यहां एक और तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा। 'योजना' के संपादक के रूप में मैंने एक नियम बना दिया था कि पत्रिका में किसी मंत्री या अधिकारी या किसी उद्घाटन समारोह की तस्वीरें नहीं छपेंगी। खुशवंत सिंह के समय में भी यही था। मेरा एक और नियम था कि मेरे समय में बिना आमंत्रण के मिला कोई लेख मैं प्रकाशित नहीं करता था। फिर वह लेख चाहे कितने ही ऊंचे व्यक्ति का क्यों न हो। 'योजना' में मैंने नेहरू जी का फोटो केवल एक बार प्रकाशित किया था, वह भी तब जब कि उनका निधन हुआ था।

हमने राष्ट्र निर्माण में अनेक साधारण और अनजाने लोगों के योगदान की कहानियां लिखीं। हमारा मानना था कि विकास केवल आर्थिक प्रगति तक ही सीमित नहीं है। ❑

('योजना' के पूर्व संपादक श्री एच.वाई. शारदा प्रसाद अनेक प्रधानमंत्रियों के साथ सूचना सलाहकार भी रहे हैं)

कृषि नीति : बदलता प्रतिमान

○ समर के. दत्ता और आर.एल. शियानी

विस्तार और अनुसंधान सेवाओं के बीच के संपर्क को सुदृढ़ करने की जरूरत है ताकि किसानों की जरूरतों के बारे में अनुसंधान कर्त्ताओं को, और नई प्रौद्योगिकियों के बारे में किसानों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। पचास के दशक के शुरू में सिर्फ 51 लाख टन वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन से लेकर इस सदी के अंत तक 2060 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन तक पहुंचने में कृषि क्षेत्र ने खाद्यान्न के मामले में स्वालंबन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है और भारत में खाद्यान्न का अभाव नहीं होने दिया है।

स्वतंत्र भारत के आर्थिक पुनर्निर्माण की आधारशिला बनाने का विचार पहली बार फरवरी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रकट किया था। इसके फलस्वरूप आजाद भारत में प्रथम योजना आयोग 1950 में गठित किया गया था। अर्थव्यवस्था की जरूरतों पर आधारित योजना बनाने की प्रक्रिया का महत्व विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अध्ययन से साफ हो जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में आर्थिक स्थिरता पर जोर डाला गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी एवं बुनियादी उद्योगों पर जोर डाला गया। तीसरी एवं चौथी योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। अर्थव्यवस्था से सर्वसाधारण को होने वाले लाभ तथा गरीबी उन्मूलन के पक्ष पर पांचवीं योजना में विशेष गौर किया गया। छठी योजना में रोजगार संबंधी स्कीमों एवं कार्यक्रमों पर जोर डाला गया जो पांचवीं योजना के प्रयासों की एक कड़ी थी। सातवीं योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर जोर डाला गया। आठवीं योजना में जिन बातों पर जोर दिया गया वे थीं– विकेन्द्रीकरण, सहकारी संघवाद और गरीबी उन्मूलन की अधिक विवेकसम्मत पद्धति।

दसवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गई है जिसमें नई सहस्राब्दी के प्रारंभ में पिछली उपलब्धियों के आधार पर निर्माण करने का सुअवसर उपलब्ध होगा, परन्तु पिछली कमजोरियों को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दसवीं योजना में उन प्रयासों को सुदृढ़ किया जाएगा जो प्रभावकारी रहे हैं और पिछली विफलताओं से बचने का प्रयास भी किया जाएगा। इस तरह सिर्फ संसाधन योजना की बजाय एक सुधार योजना अवश्य बननी चाहिए।

कृषि विकास को दसवीं योजना के मुख्य अंश के रूप में अवश्य लिया जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र के विकास में लाभों का प्रसार, खासकर ग्रामीण गरीबों तक होगा। इनमें खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में निवेशों का स्त्री–पुरुष समानता की दृष्टि से भी बहुआयामी महत्व है क्योंकि कृषि क्षेत्र में ज्यादातर महिला श्रमिक काम करती हैं। भारत ने पहली बार अपनी राष्ट्रीय कृषि नीति पर अमल शुरू किया है। इसके साथ ही इस देश का भविष्य पूर्व की नीतियों से हटकर काफी भिन्न तरीके से निरूपित करने का भारत ने फैसला किया है। नई सहस्राब्दी की शुरुआत भारत की कृषि नीति की समीक्षा का एक उपयुक्त मौका है।

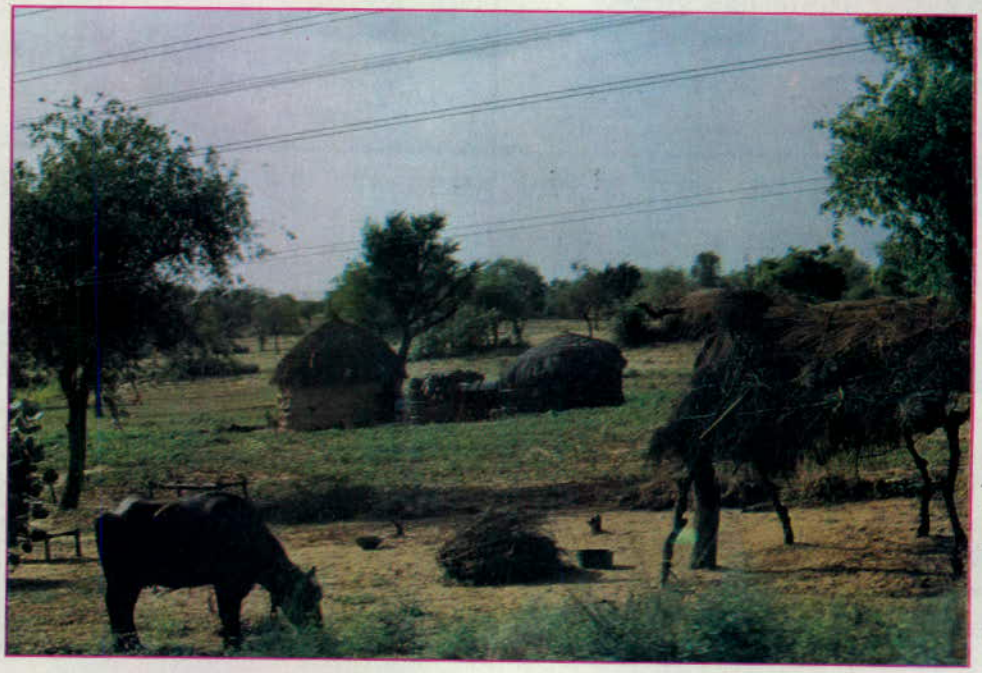

चुनौतियों का ठीक ढंग से

आप हमारे साथ परिश्रम करें, हम आप पर आपसे ज्यादा परिश्रम करते हैं।

इतिहास
रजनीश राज

पिछले वर्ष हमारे यहाँ से 15 छात्रों ने 325 से 360 के बीच अंक प्राप्त किए।

P.T.

तथ्यों के अम्बार से नहीं, तकनीकी स्तर पर तैयारी। कैसे?

- प्रति अध्याय प्रश्न पूछने की प्रवृति का विश्लेषण और टेस्ट।
- प्रत्येक 3 टॉपिक पर एक टेस्ट।
- प्राचीन/मध्यकालीन और आधुनिक भारत पर पृथक टेस्ट।
- स्रोत/प्रशासन/समाज/अर्थव्यवस्था/धर्म/संस्कृति प्रत्येक पर पृथक टेस्ट।
- कक्षा समाप्त होने पर पूरे पाठ्यक्रम पर टेस्ट
- प्रत्येक अध्याय का विशद विश्लेषण।
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर पुनरावलोकन।

मेन्स

हम आपको प्रशासक बनाते हैं, इतिहासकार नहीं। कैसे?

- इतिहास के साथ ही इतिहास दर्शन का विश्लेषण।
- पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र सहित प्रति अध्याय 10 प्रश्नों के उत्तर की संरचनागत व्याख्या।
- मॉडल उत्तर लिखवाना।
- सावधिक और आकस्मिक टेस्ट।
- पुनरावलोकन के लिए पृथक कक्षा

सामग्री :- मेन्स और P.T. दोनों के लिए उच्चस्तरीय एवं परीक्षोपयोगी सामग्री।

- पढ़ाई व लेखन सम्बन्धी रणनीति पुस्तिका।
- प्रश्न पत्र संकलन।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए निःशुल्क कार्यशाला : 15 जनवरी प्रातः 11 बजे

नामांकन प्रारम्भ

SIHANTA IAS

632, Mukherjee Nagar, Delhi-9
(Near Aggarwal Sweets)

9873399588

सामना करने के लिए जरूरी है कि कृषि नीति में इस बात की साफ–साफ चर्चा होनी चाहिए कि भारतीय और विश्व अर्थव्यवस्था में इस परिवर्तन के मद्देनजर सरकार की क्या भूमिका होगी। भारत अब एक मजबूत और प्रभावकारी निजी क्षेत्र बन गया है। इसलिए यह बात साफ है कि भविष्य में विकास काफी हद तक निजी क्षेत्र के कार्य संपादन पर निर्भर करेगा, इसलिए हमारी नीतियां अवश्य ही ऐसी होनी चाहिए जिससे इस प्रकार के विकास के अनुकूल माहौल बने। फिर भी सरकार को एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, परन्तु यह पिछली बार से भिन्न होगी।

जहां तक सेवा क्षेत्र, ग्रामीण संरचना विकास, सड़क विकास आदि का सवाल है, उपभोक्ताओं के प्रति निष्पक्ष व्यवहार, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक आधुनिक नियामक प्रणाली के सृजन एवं उसके रख–रखाव तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद बदली परिस्थितियों को परिलक्षित करने के लिए सरकार की भूमिका की नई परिभाषा भावी कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष होगा।

देश की प्रतियोगिता की क्षमता तीन व्यापक कसौटियों पर तय होती है : (1) प्रौद्योगिकी (2) सार्वजनिक संस्थाएं, और (3) वृहत आर्थिक स्थिरता। सार्वजनिक संस्थाओं से प्रशासन के स्तर का पता चलता है। क्या व्यापक भ्रष्टाचार कायम है? क्या फैसला सुनाने के मामले में अदालतें ईमानदार एवं निष्पक्ष हैं? क्या प्रतिबद्धताओं के लिए सरकार पर भरोसा किया जा सकता है? सुसंचालित सार्वजनिक संस्थाओं वाले देश में भ्रष्टाचार से लिप्त देशों की अपेक्षा आर्थिक विकास की ऊंची दर है। उच्च नैतिक स्तर से बेहतर आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलता है। इस मामले में उत्तरी यूरोप विश्व में शीर्ष स्थान पर है। फिनलैंड, आयरलैंड तथा डेनमार्क तीसरे से प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं? इन देशों में भ्रष्टाचार कहीं नहीं दिखता।

कृषि क्षेत्र जटिल है और कृषि संबंधी जलवायु को स्थिति, फसल पद्धति और ऊपज के स्तर में हर राज्य में विषमता की स्थिति से प्रभावित होता है। निकट परस्पर क्षेत्रीय संबंध के मद्देनजर कृषि संबंधी राष्ट्रीय नीति को व्यापक होना चाहिए और वृहत् आर्थिक ढांचे में ढला होना चाहिए। भारत सरकार ने हाल ही में एक राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की है। इसका मकसद कृषि क्षेत्र में 4 से ज्यादा वार्षिक विकास दर हासिल करना, संसाधन का कुशल उपयोग, अपनी संरक्षित मिट्टी, जल और जैव–विविधता को संरक्षित करना, समानता के साथ विकास और ऐसा विकास जो प्रौद्योगिकी, पर्यावरण की दृष्टि और आर्थिक रूप से स्थिर हो। नीतिगत दस्तावेज में प्रतिपादित विषयवस्तुएं प्रभावकारी हैं, जिनमें ज्ञात मुद्दों के सारे आयामों को शामिल किया गया है, परन्तु इसके निहित मकसद की चर्चा के बिना ही आम चर्चा की गई है। नीतिगत बयान में संपत्ति संबंधी अधिकार और सुशासन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का सही ढंग से आकलन नहीं किया गया है। इस मुद्दे के प्रति लोगों का रुख इस दस्तावेज का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है।

भारतीय कृषि भूमि सुधार के मामले में एक चौराहे पर खड़ी है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित टास्क फोर्स ने सिफारिश की है कि निम्न स्तर की जमीन में खेती के लिए निजी क्षेत्र अथवा सरकारी समितियों की इजाजत दे दी जानी चाहिए और नियमित खेती को भू–हदबंदी कानून के दायरे से बाहर कर देना चाहिए।

कृषि संबंधी राष्ट्रीय नीति में भारतीय कृषि की विकास संबंधी भारी संभावनाओं के उपयोग की कोशिश की गई है। इसका मकसद कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत विकास दर से अतिरिक्त विकास दर प्राप्त करना है जो संसाधनों के कुशल उपयोग और मिट्टी, जल एवं जैव–विविधता के संरक्षण पर आधारित है।

इसका इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है कि टिकाऊ तरीके से भूमि की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। व्यापक भू–उपयोग नीति बनाई जानी चाहिए ताकि वर्तमान बिना जोत वाली जमीन का उत्पादक प्रयोग किया जा सके। यह नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें मालिकाना स्थिति और संस्थागत ढांचे की पूरी रूपरेखा हो। बिना जोत वाली जमीन को महिला समूहों को पट्टे पर देकर तथा बटाईदारी की व्यवस्था कर महिलाओं की उत्पादनशील भूमि तक पहुंच बढ़ाकर, बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए सामूहिक खेती को प्रोत्साहन देकर तथा कम उपज वाली खेती में लगी महिलाओं को नीतिगत प्रोत्साहन देकर घरेलू खाद्य सुरक्षा तथा महिला सहकारिता के जरिए महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचाया जा सकता है।

भारतीय कृषि भूमि सुधार के मामले में एक चौराहे पर खड़ी है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा स्थापित टास्क फोर्स ने सिफारिश की है कि निम्न स्तर की जमीन में खेती के लिए निजी क्षेत्र अथवा सरकारी समितियों की इजाजत दे दी जानी चाहिए और नियमित खेती को भू–हदबंदी कानून के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। गुजरात

सरकार ने खेती योग्य जमीन को औद्योगिक विकास के मकसद से गैर–कृषि भूमि में बदलने पर लगी रोक हटा दी है। परन्तु स्व. प्रोफेसर एम.एल.दांतवाला ने इस बात पर जोर दिया था है कि खेती योग्य जमीन को तब तक गैर–खेती की जमीन में नहीं बदला जाना चाहिए जब तक वैसा ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करना जरूरी न हो।

बहु फसली तथा फसल बदल–बदल कर फसल की सघनता बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बंजर, कम उपजाऊ भूमि को उर्वरा बनाने तथा समस्याग्रस्त भूमि की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उसके उत्पादक उपयोग को तेज किया जा सके। जिन इलाकों में बदल–बदलकर खेती की जा सकती है उनको उचित महत्व दिया जाना चाहिए। जलाशयों के आधार पर जल संसाधनों के प्रबंधन तथा कृषि एवं वास्तविक उपभोक्ताओं के सहयोग से कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देकर जैव उर्वरक (बायोमास) के उत्पादन को बढ़ाने के काम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

भारत में भूमि सुधार का कोई ठोस काम नहीं हुआ है। नई प्रौद्योगिकी बहुसंख्यक किसानों के प्रति पक्षपातपूर्ण है और खेतीहर श्रमिकों के खिलाफ है, जिससे असमानता बढ़ी है। भूमि सुधार से मामूली लाभ हुआ है, सिर्फ जमींदारी उन्मूलन एवं लगान के नियमितीकरण को छोड़कर, यहां तक कि केरल एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भूवितरण का अनुपात मामूली है। क्षेत्रीय विषमता और वर्षा पर आधारित एवं सिंचित खेती के बीच विषमता की ओर नई नीति में पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

खेती की जमीन से संबंधित संपत्ति के अधिकार का स्वरूप विश्व के सारे देशों में व्यापक स्तर पर अलग–अलग हैं। सरकारों और समुदायों दोनों ने इन अधिकारों को परिभाषित करने के लिए अपनी–अपनी संस्थाएं बना रखी हैं। उजबेकिस्तान जैसे कुछ देशों में सारी जमीन पर सरकार का एकाधिकार है। चीन में भूमि का निजी स्वामित्व प्रतिबंधित है। सरकारी नियमों के तहत सिर्फ 15 साल के लिए नागरिकों को निजी रूप से जमीन पट्टे पर दी जाती है। इसी तरह हालांकि मध्य एशियाई देशों में निजी स्वामित्व प्रतिबंधित है, कुछ सरकारों ने राज्य की संपत्ति के उपयोग के संबंध में सुपरिभाषित तथा अक्सर संहिताबद्ध अधिकार दे रखा है और उनके संचालन के लिए संगठन बना रखा है। अनेक अफ्रीकी देशों में सामुदायिक रूप से नियमित संपत्ति पर लोगों को व्यक्तिगत उपयोग का अनौपचारिक तौर पर अधिकार है। दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों में भू–काश्तकारी हस्तांतरणीय है, परंतु अनिश्चित संस्थागत व्यवस्थाओं के कारण मालिकाना हक के लिए अक्सर झगड़े होते रहते हैं और सरकार द्वारा भूमि की जब्ती की सुविधा के कारण कुछ इलाकों में असुरक्षा की भावना कायम है। सरकार द्वारा औपचारिक रूप से लागू संपत्ति के अधिकार संबंधी प्रणाली की जरूरत है ताकि उन स्थानों पर भूमि विवाद कम हो सके जहां जनसंख्या में वृद्धि और कृषि उपज की मांग से भूमि पर प्रतिस्पर्द्धा संबंधी दबाव बढ़ जाता है अथवा जहां समुदाय से बाहर के लोगों के साथ सौदेबाजी आम बात हो गई है। सुदूरवर्ती जमीन को बाजार से जोड़ने वाली बेहतर बुनियादी सेवा भी औपचारिक संस्थाओं के लिए मांग को बढ़ावा देती है, जिससे संपत्ति संबंधी अधिकारों की रूपरेखा तैयार होती है और उनको लागू किया जाता है, जैसाकि ब्राजील में होता है। सुनिश्चित भू–काश्तकारी की व्यवस्था से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है क्योंकि तब कम कुशल किसानों के हाथ में जमीन का हस्तांतरण संभव होगा। बेहतर भू–काश्तकारी से ऋण की सुविधा और बढ़ जाएगी, क्योंकि तब जमीन के आधार पर ऋण मिल सकेगा। अनेक विकासशील देशों में भू–विपणन व्यवस्था शायद ही स्वतंत्र रूप से काम करती है और कम पारदर्शिता तथा सीमित प्रशासनिक क्षमता के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। भू–हस्तांतरण की इन लागतों को कम करना भी एशिया के कुछ खास हिस्सों में खासकर दक्षिण एशिया में खास महत्व का काम है, क्योंकि वहां विकसित हो रहे भू–बाजार से, जमीन के टुकड़ों में बंटने से रोके जाने के कारण उत्पादकता में वृद्धि होगी। दीर्घकालीन आधार पर जमीन को पट्टे पर देने की अवधारणा भी कुछ हद तक लाभकारी हो सकती है क्योंकि इससे खेती एक लाभकारी व्यवसाय का रूप ले सकती है।

औपचारिक भू–बाजार संस्थाएं भी स्थापित की जा सकती है जिसमें भूमि संबंधी रजिस्टरी, अधिकार संबंधी सेवा, और भू–पैमाइश शामिल हैं। भू–रजिस्ट्री से संपत्ति के अधिकार संबंधी सूचना की केन्द्रीय समस्या के समाधान में मदद मिलेगी, क्योंकि वहां अधिकार संबंधी सूचना दायर होती हैं। निजी क्षेत्र भी भू–रजिस्ट्री के अनेक कार्यों में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। साथ ही जनता को कम लागत पर व्यापक मालिकाना साक्ष्य उपलब्ध कराने के काम को सुनिश्चित करने में सरकार की प्रमुख भूमिका होती है। सरकार द्वारा एक प्राधिकार स्थापित करने की भी जरूरत है जो भूमि संबंधी रजिस्टर का निष्पक्ष ढंग से रख–रखाव सुनिश्चित करेगा, और ऐसी पद्धति निरूपित करेगा जिसके आधार पर पूरे कार्य क्षेत्र के लिए एक रजिस्टर तैयार होगा और उसके बाद के भू–हस्तांक्षरण उसमें दर्ज होंगे। पर्याप्त सर्वेक्षण कर्मचारियों की व्यवस्था की भी जरूरत है ताकि भू–पंजीयन की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी न हो। भू–रिकार्ड का कंप्यूटरीकरण भी भू–पहचान तथा उसकी हस्तांतरण प्रक्रिया

को सरल बना सकता है। आंध्र प्रदेश ने इसके लिए एक अच्छा उदाहरण कायम किया है। आंध्र प्रदेश के सारे भू–पंजीयन कार्यालयों में कंप्यूटरीकृत काउंटर हैं, जो कंप्यूटरयुक्त रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। यह व्यवस्था राज्य सरकार ने की है और उसकी वित्तीय व्यवस्था भी राज्य सरकार ने ही की है ताकि कुशलता बढ़ सके और कर–संग्रह बढ़ सके। करीब 387 सब–रजिस्ट्रारों के कार्यालयों में हर साल करीब 12 लाख दस्तावेजों का पंजीयन किया जाता है जिनमें 60 प्रतिशत कृषि भूमि होती है। भू–मूल्यांकन प्रक्रिया मानवीकरण और उसमें अधिक पारदर्शिता से स्टांप ड्यूटी संबंधी राजस्व में वृद्धि हुई है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का समय भी 10 दिन से घटकर एक घंटा हो गया है।

जल

खेती की उपज बढ़ाने के हमारे प्रयास में जल महत्वपूर्ण बाधक है। 1980 के दशक में गरीबी में ज्यादातर कमी पूर्वी भारत में धान का उत्पादन बढ़ने से हुई। भूमिगत जल विकास में वृद्धि से इस क्षेत्र में हरित क्रांति आई जबकि भूमिगत जल के सिर्फ 20 प्र.श. का ही उपयोग होता है। अभी उद्वाही सिंचाई वाले क्षेत्रों में पानी की पूर्ति एवं उपयोग के स्तर में भारी अनियमितता कायम है। पूरे ग्रामीणों में भूमि के बेहद बुरी तरह बंटे होने तथा नहर से सिंचाई के जल के आनुपातिक वितरण की नीति के चलते राज्यों के बीच सिंचाई के जल का वितरण बहुत असमान ढंग से होता है। खराब सिंचाई प्रणाली की संरचना और नीतियों की नकारात्मक बहिर्मुखता जल क्षेत्र के भीतर और बाहर कायम रहने से सिंचाई की स्थिति बदतर हो गई। कुछ कृषि प्रधान राज्यों में नहर प्रणाली का बहुत कम उपयोग होता है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश ही लें जहां नहरों से सिंचित जमीन का क्षेत्र सिर्फ 25.47 प्र.श. है जो सबसे कम है और यही स्थिति कायम रहने की संभावना है, जो सिंचाई एवं बाढ़–नियंत्रण के मद पर हो रहे आवंटन से स्पष्ट है। यह राशि 1996–97 में जहां 1434.1 करोड़ रुपये थी वह 2001–02 में घटकर 907 करोड़ रुपये हो गई। दसवीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण–पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि संसाधन एकमात्र समस्या नहीं है। अच्छी संभावना वाली सिंचाई परियोजनाएं उन क्षेत्रों में है जो या तो विकट हैं अथवा पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं, जिससे उन पर अमल में परेशानी होती है। बेहतर और अधिक सहभागिता वाली प्रबंधन व्यवस्था के माध्यम से हमारी वर्तमान सिंचाई संरचना की कुशलता में सुधार की काफी संभावना है।

किसी भी परियोजना की सफलता बहुत से उपभोक्ताओं के बीच आम सहमति तथा प्रबंधन की उनकी सामूहिक क्षमता पर निर्भर है। मूल्यांकन रिपोर्ट से पता चला है कि जलाशय परियोजनाएं परियोजना के लाभार्थियों की पूर्ण भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकतीं। साथ ही सामाजिक संगठनों के सतर्कतापूर्ण ध्यान देने का भी लाभ मिलेगा। नहरी जल के कम मूल्य निर्धारण से भी राज्य के सिंचाई विभागों को भारी आर्थिक घाटा हुआ। लोगों ने भी जल की कमी तथा जल उपयोग की कम क्षमता के महत्व को नहीं समझा।

सतही और भूमिगत जल के सम्मिलित उपयोग, जल की किस्म और कुछ इलाकों में भूमिगत जल में ह्रास की समस्या को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि बेतहाशा दोहन के फलस्वरूप भूमिगत जल के स्तर में कमी आई है। जल उपयोग की कुशलता बढ़ाने तथा उत्पादन सुधारने के लिए नमी बढ़ाने की प्रबंधन तकनीक, जल संग्रह ढांचा और उपयुक्त जल वहन प्रणाली की नितांत आवश्यकता है। चूंकि भारत में फसल से आच्छादित दो तिहाई इलाका वर्षा पर निर्भर है, इसलिए वर्षा पर आधारित खेती के लिए एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य मूलक योजना जरूरी है। यह काम जल संग्रहण दृष्टिकोण के आधार पर संभव है जिसमें सारे उपक्रमों का सकल भू–जलविज्ञान के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा उस पर सघन रूप से अमल किया जाना चाहिए। सड़क, बाजार, भंडारण आदि जैसी अन्य बुनियादी संरचना की योजना एवं उन पर अमल भी स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए।

अन्य देशों की अपेक्षा भारत में अधिकतर खेती के साधन भी काफी महंगे हैं। खाद, बीज, कीटनाशक आदि भी भारत में विदेश की अपेक्षा, ज्यादा महंगे हैं। खाद भी एक बड़े मुद्दे में शामिल है, जिसके आधार पर इसकी कीमत विवेकयुक्त इस्तेमाल तथा सब्सिडी के संबंध में इसका नीतिगत बयान आना चाहिए। भारी रियायती दर पर खाद का अधिकतर खेती में समृद्धशाली राज्यों द्वारा लाभ उठाया जाता है जबकि 1998–99 में पूर्वी राज्यों द्वारा कुल खाद के सिर्फ 14 प्रतिशत का ही उपयोग किया जाता है। खेती में उन्नत राज्यों और पिछड़े राज्यों द्वारा खाद के उपयोग में भारी अंतर से इस बात की उम्मीद बनती है कि खाद के उपयोग की विशिष्ट रणनीति के तहत उपयुक्त स्थान का चुनाव कर इसका विस्तार किया जा सकता है।

भारत के सकल उत्पाद की 0.7 प्रतिशत से ज्यादा राशि खाद सब्सिडी पर खर्च की जाती है। खाद सब्सिडी की भारी राशि से यूरिया में उत्पादन से भारी अकुशलता पैदा हो रही है। एक्सपैंडिच रिफार्मस कमीशन (व्यय सुधार आयोग) की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार, यूरिया की उत्पादन लागत अति कुशल संयंत्र में जहां 4,800 रु. प्रति टन है वहीं कम कुशल संयंत्र में 15,175 रु. प्रति टन है। रिपोर्ट में यह सुझाव भी दिया गया है कि खाद उत्पादन

और खाद के उपयोग के लिए मिलने वाली सभी तरह की सब्सिडी को खत्म कर दिया जाना चाहिए और खाद को खुले बाजार की प्रतियोगिता का सामना करना चाहिए। वैद्यनाथन का मत है कि खाद सब्सिड़ी में कटौती से खेती के साधनों की लागत बढ़ गई है और यह आशंका बढ़ी है कि इस से खाद के उपयोग तथा खेती के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। परंतु, उच्चतर समर्थन मूल्य अधिक उत्पादन प्राप्त करने के सवाल का जवाब है न कि यूरिया जैसे खाद साधन के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराना। इससे भी बड़ी बात है कि छोटे एवं सीमांत किसानों के हितों की रक्षा आमदनी हस्तांतरण के जरिए भी की जा सकती है।

रियायती खाद के अत्यधिक उपयोग से एन.पी. और खाद के बीच असंतुलन कायम हुआ है और मिट्टी की किस्म भी कुप्रभावित हुई है। पर्यावरण संबंधी चिन्ताओं और जैविक एवं एवं गैर–जैविक खादों के उपयोग, बायोमास और समन्वित पौष्टिक पदार्थों के माध्यम से कृषि–रसायन के नियंत्रित इस्तेमाल तथा कीटनाशक के सुप्रबंध के काम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खेती के कचरों और जैविक कचरों के उपयोग और देहाती एवं शहरी कूड़ों के उपयोग का खेती के उत्पादन के काम में दीर्घकालीन असर होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण के मद्देनजर कृषि विकास के अनेक पक्ष हैं जहां पूरी सतर्कता जरूरी है। बीज उनमें से एक है। बीजारोपण संबंधी सामग्री सही समय पर और उचित दाम पर उपलब्ध कराना खेती की सफलता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारत कें 70 और 80 के दशक में खेती के उत्पादन में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण काफी उपजाऊ बीज का इस्तेमाल था। बंगलैर स्थित इंडो–अमेरिकन हाईब्रीड सीड्स के चेयरमैन मनमोहन अट्टवार ने यह विचार प्रकट किया है कि काफी उपज देने वाले बीज के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ाना संभव है। क्योंकि जमीन के विस्तार की सीमित संभावना है। काफी उपजाऊ कपास की खेती का क्षेत्र जहां 1950–51 में 3 प्रतिशत था, वहीं 2000–01 में बढ़ाकर लगभग 45 प्रतिशत हो गया। काफी उपजाऊ चारा और चावल के बीच के इस्तेमाल से करीब 34 लाख हेक्टेयर जमीन के संरक्षण में मदद मिली और चीन के बाद दुनिया में भारत ही ऐसा ही देश है जो 14 प्रकार की बहुउपजाऊ चावल की किस्म विकसित करने में समर्थ रहा। भारत में बीज की मांग 1950–51 में जहां 18000 टन थी वह 1999–2000 में बढ़कर 10 लाख टन हो गई और इसके अगले दो दशकों में बढ़कर 18 लाख टन होने की उम्मीद है।

भारत जैसे विकासशील देशों में बीज उपयोग संक्रमण काल से गुजर रहा है। जो एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है वह है उन्नत किस्म के बीज तैयार करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी। नियमों में ढील, सार्वजनिक अनुसंधान कार्यक्रमों के जीवाणु तक आसान पहुंच और वाणिज्यिक बीज की मांग में वृद्धि से भारतीय बीज उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिला है। अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में तीव्र बदलाव से भी राष्ट्रीय बीज नीति की समीक्षा की जरूरत बढ़ गई है। निजी बीज उद्योग उल्लेखनीय दर से विकसित हुआ है और अब वह प्रभावकारी ढंग से किसानों की जरूरतों की पूर्ति कर रहा है।

नियमन संबंधी ढांचे से कम साधन वाले किसानों को नुकसान हुआ था। विभिन्न किस्मों के मानकीकरण और बीज की शुद्धता के कारण स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उसका अंगीकरण करने के प्रयासों की हतोत्साहित किया गया। इसके अलावा कम आय वाले किसानों, निजी व्यावसायिक क्षेत्र, जैसे किसान समूहों में से शायद ही कभी वर्तमान मानकों भी नियमों एवं मार्गनिर्देशों के बारे में कभी सलाह ली गई। (विटकांबे at. al. 1998)। उनके अध्ययन में मिले प्रमाणों से यह हस्य खुला है कि बाजार में भेजी गई किस्मों के एक बड़े अनुपात का किसानों ने अपने खेतों में इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वे उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते थे। गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान ने चावल, गेहूं, मक्का, पर्ल बजर, चिकपिया, मूंगफली और चारे के मानक बीजों के 30 से 50 प्रतिशत का इस्तेमाल किया। राज्य बीज कमेटियों को प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार नहीं था। यह काम केन्द्रीय स्तर पर होना था, परंतु वह भी एक साल के परीक्षण के बाद। बीज के बहुगुणन के रूप में सरकारी समर्थ न भी तभी उपलब्ध होता है जब वह किस्म सरकारी स्तर पर उपलब्ध कराया गया हो। साधनहीन किसानों को सही किस्म के बीज उपलब्ध नहीं होते हैं। इससे कुशलता एवं समानता का अभाव हो जाता है। इन्हीं कारणों से गैर–सरकारी संगठनों ने नई भूमिका निभानी शुरू कर दी।

नई कृषि नीति के अंतर्गत उन्नत किस्म के बीजों और कृषि से जुड़ी सामग्रियों के विकास, उत्पादन और वितरण पर जोर दिया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ बीज और पौधा प्रमाणन प्रणाली की मजबूती और उसके विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बीजों की आपूर्ती सुनिश्चित करने के लिए नई कृषि नीति के अंतर्गत नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय बीज ग्रिड का प्रस्ताव किया गया है। निवेश और मानव श्रम के प्रभावकारी इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय बीज निगम और भारतीय राजकीय फार्म निगम के पुनर्गठन का भी सुझाव दिया गया है। इस क्षेत्र में अनुसंधान और नई किस्में तैयार करने के काम को प्रोत्साहन देने क्रम में ट्रिफ समझौते के तहत भारत की बाध्यताओं के अनुसार पौधे की प्रजातियों

के संरक्षण के लिए प्रणाली मंजूर की गई है। लेकिन, क्या इससे फसलों की किस्मों और क्षेत्रों में होने वाले असंतुलित विकास की समस्या का समाधान संभव है? क्या इससे एक फसल प्रणाली विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा? इसके लिए काफी ध्यान दिया जाना चाहिए, अगर किस्मों को लेकर विशेष फसल–केन्द्रित अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का प्रवेश होता है, तो।

अनुसंधान और विस्तार

हाल के वर्षों में इस बात की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कृषि अनुसंधान और विस्तार के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् भारत में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में एक शीर्ष संस्थान है जो अपने सभी संस्थानों/केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों को धन उपलब्ध कराती है। यह परिषद् 31 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और एक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता देकर अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार को बढ़ावा भी देती है। अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश पर 1970 के दशक में विशेष रूप से जोर दिया गया। तब निवेश 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा। कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में निवेश की प्रतिशतता 1960 के दशक की शुरुआत के दौरान 0.21 प्रतिशत से बढ़कर 1990 के दशक की शुरुआत में 0.49 प्रतिशत हो गई। कुल निवेश में से 85 प्रतिशत का योगदान केन्द्र और राज्य की ओर से बराबर–बराबर किया जा रहा है और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी केवल 15 प्रतिशत है। भारत में अनुसंधान कार्यों में केवल 0.42 प्रतिशत खर्च किया जाता है जबकि विकसित देशों में यह 2.4 प्रतिशत है। ऐसा पाया गया है कि भारत में कृषि उत्पादकता के क्षेत्र में विकास का मुख्य स्रोत कृषि अनुसंधान और विस्तार के क्षेत्र में निवेश है। और लाभ की दर उत्साह वर्द्धक है। आर्थिक उदारता और भूमंडलीकरण के दौर में निजी क्षेत्र भारत के कृषि अनुसंधान में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। इसके लिए निश्चित रूप से कृषि अनुसंधान के निवेश के लिए सार्वजनिक और निजी निदेशकों के साथ निकट संपर्क कायम रहना चाहिए। कृषि अनुसंधान कार्यविधि विज्ञान के क्षेत्र में हाल के विकास पर प्रशिक्षण अनुसंधान कार्यक्रम चलाने की भी जरूरत समझी जा रही है। कृषि अनुसंधान संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाने का एक प्रमुख जरिया है, अतः भारत में सदाबहार हरित क्रांति लाने के लिए वैज्ञानिकों की क्षमता को सुसंगत करने के सिलसिले में कार्मिक नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है।

किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के सिलसिले में कृषि–विस्तार की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि–विस्तार मुख्य रूप से राज्यों पर निर्भर है जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य के कायदे में भिन्नता पाई जाती है। कृषि विकास को बढ़ावा देने और खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने में कृषि विस्तार के महत्वपूर्ण योगदान के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि विस्तार के प्रति रुचि बढ़ी है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में नई प्रौद्योगिकी का विस्तार किसानों के लिए लाभकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना ताकि उद्योगों को भी आसानी हो, किसान के नेतृत्व में विस्तार कार्यक्रम चलाना, वित्तीय व्यावहार्यता के लिए संसाधन बढ़ाने के लिए विस्तार एजेंसियों को प्रोत्साहन देना, किसानों के समूह के पास विस्तार की जिम्मेदारी का स्थानांतरनण करना और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जो विस्तार के लिए सार्वजनिक वित्त–पोषण के लिए उपयुक्त हैं।

सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने के सिलसिले में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अपरिहार्य है, क्योंकि निजी क्षेत्रों का जोर अधिकाधिक मुनाफे पर है न कि सामाजिक बाध्यताओं पर।

ऐसी बहुविध प्रणाली के अंतर्गत नई कृषि नीति काफी प्रासंगिक है। भूमंडलीकरण के इस युग में भारत के समक्ष डरावनी स्थिति है। हमारी पंचवर्षीय योजना को बजटीय आवंटन के भी परे जाना पड़ेगा और हमारी विकास प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के प्रयासों को बढ़ाकर निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों तथा इलाकों के बीच प्रतिस्पर्द्धी होना पड़ेगा। प्रभावकारी उपभोक्ता समूहों/पंचायतों के लिए जिला और ब्लाक स्तर पर कारगर प्रशासन जरूरी है। लक्ष्य तक पहुंचने का सर्वोत्तम तरीका है – समाज के सभी स्तरों पर सशक्त और कारगर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के माध्यम से मानवीय विकास के उद्देश्यों के साथ निरंतरता कायम रखी जाए। सभी अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की यथाक्रम जानकारी देने से अधिक पारदर्शिता और उत्पादकता के द्वारा सुशासन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इससे राज्य और निजी क्षेत्र दोनों के लेन–देन के खर्च में भी कमी आएगी। विस्तार और अनुसंधान सेवाओं के लिए किसानों की जरूरतों के बारे में अनुसंधानकर्ताओं को जानकारी देने के लिए सूचना–प्रवाह को मजबूत करना और किसानों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देना जरूरी है। वर्तमान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की ओर से संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। ❑

(समर के. दत्ता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद में प्रोफेसर हैं तथा आर.एल. शियानी जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय में कृषि अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं।)

दृष्टि The Vision

I.A.S. / P.C.S.

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को समर्पित हिन्दी माध्यम का प्रतिबद्ध संस्थान

1st Rank '99 सोरभ बाबू | 15th Rank '2000 कृष्णाकांत पाठक | 36th Rank '2000 नीतू कुमारी प्रसाद | 30th Rank '01 संजय कुमार अग्रवाल | 35th Rank '01 बलदेव पुरूषार्थ | 5th Rank '02 अजय कुमार मिश्र | 10th Rank '02 लोकेश कु. सिंह | 69th Rank '01 30th Rank '02 सौरभ राव | 16th Rank '02 वंदना प्रेयशी | 13th Rank '03 प्रदीप सिंह राजपुरोहित

क्या आप भी शामिल होना चाहते हैं इनमें ???

.... तो आइये, स्वागत है आपका 'दृष्टि' के कार्यक्रमों में !!

हिन्दी साहित्य द्वारा डॉ० विकास दिव्यकीर्ति

(डॉ० विकास दिव्यकीर्ति की कुछ व्यस्तताओं के कारण 'दृष्टि' प्रबंधन ने तय किया था कि 'हिन्दी साहित्य' का सत्र नवंबर-दिसंबर 2004 के स्थान पर मई-जून 2005 में आयोजित किया जाएगा। किंतु, जो विद्यार्थी इस सत्र को ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे थे; उनके निरंतर आग्रह को दृष्टिगत करते हुए यह निश्चित किया गया है कि 24 दिसंबर 2004 से 7 मार्च 2005 तक 'हिन्दी साहित्य' का सत्र आयोजित किया जाए। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं।)

दर्शनशास्त्र
द्वारा : प्रोफैसर द्विवेदी, प्रो० पाठक तथा डॉ० विकास दिव्यकीर्ति

Philosophy (Complete Eng. Med. Batch)
by : Prof. Dwivedi, Dr. Vikas Divyakirti & Dr. Pandey

राजनीति विज्ञान (प्रा०+मु०)
द्वारा : श्री राजेश मिश्रा व डॉ० एन.डी. अरोड़ा

Political Science-Prelims
by : Sh. Rajesh Mishra (Eng. Med.)

इतिहास (प्रा०+मु०)
द्वारा : श्री अजीत झा

अंग्रेजी दक्षता कार्यक्रम
(English Learning Programme)
द्वारा : श्री पंकज दुबे (Ph.: 98104-87699)

दिसंबर 2004–मार्च 2005 : सत्र–कार्यक्रम

विषय	निःशुल्क परिचर्चा	सत्र आरंभ
• दर्शनशास्त्र	23 दिसंबर, सांय 5 बजे	24 दिसंबर, सांय 5 बजे
• इतिहास (प्रा० तथा मु०)	23 दिसंबर, दोपहर 2 बजे	24 दिसंबर, दोपहर 2 बजे
• राजनीति विज्ञान (प्रा० तथा मु०)	23 दिसंबर, प्रातः 10 बजे	24 दिसंबर, प्रातः 9 बजे
• Political Sc. (Pre)-Eng. Med.	25 December, 10.00 A.M.	28 December
• हिन्दी साहित्य	24 दिसंबर, प्रातः 11 बजे	28 दिसंबर, प्रातः 9 बजे
• अंग्रेजी दक्षता कार्यक्रम (English Learning Programme)	26 दिसंबर, प्रातः 11 बजे	2 जनवरी, 2005

पत्राचार पाठ्यक्रम (CORRESPONDENCE COURSE)

उपरोक्त सभी विषयों के पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। संपर्क करें : 0-9313988616, 011-27654128

छात्रावास (Hostel) सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विवरणिका (Prospectus) के लिए 50 रू. का बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर भेजें।

पता : प्रथम तल, ए-7 (जय टॉवर), (बत्रा सिनेमा के बाद), चावला रेस्टोरेंट के निकट, डॉ० मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-27654128, 0-9313988616, 0-9810316396 वैबसाइट : www.drishtithevision.com

मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के दौर में योजना आयोग

○ शुभमय भट्टाचार्जी

आज जिन मुद्दों पर गौर करने की जरूरत है वे आसान नहीं हैं। विकासमान अर्थव्यवस्था और इससे जुड़े नीतिगत मुद्दों के जबर्दस्त नतीजे सामने आ रहे हैं जिस कारण समय की नई चुनौतियों से निपटने के लिए योजना आयोग पर नए सिरे से विचार करना जरूरी हो गया है।

यह संभव तो नहीं लगता लेकिन इसे धीमी रफ्तार का फायदा तो कहा ही जा सकता है। धीमे चलने वाला सड़क पर बने गड्ढों को बेहतर तरीके से देख सकता है या फिर इसे भाग्य की बात भी कह सकते हैं। तभी तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में अपनी जगह बनाने के लिए योजना आयोग अपनी योग्यता को लेकर सवालों की झड़ी के बीच खड़ा हुआ है।

1991 में जब सरकार ने अर्थव्यवस्था को मुक्त करना शुरू किया और उसके काम करने के तौर–तरीकों में बदलाव आना शुरू हुआ है तो आयोग का महत्व कम नहीं हुआ है और किसी फालतू संगठन की तरह वह अप्रासंगिक नहीं हुआ है। आयोग को लेकर चल रही आर्थिक बहस में पाठक के मतलब की एक बात तो यह है कि योजना भवन का महत्व बना हुआ है और दूसरी यह कि आयोग अर्थव्यवस्था को लेकर ज्वंलत मुद्दों पर बहस कर रहा है। उदाहरण के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या विदेशी मुद्रा भंडारों का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाना चाहिए। इसी तरह के अन्य सवाल हैं – क्या सरकारी ऋणों को बट्टे खाते में डाला जा सकता है या फिर हमें विनिवेश के मॉडल में बदलाव की जरूरत है? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका संबंध योजना भवन से है।

एक समय तो बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि जानकार लोग नौवीं योजना को आयोग द्वारा बनाई गई अंतिम योजना तक कहने लगे थे। कहा जाने लगा था कि योजना आयोग के पास राज्यों के वार्षिक योजना खर्च के चैक बांटने के अलावा और कोई काम नहीं रह जाएगा।

लेकिन आलोचनाओं का सिलसिला भी अभी बंद नहीं हुआ है। कुछ समय पहले दिल्ली की एक क्षैक्षिक संस्था ने एक नाटक का मंचन किया जिसमें राज्यों को पैसा बांटने की प्रणाली की खिल्ली उड़ाई गई थी। अपनी बात समझाने के लिए नाटक में योजना आयोग को बंदर–बांट करने वाले की तरह प्रस्तुत किया गया था। एक अखबार में छपी समीक्षा में कहा गया था : क्रांतिकारी खेमे से ही इस बात को लेकर असली आपत्तियां उठ सकती हैं कि योजना आयोग की समाजवादी आर्थिक नीतियों से बंदर–बांट की राजनीतिक को बढ़ावा मिलता है। और यहीं पर सवाल उठता है कि इस तरह का खेमा राजनीतिक दृष्टि से कैसे कार्य कर सकता है। इसका उत्तर है : पार्टी और राज्य से संबंध रखे बिना आमूल परिवर्तन की राजनीति में संलग्न रहकर ऐसा किया जा सकता है। या तो कला के जरिए या फिर ज्ञान आधारित नागरिक सक्रियता से ऐसा करना संभव है। कुछ अधिक गंभीर अंदाज में क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री सुबीर गोकर्ण कहते हैं : महत्वपूर्ण मुद्दों पर नियोजन का एक मूल सिद्धांत यह है कि परिकाल्पनिक लक्ष्य (जैसे सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर) महत्वपूर्ण अवश्य हैं, लेकिन (आयोग की) किसी नीति (दीर्घावधि) की सफलता ऐसे लक्ष्यों के चयन पर निर्भर है जो (1) उन साधनों से सीधे तौर पर संबंधित हैं जिन पर संगठन का नियंत्रण है, और (2) जिनकी तुरंत और आसानी से निगरानी की जा सके। प्रभावी नीतिगत नियोजन इस बात पर आधारित है कि परिकल्पित लक्ष्यों को किस प्रकार व्यक्तिगत लक्ष्यों में बदला जाए जिससे कि दोनों मानदंड पूरे हों। उनका तर्क है कि सरकार के पांच साल के कार्यकाल और पंचवर्षीय योजना की अवधि में कोई तालमेल नहीं है। ऐसे में अगर आयोग पांच साल की समय सीमा को अनावश्यक महत्व न देते हुए इससे ऊपर उठ जाए और अधिक कामकाजी दृष्टिकोण पर अमल करे तो यह आयोग की स्थायी महत्व की उपलब्धि होगी। नौवीं और दसवीं योजनाओं में सरकार बदलने से मध्यावधि समीक्षा अधिक तटस्थ और अधिक शुद्ध हो गई। ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी अधिक विविधता आ गई है कि किसी एक बिंदु के आधार

पर इसका विश्लेषण संभव नहीं रह गया है। इस मुद्दे पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप उत्पादन की प्रेरक शक्ति क्या हो, इसका फैसला मांग और आपूर्ति की मूल शाक्तियों पर छोड़ देते हैं तो फिर कोई ऐसी एजेंसी नहीं हो सकती जो बैठकर इस बात का फैसला करे कि उत्पादन किस चीज का हो। जहां तक योजना आयोग का सवाल है, इसके बारे में अच्छी बात यह रही है कि समाजवादी देशों की तरह इसने कभी समूचे उत्पादन ढांचे का फैसला नहीं किया। इतना ही नहीं, लाइसेंस परमिट राज का जाल योजना भवन में नहीं बल्कि उद्योग और वित्त मंत्रालयों में बुना गया। आयोग ने तो अर्थव्यवस्था के काम करने के लिए मोटे तौर पर संकेतकों का निर्धारण किया।

भूमिका निश्चित रूप से समाप्त हो चुकी है। वर्तमान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के पुराने महारथियों द्वारा समय–समय पर आक्रोश के बावजूद उसे अपनी भूमिका फिर से नहीं मिल सकती। उल्टे सरकार अब यह महसूस करने लगी है कि उत्पादन ढांचे के बारे में फैसला करने के लिए मांग और आपूर्ति की शक्तियों के भरोसे रहना ही काफी नहीं है, खास तौर पर अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में जहां बाजार स्थितियां नहीं बन पाई हैं। ऐसे क्षेत्रों से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों से भी नहीं है। असली मुद्दा यह है कि आधारभूत ढांचे का विकास किस तरह हो और किस तरह वाजिब लागत पर सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि इससे घरेलू और विदेशी निवेश बढ़े। और यही समस्या की जड़ है। आप पूछ सकते हैं, कैसे? उदाहरण के लिए दसवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा के एजेंडे में क्या कहा गया है, इस पर एक नजर डालिए। जहां तक निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने का सवाल है, इस क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मध्यावधि आकलन में उन महत्वपूर्ण नीतिगत बाधाओं की पहचान करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिनकी वजह से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी निवेश में अड़चनें आ रही हैं। योजना से संकेत मिलता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश की अर्थव्यवस्था में निजी निवेश बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जारी है लेकिन इस बारे में धारणा यही है कि इसमें बाधाओं के कारण यह उतना नहीं है जितना कि यह हो सकता था। मध्यावधि आकलन में इस क्षेत्र की समस्याओं के मूल्यांकन की आवश्यकता है।

अगर विभिन्न क्षेत्रों की अलग–अलग चर्चा करें तो आयोग ने हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण में निजी क्षेत्र के निवेश की बात स्पष्ट रूप से कही है। जहां तक हवाई अड्डों का सवाल है, दसवीं योजना में इस मुद्दे पर कोई ठोस कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन बाद में नरेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट में इसकी विस्तार से चर्चा हुई है। मुंबई और दिल्ली के हवाई अड्डों का निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी से आधुनिकीकरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यावधि आकलन में इस पहल की समीक्षा की जाएगी। इस विश्लेषण में दोष निकालना मुश्किल है। इससे योजना आयोग जैसी संस्था की आवश्यकता भी उजागर हो जाती है। अर्थव्यवस्था में कई संरचनात्मक समस्याएं हैं और इन्हें दूर करने के लिए कोई तो होना ही चाहिए। सरकारी मंत्रालयों की भीड़–भाड़ में इस 'कोई' की भूमिका योजना आयोग निभाता है। आखिर क्यों? जिन मुद्दों को हल किया जाना है वे आसान नहीं है। अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है और नीतिगत मुद्दों का मजबूत स्थिति वाले निगमों और इस तरह देश के आम नागरिकों पर जबर्दस्त असर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए गेहूं या दलहनों को बेचने की मंडी प्रणाली के स्थान पर क्या कोई ऐसी प्रणाली बनाई जा सकती है जिसके तहत किसान सीधे निगमों से संपर्क कर सकें। इस सवाल के उत्तर का असर न सिर्फ गांव वालों पर पड़ेगा बल्कि हिंदुस्तान लीवर्स लिमिटेड और आई टी सी जैसी कंपनियों के लाभ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी इलाके में पानी की आपूर्ति का निजीकरण होता है तो यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसका फैसला वे ही संगठन न करें जिन्हें इनसे फायदा होना है। इलेक्ट्रानिक गवर्नेंस एक अन्य क्षेत्र है जिस पर केंद्र और राज्य बहस कर रहे हैं। लेकिन इससे न केवल डेस्कटाप मशीनों की सप्लाई का मुद्दा उठा है बल्कि सरकारी रिकार्ड के डेटाबेस पर नियंत्रण का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ है।

कई कारणों की वजह से किसी मामले में दिलचस्पी रखने वाले पक्ष अंतिम नीति बनाने वाले मंत्रालयों पर असर डालते हैं। इसके अलावा एक और भी बड़ी समस्या है, किसी मुद्दे के क्या नतीजे होंगे, इससे निपटने के लिए मंत्रालयों की कोई संस्थागत याददाश्त नहीं होती। और अंतिम मुद्दा यह है कि भारत अब भी कुछ मामलों में पूंजी की भारी कमी का सामना कर रहा है। सरकारी निर्णय इस बात का ध्यान रखे बिना किए जाते हैं कि इन कदमों का बाकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा।

यहां योजना आयोग के होने का एक फायदा है। यह एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका कोई निहित स्वार्थ वाला क्षेत्र नहीं है। इसका एक और पहलू यह है कि आयोग ने शायद ही किसी मुद्दे पर सक्रिय होकर कार्य करने में दिलचस्पी ली है। यह नई भूमिका भी एक तरह से उस पर थोप दी गई है न कि आयोग ने खुद इसका बीड़ा उठाया है।

इसी संदर्भ में योजना भवन की नाकामयाबी का सबसे बड़ा उदाहरण पांचवें

वेतन आयोग के राज्यों पर पड़ने वाले फैसले का आकलन करने में असफल रहना है। वेतन आयोग की रिपोर्ट ने लगभग सभी राज्य सरकारों का भट्टा बैठा दिया और अब कहीं राज्य इसके असर से उबर पाए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि योजना आयोग को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन यह सच है कि नौवीं योजना में इसके असर का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सका।

उदाहरण के लिए वित्तीय असंतुलन, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति संबंधी अध्याय में कहा गया है: ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि नौवीं योजना में केंद्र ने निवेश संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना खर्च के 14.6 प्रतिशत भार वहन किया जो कि बड़ा मामूली है जबकि राज्यों (27.9 प्रतिशत) और सार्वजनिक उपक्रमों (57.5 प्रतिशत) पर मुख्य रूप से जिम्मेदारी है। यह रुझान देश में बुनियादी ढांचे का आधार सुदृढ़ करने की आवश्यकता से उत्पन्न हुआ है जो राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसमें आगे कहा गया है: यहां यह बताने की आवश्यकता है कि ऐसा करने से नौवीं योजना में केंद्र और राज्य सरकारों पर पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर क्रमशः 51,000 करोड़ रुपये और 110,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इसलिए हालांकि योजना अवधि के पहले दो वर्षों में वित्तीय दबाव बड़ा जबर्दस्त पड़ेगा, लेकिन अगर विकास दर को लक्ष्य से नीचे गिरने से रोक दिया जाए तो यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

ऊपर बताए गए वित्तीय उपाय से ही 1997–2002 में बिजली क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कम हुआ। उस समय की योजना की मध्यावधि समीक्षा के दृष्टिकोण में देश में बुनियादी ढांचे में कमजोरी की मौजूदा स्थिति के लिए अभाव या कमी को सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराया गया था। राज्य सहायता राशि की बाट जोहते रहे और निवेश को तो भुला ही दिया गया।

अब आयोग एकदम नए क्षेत्रों, जैसे विश्व व्यापार संगठन या वित्तीय क्षेत्र पर विचार कर रहा है। इन परिस्थितियों में इस अनुभव को याद रखना बड़ा उपयोगी होगा। इन क्षेत्रों में असफलता का प्रभाव बड़ा जबर्दस्त होता है। आयोग की भूमिका की नई परिभाषा की जा चुकी है। अगर आयोग अपनी सामूहिक विशेषता से विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाओं का पता लगाकर प्राथमिकताओं का निर्धारण कर ले तो यह बड़ा युक्तिसंगत होगा। उसे बदलाव के पक्ष में और बदलाव के स्वरूप के बारे में सभी तरह के प्रमाण समर्थन और विरोध में, सैद्धांतिक और व्यावहारिक, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने चाहिए। ❑

(लेखक पत्रकार हैं।)

भारतीय अर्थव्यवस्था

सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर
इतनी अद्यतन जानकारी
इतने कम मूल्य पर
अन्यत्र दुर्लभ है

Book Code : 851
Pages : 254
Price : Rs. 100/-

प्रमुख आकर्षण

• सितम्बर 2004 में जनगणना आयोग द्वारा भारत की जनगणना से सम्बन्धित प्रकाशित अन्तिम आंकड़ों का समावेश • आर्थिक सर्वेक्षण 2003-2004 • भारत 2004 • केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004 • विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2004 • अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की वार्षिक रिपोर्ट 2003-2004 • विश्व व्यापार संगठन (WTO) की वार्षिक रिपोर्ट 2004 • अंकटाड (UNCTAD) की विश्व निवेश रिपोर्ट 2004 • मानव विकास रिपोर्ट 2004 • World Economic Outlook, Sept. 2004 • Global Development Finance 2004 • Statesman's Year Book 2004 • दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002-07 • 545 वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रश्नों सहित

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

Aligarh 3153072; Kanpur 2321191; 2321353; Varanasi 2354582; Lucknow 2270019; Allahabad 2461291; Bareilly 2554451; Gorakhpur 2344862; Meerut 2640540; Faizabad 260351; Jaunpur 260888; Jhansi 9839281738; Atarra 211056; Gaziabad 2748051; Moradabad 2313372; Azamgarh 220582; Muzaffarnagar 442739; Rishikesh 436532; Dehradun 2658555; Haridwar 428450; Gwalior 2325179; Bhopal 2543480; Indore 2451933, 2454372; Jabalpur 2655306; Sagar 23109; Satna 34760; Rewa 251753; Raipur 2227343; Bilaspur 505781; Bharatpur 20650; Jaipur 2327405, 2564452; Alwar 2701545; Swaimadhopur 22270; Kota 2323377; Ajmer 2620122; Udaipur 2421577, 2421375; Jodhpur 2626797; Dungarpur 230022; Rohtak 253217; Delhi 23918332; Patna 226540; Bhagalpur 24244830; Gaya 21147; Ranchi 301387; Bokaro 46001; Jamshedpur 2423508; Nagpur 2526191; Ahmedabad 25355755

Y.D. Misra's IAS

Join 4 months 100% Result Course *for*
HISTORY Prelim-cum-Main 2005/2006 *by* **Y D Misra**

at: **Dr. Mukherjee Nagar Centre** & *at:* **East Patel Nagar Centre**

C/o MIPS Education, B-19, Satija House, Commercial Complex, Near UTI ATM, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph.27652738, 27651700, Cell:9810345023
For further enquiry please contact: Manoj K. Singh
(Director: MIPS Education)

Head Office: 30/27, East Patel Nagar, New Delhi-8
(Opp. Mughal Mahal Restaurant, Close to Siddhartha Hotel Main Gate Road) Ph. 55486332/34/35, Cell: 9810573354
For further enquiry please contact: Jaya Sharma
(Director: Y.D. Misra's IAS)

Y.D. Misra's IAS

30/27, East Patel Nagar Centre *offers* **Admission** *for* IAS Prelim-cum-Main-2005/2006

ONE YEAR COMPACT COURSE

100% RESULT COURSE

Which includes both the Optional Subjects + GS + Essay + Qualifying Languages + Interview Guidance
Covering the entire course twice + two revisions + 30 Prelim Tests 2 hrs. Each + 20 Main Exam Tests 3 hrs. Each in every subject.

Or Join 4 Months Course in individual subjects

General Studies	by Y.D. Misra & Team	Pol. Sc.	By Y.D. Misra & most committed, goal oriented supportive, unbelievable faculty
History	by Y.D. Misra	Economics	
Pub. Admn.	by Ajay Sharma & Team	Geography	
Sociology	by Jaya Sharma	Philosophy	
		Hindi Lit.	

IAS Prelim 2005

100% Guarantee Course

New Batches to Begin On 7th January, 2005

Follow our method and approach To Qualify Prelim2005 & Later score more than 400 marks In IAS-Main-2005 GS & other Subjects

at Y.D. Misra's IAS

30/27, East Patel Nagar, New Delhi-8 (Opp. Mughal Mahal Restaurant, Close to Siddhartha Hotel Main Gate Road)
Ph. 55486332/55486334/ 55486335 Mobile: 9810573354

खबरों में

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 'काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम' आंध्र प्रदेश में रंगा रेड्डी जिले के अलूर गांव से किया। प्रारंभ में यह कार्यक्रम देश के 150 सबसे पिछड़े जिलों में चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण कार्य शुरू कर लोगों को अतिरिक्त अनुपूरक रोजगार दिया जाएगा। इस योजना के तहत श्रमिकों को दिहाड़ी में पांच किलो अनाज दिया जाएगा और मजदूरी का कम से कम एक चौथाई हिस्सा नकद भुगतान किया जाएगा।

- प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने अपने सांत्वना अभियान को जम्मू–कश्मीर के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी पहुंचा दिया। पूर्वोत्तर की अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री ने मणिपुर की संस्कृति और परम्परा के प्रतीक ऐतिहासिक कांगला किले को मणिपुर सरकार को सौंपा। इससे वहां की जनता की एक पुरानी मांग और आकांक्षा पूरी हुई। उनकी इस पूर्वोत्तर यात्रा का मुख्य विषय उस क्षेत्र का विकास था। उन्होंने बड़ी रेल लाइन की 728 करोड़ रुपये की एक परियोजना की आधारशिला रखी। इससे उस क्षेत्र का देश के अन्य हिस्सों से संपर्क बढ़ जाएगा। रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव ने वहां पांच विशेष रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की।
- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हाल में ही व्यापार और उद्योग परिषद की दूसरी बैठक को संबोधित किया। तथा वहां अपनी सरकार की आर्थिक प्राथमिकताएं गिनाई। इस बैठक की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार रही :

– सभी आर्थिक अधिनियमों की विश्वस्तर पर लागू सबसे अच्छे नियमों के संदर्भ में समीक्षा के लिए एक स्थायी समिति बनाई जाएगी। इसमें साकार और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे।

– नौकरियों में आरक्षण के मामले में कंपनी जगत को सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। अन्यथा इस मामले में अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का रास्ता निकालेगी।

– प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित बुनियादी ढांचा संबंधी समिति की बैठक एक सप्ताह में।

– इंस्पेक्टर राज खत्म करने के बारे में उद्योग जगत से सुझाव मांगे गए।

– उद्योग जगत से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के स्तर सुधारने के लिए उन्हें अपनाने की अपील की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को देश में कोंहाक्त सुधार की वृहद योजना तैयार करने को कहा गया।

– आम आदमी को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा की कीमतों को राजनीति से अलग रखने पर बल।

- **निवेश आयोग का गठनः**
  आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के क्रम में सरकार ने निवेश आयोग के गठन की घोषणा की। तीन सदस्यों वाले इस आयोग की अध्यक्षता टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा करेंगे। यह आयोग सरकार और निवेशकों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करेगा ताकि बुनियादी क्षेत्र में अगले दस वर्ष में आवश्यक 150 अरब डालर का निवेश आकर्षित किया जा सके। इस आयोग दो अन्य सदस्य हैं – एचडीएफसी के अध्यक्ष दीपक पारिख और अशोक गांगुली।

– भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन--2004 के उद्घाटन सभा में वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की छूट देने की योजना शीघ्र ही घोषित की जाएगी। उन्होंने बीमा और पेंशन क्षेत्र का भी प्राथमिकता के आधार पर देखने की घोषणा की।

- मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कामेंग पन बिजली परियोजना के लिए 2496.9 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। समिति ने असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर की राज्य सरकारों की ओर से ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी क्षेत्र में बाढ़ और कटाव रोकने के लिए शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
- सहकारी समितियों में चुनाव का अधिकार तथा उनमें स्वायत्त प्रबंधन तंत्र और स्वतंत्र पेशेवर आडिट व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार जल्दी ही एक संविधान संशोधन विधेयक लाने जा रही है।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सरकार ने 226 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
- भारत में अब मोबाइल फोन के ग्राहक स्थिर लाइन टेलीफोन कनेक्शनों से अधिक हो गए हैं। स्थिर लाइन के 4.396 करोड़ कनेक्शन की तुलना में मोबाइल फोन ग्राहक 4.451 करोड़ पहुंच गए हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों की सरकारों को प्राथमिक कक्षाओं के सभी स्कूली बच्चों को दोपहर में पकाया हुआ भोजन देने की व्यवस्था जनवरी 2005 तक पूरी करने का निर्देश दिया है।
- भारत में विकलांगों के लिए पहला वेबसाइट शुरू। वेबसाइट – एचटीटीपीः//रिहैबकौंसिल.एनआई.सी. इन में विभिन्न प्रकार की शारीरिक

अक्षमता के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं की गई हैं।

- सरकारी बैंक कर्मियों को 13.25 प्रतिशत अधिक वेतन मिलेगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक एसोसिएशन में समझौता हुआ है।
- विश्व बैंक तीन वर्ष में भारत को नौ अरब डालर के ऋण देगा। इसकी घोषणा विश्व बैंक के अध्यक्ष जेम्स डब्ल्यू वुल्फेंसन ने अपनी हाल की यात्रा में दी। ये ऋण रेलवे, बिजली और जल संसाधन विकास के लिए मिलेंगे।
- माइक्रोसाफ्ट ने अपने 'विंडोज' और 'आफिस' साफ्टवेयर को अगले 12 माह में भारत की 14 भाषाओं में प्रस्तुत करने की घोषणा की है। इस परियोजना को प्रोजेक्ट भाषा नाम दिया गया है।
- वालस्ट्रीट जरनल द्वारा घोषित विश्व की 50 सबसे अमीर महिला उद्यमियों में भारत के दो नाम शामिल हैं। भारत में पेप्सीको की मुख्य कार्यकारी सुश्री इंद्रा ज्योति सूची में 10वें स्थान पर हैं जबकि एचएसबीसी बैंक की उप मुख्य कार्यकारी सुश्री नैनालाल किदवई को 34वां स्थान मिला है।
- लोगों के लिए मकान के अधिकार के लिए काम कर रहे इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता राजीव जॉन जार्ज को 2004 के हाउसिंग राइट्स डिफेंडर पुरस्कार के लिए चुना गया है।
- भारतीय मूल की दो अमेरिकी महिलाओं – सुश्री इयान देसाई और सुश्री स्वाती मिलावरायू को 2005 की रोड्स छात्रवृत्ति मिली है और वे भारत के सिनेकर्मी गिरीश कर्नाड और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे लोगों की सूची में शामिल हो गई हैं।
- श्री गैरी एकरमैन अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में भारत समर्थक सदस्यों के समूह के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए।
- सरकार ने सात प्रकार के बड़े मूल्य के सौदों को अधिसूचित श्रेणी में डालने की घोषण कर कर अपवंचकों पर शिकंजा कसा। इस अधिसूचना के बाद बैंक, क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनियां, म्यूचुवल फंड, रिजर्व बैंक और संपत्ति पंजीकरण प्राधिकारियों को विशिष्ट प्रकार के सौदों की वार्षिक सूचना रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। इसके तहत बैंकों को किसी बचत खाते में एक वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक जमा होने पर उसकी जानकारी देनी होगी। क्रेडिट कार्ड कंपनी एक कार्ड पर वर्ष में दो लाख रुपये से ऊपर के सभी लेन देन की रिपोर्ट देगी। म्यूचुवल फंडों को यूनिटों की खरीद के लिए दो लाख रुपये या उससे ऊपर की प्राप्तियों और कंपनियों को पांच लाख रुपये या उससे ऊपर के बांड और ऋण–पत्र खरीदने वालों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी होगी।
- कंपनियों के शेयरों के मामले में एक लाख रुपये या उससे अधिक के सौदों की जानकारी अनिवार्य की गई है।
- जमीन–जायदाद पंजीकरण अधिकारी एक वर्ष में एक व्यक्ति द्वारा 30 लाख रुपये से ऊपर के सौदों की रिपोर्ट करेंगे।
- वित्त मंत्रालय ने क्रेडिट कार्ड का आवेदन करने वालों के लिए आयकर विभाग की स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य कर दिया है।
- तमिलनाडु, झारखण्ड, त्रिपुरा और मिजोरम की वार्षिक योजनाएं मंजूर की गई।

योजना आयोग ने राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं (2005–06) को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

राज्य	2005–06	2004–05	वृद्धि
तमिलनाडु	9100	8001	1099
झारखण्ड	4510	4110.19	399.81
त्रिपुरा	804	700.27	103.73
मिजोरम	688	616.52	71.48

राशि करोड़ रुपये में

- **जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी मोबाइल फोन**

पूर्वोत्तर और जम्मू–कश्मीर के हाल के दौरे में प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा वहां के लोगों को दिए गए आश्वासन के अनुसार केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों में मोबाइल फोन सेवा पूर्ण रूप से संचालित घोषित कर दी है। इसके साथ ही वहां प्रीपेड सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इन क्षेत्रों में पहले प्रीपेड मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी थी।

- मिस पेरु, मारिया गार्सिया को चीन के हाइनान द्वीप में मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया।
- **भारत–रूस की शीर्ष बैठक:**

रूस अपनी ऊर्जा का विशाल द्वार भारत के लिए खोल देगा। रूस ने इतना तक कि भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में भारत की सदस्यता का जोरदार ढंग से समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान लंबी चली शीर्ष स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें एक समझौता शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज की दिशा में आपसी सहयोग से संबंधित है। बैंकिंग कारोबार में सहयोग तथा रूस, भारत और तीसरी दुनिया के देशों में प्राकृतिक गैस की खोज और उसका वितरण कुछ अन्य समझौतों के अंग हैं। मुंबई और सेंट पीट्र्सबर्ग जैसे शहर इस मामले में आपसी सहभागिता की भूमिका निभाएंगे।

इस शीर्ष बैठक का सबसे बड़ा लाभ ऊर्जा क्षेत्र को हुआ है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम विदेश को नीतिगत साझेदार लुकआयल जैसी रूस की महत्वपूर्ण कंपनी एक ओर ऊर्जा के अभाव से त्रस्त भारत के लिए नए द्वार खोलेगी, जबकि गजरौम, गैस प्राधिकरण और टॉसनेफ्रट ने आपसी सहयोग का अलग मार्ग प्रशस्त किया है।

गैस प्राधिकरण जैसी भारत की बड़ी कंपनी ने प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में संयुक्त अभियान चलाने के लिए रूस की तेल कंपनियों के साथ दो समझौते किए हैं। उधर, तेल और प्राकृतिक गैस निगम गज़रौम के साथ हाइड्रोकॉर्बन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है।

नीतिगत सहयोग समझौतों पर डा. मनमोहन सिंह और व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में भारतीय गैस प्राधिकरण के मुख श्री प्रशान्ता बनर्जी तथा गज़रौम के

प्रमुख अलेक्सी डिलर और विक्टर लौरेव्ट्स ने हस्ताक्षर किए। गज़रौम के साथ नीतिगत सहयोग समझौते में भारत को प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की संभावनाओं का अध्ययन करने के साथ–साथ भारत–रूस के बीच अंतर्देशीय गैस पाईप लाईन बिछाने के अवसर मुहैया कराने की बातें शामिल हैं। दूसरे करारनामें में स्ट्रौयट्सगैस विश्व के विभिन्न भागों में गैस पाईप लाईन परियोजनाओं के निर्माण, स्वामित्व और संचालन को कार्यरूप देगा। गज़रौम के साथ हुए समझौते में दोनों कंपनियां कार्यरूप देने की परियोजनाओं की तकनीक 'गैस के लिए तेल' की संभावना पर विचार–विमर्श और अध्ययन करेंगी।

दोनों कंपनियां पांचवें दौर की नई खोज लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत तेल की खोज की संभावनाओं का संयुक्त रूप से पता लगाएंगी, गैस पाईप लाईन के ताने–बाने के वितरण के अतिरिक्त पाईप लाईनें बिछाने और उनकी देख–रेख और सुरक्षा का भी संयुक्त रूप से काम करेंगी। इन कार्यों के अलावा दोनों कंपनियां संपीडित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) के उपयोग के विस्तार, गैस–प्रोसेसिंग, गैस–आधारित ऊर्जा–उत्पादन और पेट्रो–केमिकल उत्पाद के कार्यों में भी संयुक्त रूप से हाथ बटाएंगीं।

स्ट्रौयट्सगैस के साथ समझौते का उद्देश्य भारत और रूप में कम खर्चीली गैस पाईप लाईनों को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाना है। दोनों पक्ष विशिष्ट पाईप लाईन परियोजनाओं के संचालन और स्वामित्व की दिशा में संयुक्त अभियान चलाएंगी। इनसे संबंधित प्रत्येक मुद्दे की आपस में शर्तें तय की जाएंगी। गैस प्राधिकरण के अनुसार वह नीतिगत सहयोग समझौते के आधार पर कार्य के क्षेत्र की गतिविधियों के कार्यान्वयन और उन पर नजर रखने के लिए समन्वय समिति गठित करेगा।

- **चांद पर भारत का पार्थिव स्टेशन केन्द्र**

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) कर्नाटक में भारत का सबसे पहला चंद्र अभियान का पार्थिव स्टेशन स्थापित करेगा। कर्नाटक सरकार ने बंगलोर के पास तावरकरे में इसके लिए एक सौ एकड़ जमीन मुहैय्या कराई है।

इसरो के अध्यक्ष श्री जी. माधवन नायर ने बताया है कि यह पार्थिव स्टेशन चांद के लिए प्रक्षेपित किए जाने वाले भारतीय उपग्रह चंद्रायण–1 के कार्य–कलापों पर नजर रखेगा। इस पार्थिव स्टेशन के निर्माण पर करीब एक खरब रुपये का खर्च आएगी। पृथ्वी से करीब चार लाख की दूरी पर यह स्टेशन चंद्रायण से आंकड़ो का आदान–प्रदान करेगा। एक अनुमान के अनुसार भारत के चंद्र–अभियान पर करीब चार खरब रुपये खर्च होंगे।

श्री नायर के अनुसार चंद्रायण से आंकड़ें प्राप्त करने के लिए एक सौ फुट व्यास वाला डिश ऐंटेना लगाया जाएगा। पार्थिव स्टेशन सन् 2007 तक काम करना शुरू कर देगा। भारत चांद पर अपना उपग्रह सन् 2008 तक भेजेगा। 529 किलोग्राम वजन वाला यह उपग्रह एक सौ किलोमीटर की दूरी से चांद की परिक्रमा करेगा।

यह उपग्रह चांद की सतह का अध्ययन करने के साथ उस पर जीवन की संभावनाओं का पता लगाएगा। उपग्रह से चांद पर बीस किलोग्राम का दबाव बनेगा और उससे उत्पन्न धूल कणों का अध्ययन किया जाएगा।

- **विश्व व्यापार संगठन के दस वर्ष**

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था है जो विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार–नियामक का कार्य करती है। व्यापार और शुल्क से संबंधित आम सहमति (गैट) के अनुसार वैसे तो यह संस्था 15 अप्रैल, 1994 में गठित हुई लेकिन वास्तविक रूप में यह संस्था पहली जनवरी, 1995 से अस्तित्व में आई। यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नीतियां बनाने और उनके नियमन का कार्य करती है। यह संस्था सदस्य देशों के बीच व्यापार–संबंधी विवादों को निपटाने, बीच–बचाव करने और समझौता कराने में सहयोग करती है। लेकिन यह संगठन वस्तुतः मुख्य रूप से उदारीकरण और वैश्वीकरण के जरिए विश्व व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है। यह संगठन विशेष रूप से कृषि, सूती–वस्त्र, तकनीक आधारित साज–सामान, व्यापार आधारित निवेश और साफ़–सफ़ाई से संबंधित सामान के व्यापार क्षेत्र में संलग्न है। विकासशील देशों ने हमेशा इस संगठन के रवैये पर असंतोष प्रकट किया है लेकिन विकसित राष्ट्र इस संगठन की व्यापार–नीतियों की कट्टर समर्थक हैं।

- **भारत और विश्व व्यापार संगठन**

भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक देशों में एक है। इस संगठन के माध्यम से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी पकड़ बनाई। भारत ने विश्व के अनेक देशों के साथ अपने व्यापार बढ़ाए और इस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था में मजबूती लाई। अनेक निर्यातक देशों ने भारत को एक चहेते देश का दर्जा प्रदान किया है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत क्षेत्रीय व्यापार की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिमायती रहा है। हालांकि विकासशील देश इस संगठन के विरूद्ध सौतेलेपन की शिकायत करते रहे हैं लेकिन यह बात भी सही है कि इसकी स्थापना के दस वर्षों के भीतर भारतीय अर्थव्यवस्था में अच्छी प्रगति हुई है। एशियाई क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि तथा अन्य कारणों से संकटपूर्ण आर्थिक स्थिति के बावजूद भारत का सकल घरेलू उत्पाद मजबूत हुआ है और इसका श्रेय विश्व व्यापार संगठन और उसकी नीतियों को जाता है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद 1997–98 में 4.8 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 6 प्रतिशत को छू रहा है। इस संगठन के दस वर्ष के स्थापना–काल के बाद से भारत में मृत्यु–दर में कमी दर्ज की गई है और इसके श्रेय का भी हकदार विश्व व्यापार संगठन ही है।

- **निगरानी से परियोजना लागत की वृद्धि कम करने में मदद**

पिछले छह माह में केंद्र सरकार की 51 परियोजनाएं पूरी हुईं। इन पर 24000 करोड़ रुपये की लागत आई। इन परियोजनाओं में 11 रेलवे, 13 सड़क, पांच जहाजरानी और 11 कोयला क्षेत्र की हैं।

इससे परियोजनाओं की लागत वृद्धि दर में करीब 0.9 प्रतिशत की कमी आई जबकि मार्च 2004 में यह दर 22.4 प्रतिशत थी। केंद्रीय परियोजनाओं में विलंब के कारण होने वाली लागत वृद्धि को रोकने पर बल दिया जा रहा है। क्रियान्वयन पर निगरानी की समुचित व्यवस्था कर दिए जाने से

विलंब के कारण लागत वृद्धि की दर पिछले छह माह में 22.4 प्रतिशत से घट कर 21.5 प्रतिशत पर आ गई। केंद्रीय परियोजनाएं लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित मंत्रालयों और उनके तहत कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की होती है। कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अन्य संबंधित पक्षों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब कम करने और विलंब के कारण होने वाली लागत वृद्धि पर अंकुश लगाने की सलाह दी है।

केंद्र सरकार की ओर से कुल 268000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत 605 परियोजनाओं में विलंब के कारण हुई लागत वृद्धि का 90 प्रतिशत हिस्सा केवल 19 परियोजनाओं से संबंधित है। इन केंद्रीय परियोजनाओं में 22 समय से पहले चल रही थीं, 140 समय पर और 250 समय से पीछे चल रही थीं। स्वीकृत 149 परियोजनाओं को चालू करने के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

विलंब और खर्चों में बढ़ोत्तरी रोकने के लिए कुछ उपायों की पहचान की गई है। इनमें परियोजनाओं को संसाधनों की सीमितता के मद्देनजर नई प्राथमिकताओं के अनुसार लेना, 50 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनाओं के लिए विशेष प्रबंधकीय मंत्रालय में परियोजना क्रियान्वयन के लिए अधिकार प्राप्त समितियों का गठन, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देना, सभी स्तरों पर निगरानी कड़ी करना तथा मंजूरी के समय कठोर मूल्यांकन जैसे उपाय शामिल हैं।

विलंबित परियोजनाओं की लागत

क्षेत्र	परियोजना	मूल स्वीकृत लागत	नई स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)	कार्य पूर्ण होने के समय तक व्यय
कोयला	11	3,366	3,963	3,215
खान	2	2,119	2,119	1,644
इस्पात	1	320	320	197
पेट्रोलियम	3	5,787	5,787	4,626
बिजली	1	1,678	7,666	7,905
रेलवे	11	639	1,024	1,259
सड़क	13	1,316	2,154	6,834
जहाजरानी	5	655	655	503
योग	51	15,932	23,910	21,394

स्रोत : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय।

- **85 चीजें लघु उद्योग क्षेत्र बाहर सात चीजों पर निवेश की सीमा बढ़ी**

सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र (एसएसआई) के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची से 85 वस्तुएं निकाल दी हैं। इसके साथ–साथ इस क्षेत्र में सात प्रकार की खेल–कूद की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों में अधिकत्तम पूंजीगत निवेश की सीमा बढ़ा कर पांच करोड़ रुपये कर दी गई है। इन वस्तुओं में हाकी का डंडा, क्रिकेट और हाकी की गेंदें तथा फुटबाल शामिल हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने एस.एस.आई. की आरक्षण सूची से 85 चीजें हटाने की अधिसूचना जारी की। इसके बाद अब इस सूची में 22 वर्गों की 570 चीजें रह गई हैं जिनका उत्पादन केवल लघु क्षेत्र में ही किया जा सकता है।

एसएसआई सूची से इन वस्तुओं को हटाने का यह कदम वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बजट भाषण में इसकी घोषणा के बाद उठाया गया है। एसएसआई सूची से हटाई गई वस्तुओं में रेजर, तांबे और चांदी के बर्तन, बूट पालिश, चंदन के तेल जैसे सुगंधित प्राकृतिक तेल, तौलिया, चीनी, काजू के उत्पाद, टापिओका सागो और टापिओका फ्लोर, तंबू के साथ–साथ खंभे, लकड़ी के प्लग, लकड़ी और बांस के हत्थे भी शामिल हैं।

वाहनों के कल–पुर्जों सहायक उत्पाद तथा गैरज के औजारों की श्रेणी में चार प्रकार की चीजें आरक्षण से हटाई गई हैं। इनमें लगेज कैरियर, ब्रेक व पायदान के पैड़ (आटो), वायरिंग हार्नेस (इंटिग्रेटेड कण हार्नेस को छोड़कर) और आटोलीफ स्प्रिंग (टेपर लीफ स्प्रिंग को छोड़कर) शामिल हैं।

जिन सात प्रकार के उत्पादों के मामले में निवेश कर सीमा बढ़ाई गई है उनमें खेलकूद के नेट (जाल), शटल काक, पैड और दस्ताने जैसे बचाव के सामान, डंप बेल व वक्ष विस्तारक उपकरण शामिल हैं।

- **आधारभूत उद्योगों की वृद्धि दर बढ़कर अक्टूबर में 4.6 प्रतिशत**

छह आधारभूत उद्योगों के उत्पादन सूचकांक में इस वर्ष अक्टूबर माह में हल्की वृद्धि दर्ज की गई। अक्टूबर में वृद्धि 4.6 प्रतिशत रही जबकि पिछले वर्ष इसी माह की वृद्धि 4.2 प्रतिशत थी।

इस वित्तीय वर्ष के पहले सात महीनों में इस आधारभूत क्षेत्र के इन उद्योगों की संचयी वृद्धि 5.9 प्रतिशत रही जबकि अप्रैल–अक्टूबर 2003 की इसी अवधि में यह वृद्धि 5.4 प्रतिशत थी।

संयची वृद्धि के हिसाब से तैयार इस्पात उद्योग को छोड़ बाकी सभी क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में ऊंची रही। तैयार इस्पात का उत्पादन इस वर्ष इसी अवधि से 4.1 प्रतिशत ऊंचा रहा जबकि पिछले वर्ष की वृद्धि 12.5 प्रतिशत थी। कोयला और बिजली क्षेत्रों में उत्पादन 7.3 प्रतिशत रहा जो दोगुनी वृद्धि दर दर्शाता है। पिछले वर्ष इसी दौरान कोयला क्षेत्र में 3.2 प्रतिशत और बिजली में 2.9 प्रतिशत वृद्धि हुई थी।

अक्टूबर में सीमेंट, कोयला और परिशोधित उत्पादों का उत्पादन तेजी से सुधरने से कुल मिलाकर उत्पादन वृद्धि दर बेहतर दिखने लगी। वैसे इसी माह के दौरान कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन द्वारा अवलोचना माह में तैयार इस्पात का उत्पादन भी एक वर्ष पूर्व 10 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 1.9 प्रतिशत नीचे आ गया।

- **भारत–आसियान निवेश संवर्द्धन समझौता**

भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दल सदस्यीय संघ (आसियान) ने आपस में आर्थिक संबंध मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत एक आंचलिक

व्यापार एवं निवेश क्षेत्र स्थापित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र तक फैले सदस्य देशों के बीच बांड का बड़ा बाजार बनाने के साथ–साथ क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने में सहयोग करना तथा क्षेत्रीय स्तर पर मौद्रिक व वित्तीय सहयोग बढ़ाना है।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने दस आसियान देशों के प्रमुखों के साथ आसियान व भारत के बीच शांति, प्रगति और सामूहिक समृद्धि में सहभागिता की अनुपालन कार्य योजना के लिए वियतनाम में लाओस में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस कार्य योजना में अवसंरचना तथा परिवहन सुविधाओं का विकास और गैर–संबंधी परियोजनाओं में सहयोग की बात शामिल है। बुनियादी सुविधा क्षेत्र में सहयोग के कार्यक्रमों में भारत, म्यांमार थाइलैंड के बीच राजमार्ग के विकास की त्रिपक्षीय योजना भी शामिल है। इस राजमार्ग को सुविधाओं के विस्तार के लिए लाओस और कंबोडिया तक ले जाने का विचार है। कार्ययोजना के तहत भारत और आसियान के सदस्य देश निवेश संवर्धन और दोहरे कराधान से बचने के बारे में द्विपक्षीय समझौते किए जाएंगे। इन देशों के साथ मानकीकरण और प्रमाणन करने वाली राष्ट्रीय एजेंसियों तथा तकनीकी नियामकों के बीच तालमेल बिठाने और पारस्परिक मान्यता के समझौते भी किए जाने हैं।

कार्ययोजना का एक लक्ष्य क्षेत्रीय पूंजी बाजार विकसित करने के साथ–साथ वित्तीय स्थिरता बढ़ाना और मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र में इन देशों के साथ सामूहिक सहयोग की व्यवस्था करना कार्ययोजना के तहत ये देश आपस में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तथा निवेश बढ़ाने के लिए अधिकाधिक तालमेल करेंगे और इसकी बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करेंगे। व्यापारियों की सुविधा के लिए इस कार्ययोजना में भारत और आसियान के बीच ऐसी आन लाइन वस्तुओं के उद्गम स्थल का प्रमाण देखने की प्रणाली स्थापित करने की बात है। इस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सबसे अच्छी नियामक व्यवस्था की तर्ज पर आयात और निर्यात की जांच प्रणाली स्थापित की जाएगी।

भारत और आसियान अपनी वैधानिक, नियामक और पर्यवेक्षकीय व्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित कर एक विस्तृत पूंजीवाद विकसित करेंगे। इस योजना में एक एशियाई बांड बाजार विकसित करने का लक्ष्य है ताकि क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके।

राजमार्ग बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में निजी क्षेत्र की शक्ति के सामंजस्य से इस अंचल में गरीब और अमीर के बीच कंप्यूटर क्रांति के लाभ का अंतर समाप्त करने का भी फैसला किया है। इसके लिए इस कार्ययोजना के तहत आसियान और भारत के बीच अति तीव्रगति की इंटरनेट सुविधा के बीच उच्च गति की फाइबर आप्टिक लाइनों की स्थापना की जाएगी तथा आपस में सूचनाओं का प्रवाह प्रोत्साहित किया जाएगा।

कार्ययोजना में सूचना, दूरसंचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संस्थागत बढ़ाने तथा बुनियादी सुविधाओं को जोड़ने का लक्ष्य है ताकि आपस में सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापार बढ़ाया जा सके। इसके समझौते के तहत आसियान और भारत के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों की नियमित बैठकें होंगी। ❑

OUR MILESTONES

ARSHDEEP SINGH
IAS 3rd Topper

"I found guidance from Dr. Majid Husain at CIVILS INDIA very useful one. CIVILS INDIA provides good environment for studying Optionals and General Studies." Arshdeep Singh

"With labour and commitment Proper guidance matters the most which I got at CIVILS INDIA" Shurbir

SHURBIR SINGH
IAS 4th Topper

OTHER RESULTS

138th - Dinesh Kumar, IAS
145th - Dheeraj Garg, IPS
252nd - Shyam Kanu Mohanta, IRS
318th - Punam, Allied
402nd - Babulal Sonal, IRS

OUR HIGHEST IN 2003
Geog.-362; G.S.-361; Essay-142; Interview-220

IAS 2004-05
ADMISSION NOTICE

We offer the most time-tested and performance-oriented classroom courses in India (Eng. & हिन्दी)

GEOGRAPHY by Prof. Majid Husain
Registration Open June, 2005 Batch Screen Test On 22.5.05
"A name needing no introduction"
*6th Topper in the very first Batch (2002) and 3rd & 4th Toppers in the second Batch (2003)

GEN. STUDIES by Dr.Majid Husain, Dr. Ramesh Singh, Dr. S. S. Pandey & Neeraj Singh
4th Topper in the very first Batch (1998)
6th Topper in (2002) & 3rd and 4th in 2003.
WORKSHOP 28 Nov. 9 AM

ECONOMY by Dr. Ramesh Singh
"Making Economy the easiest for anybody"
Batches every month
STARTS 2. 11. 04

समाजशास्त्र by Dr. S. S. Pandey
Nex Batch : 25 Nov. Workshop 23 नवंबर (4 बजे सायं) (At CIVILS INDIA only)
"हिन्दी माध्यम में सर्वाधिक लोकप्रिय"

दर्शनशास्त्र by Deepak Kumar
"Class करें और अंतर देखें" कक्षा प्रारंभ : 25 नवंबर
• Module की सुविधा • Improvement Programme

HISTORY by Sanjay Varma & नीरज सिंह
कक्षा प्रारंभ : 25 नवंबर Workshop के साथ

SPECIAL FEATURES
• Two types of Notes : (1) Exhaustive type
(2) Model Answer type
• Everyday Assignments/Writing Practice/Timely Tests
• Personal Guidance Programme (PGP) also
• Fleximodule in GS [Listen classes and G.S. is prepared]

CIVILS INDIA®
The Quality Institute for IAS
A/12-13,202-203, ANSALBUILDING
BEHIND BATRA CINEMA,
DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-09
Ph.: 27652921, 9810553368 (Dr.) 9818244224 (Couns.),

IAS

2005-06

Under the guidance of **Mr. Mukesh Sahay** (Director), **SAHAY IAS ACADEMY** has emerged as the most trusted name in the nation, ensuring more than 200 genuine selections in IAS and various PCS.

Enrollment open for

Foundation (2006) : A 7-8 month integrated classroom course including complete coverage of Pre & Main (2 optional & GS)

Pre-cum- Main : A 4-5 month comprehensive course with in-depth analysis of the subject along with regular answer writing and evaluation on the lines of UPSC.

Pre Exclusive : A 2-3 month compact course with to the point approach to score 100+ in GS and optional.

Weekend Contact Program : specially designed for the office and college goers

Available Subjects :

GS | HISTORY | PUB.ADMN.
COMMERCE | SOCIOLOGY | PHY.
CIVIL | MECH. | ELEC. | GEOG.

IES / GATE

PSUs

- CIVIL
- MECHANICAL
- E & T
- ELECTRICAL
- COMP. Sc.
- I T

ADMISSION OPEN!

SAHAY IAS ACADEMY

A Unit of **SAHAY INSTITUTE FOR ADVANCED STUDIES (P) LTD.**
28 A/11, JIA SARAI, HAUZ KHAS, ND-110016
Ph: 011-**30925658, 55450428, 9810840271**

- ❑ Postal courses and All india test series are available.
- ❑ Classes are held in English & Hindi medium
- ❑ Hostel Facility arranged
- ❑ Enriched Library Facility available

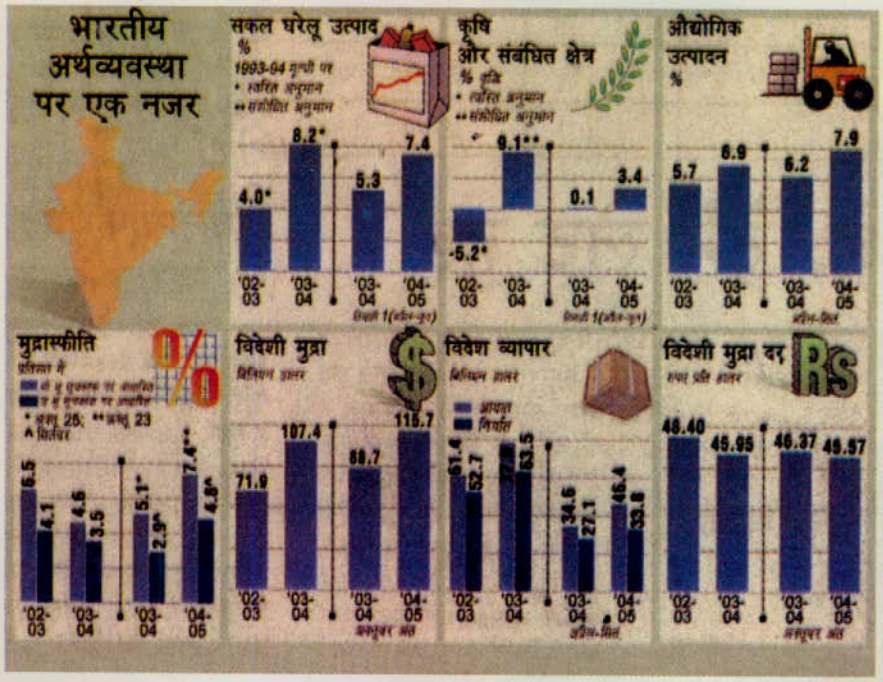

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजटीय प्रबंध (एफ.आर.बी.एम.) द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार सितंबर के अंत तक कुल गैर ऋण–प्राप्तियां बजट अनुमानों का 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए; इसी तरह राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों का 45 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। समीक्षा में कहा गया है कि राजकोषीय निष्पादन निर्धारित मानदंड के अनुरूप नहीं रहा है। एक तरफ गैर ऋण–प्राप्तियां 41.8 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों का 38.7 प्रतिशत रहा है, जो एफआरबीएम से बेहतर है; परंतु दूसरी ओर राजस्व घाटा 78.7 प्रतिशत है, जो 45 प्रतिशत की सीमा से बहुत आगे चला गया है। समीक्षा में जोर देकर कहा गया है कि सरकार वर्ष 2004–05 के दौरान राजस्व घाटे में एफआरबीएम द्वारा निर्धारित 0.5 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य हासिल करेगी।

वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम् ने रुपये 5,063.00 करोड़ के अतिरिक्त नकद खर्च का प्रस्ताव किया है। इस धनराशि का बड़ा हिस्सा शिक्षा और ग्रामीण दूर संचार संपर्क पर खर्च किया जाएगा। ❑

(एजेंसियों से साभार)

An Innovative Study Centre

ARTH
EDUCATIONAL CIRCLE

Batches starting from 5th Feb. & 20th Feb.

FOR IAS/PCS and NET/JRF

The ultimate destination for preparation of Civil Services and NET.

★ Guidance by experienced teachers.
★ Lucid Notes and writeups.
★ Regular tests.
★ Flexi module option available for G.S. and 1st Paper of JRF/NET.

Subjects Offered:

G.S., History, Public Administration, Sociology, Economics, Geography, Social Work and Home Science.

FOR MORE DETAILS CONTACT: The Co-ordinator, ARTH EDUCATIONAL CIRCLE,
M-1/87, Sector-B, Aliganj, Lucknow-226024. Phone- 0522-2323606, 9838638535.

इतिहास द्वारा रमेश चन्द्रा
सामान्य-अध्ययन एवं निबन्ध द्वारा रमेश चन्द्रा एवं अन्य अनुभवी विशेषज्ञ

नया सत्र : 05 जनवरी

मुख्य परीक्षा

"मुख्य परीक्षा में सफलता विषय के प्रामाणिक ज्ञान तथा उसके सम्यक् प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करता है।"

कक्षा कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ :-

- तीन महीने का विस्तृत कार्यक्रम।
- प्रत्येक टॉपिक पर व्याख्यान।
- टॉपिक से संबंधित संभावित प्रश्नों का उत्तर -प्रारूप एवं उत्तर लेखन।
- उत्तर लेखन पर विशेष बल, अतिरिक्त कक्षायें।
- प्रत्येक विषय पर विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण।
- U P S C पद्धति पर साप्ताहिक मॉडल टेस्ट। टेस्ट में UPSC द्वारा मुख्य परीक्षा में उपलब्ध उत्तर पुस्तिका के अनुरूप पुस्तिका संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।
- सम्पूर्ण कम्प्यूटराईज्ड अध्ययन सामग्री।

विशेष I.A.S. -2003 एवं I.A.S. - 2004

इतिहास (मुख्य परीक्षा) में संस्थान में अध्ययन कराये गये प्रश्नों में क्रमशः 12 एवं 14 प्रश्न (कुल 16 प्रश्न) पूछे गये। प्रश्नों से संबंधित टॉपिक पर व्याख्यान, प्रश्नों का प्रारूप, उत्तर लेखन एवं विद्यार्थियों द्वारा उन पर लेखन कार्य भी सम्पन्न हुआ।

प्रारम्भिक परीक्षा

- विगत 2-3 वर्षों में प्रा० परीक्षा-पत्र के स्वरूप में आये परिवर्तन के अनुरूप अध्ययन सामग्री एवं कक्षा-योजना का निर्धारण इस प्रकार कि आप आसानी से 95-105 प्रश्न कर सकें।
- उ० प्र०, उत्तराचल, म०प्र०, बिहार, राजस्थान झारखण्ड, छत्तीसगढ़ आदि राज्य सेवाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का समावेश।
- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर परीक्षा के अनुरूप बिन्दुवार अध्ययन सामग्री।
- कक्षा 6,7,8 एवं 11, 12 की की N.C.E.R.T. पुस्तकों के बिन्दुवार नोट्स तथा इनके अध्ययन एवं अभ्यास हेतु विशेष कक्षायें।
- प्रतिदिन २० प्रश्नों का अभ्यास।
- प्रत्येक टॉपिक के समापन के पश्चात् प्रारम्भिक परीक्षा पैटर्न पर टेस्ट।
- परीक्षा के एक माह पूर्व आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की तरह 5 छद्म-परीक्षाओं का आयोजन।

राष्ट्रीय पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम

विषय : सामान्य अध्ययन, इतिहास, दर्शनशास्त्र

फीस: मुख्य परीक्षा (प्रति विषय) - 2500/- रुपये मात्र।
प्रारम्भिक परीक्षा (प्रति विषय) - 2000/- मात्र।

नोट: कार्यक्रम में नामांकन हेतु दिल्ली में भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट 'रमेश चन्द्रा' के नाम निम्न पते पर भेजें।

प्रारम्भिक परीक्षा टेस्ट सीरीज 2005 (सामान्य अध्ययन, इतिहास)

- साप्ताहिक टेस्ट प्रारम्भ 16 जनवरी
- 15 टेस्ट : प्रत्येक 75 प्रश्न : 1 घंटा (सा0 अध्ययन), प्रत्येक 60 प्रश्न - 1 घंटा (इतिहास)
- 5 सम्पूर्ण मॉडल टेस्ट प्रत्येक 150 प्रश्न -2 घंटा (सा0 अध्ययन), प्रत्येक 120 प्रश्न (इतिहास)

क्र.स	विषय (सा० अध्ययन)	विषय (इतिहास)	तारीख	दिन
1.	सामान्य विज्ञान (भौतिक, रसायन विज्ञान, कम्प्यूटर)	प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ	16 जन	रवि
2.	सामान्य विज्ञान (जीव विज्ञान, मानव क्रिया विज्ञान, पशुपालन विज्ञान)	हड़प्पा संस्कृति	23 जन	रवि
3.	भारतीय राज व्यवस्था	वैदिक संस्कृति	30 जन	रवि
4.	भारतीय राज व्यवस्था	मौर्य साम्राज्य	06 फ०	रवि
5.	भारत का भूगोल	गुप्त साम्राज्य एवं हर्ष व	13 फर	रवि
6.	विश्व का भूगोल	प्राचीन काल में धर्म एवं दर्शन (ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, षडदर्शन)	20 फर	रवि
7.	भारतीय इतिहास एवं संस्कृति	दक्षिण भारत (संगम, चोल, विजय नगर पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट)	27 फर	रवि
8.	भारतीय इतिहास एवं संस्कृति	प्रारम्भिक मध्यकालीन इतिहास (राजपूत काल)	06 मार्च	रवि
9.	गणितीय प्रश्न एवं मानसिक योग्यता	दिल्ली सल्तनत	13 मार्च	रवि
10.	गणितीय प्रश्न एवं मानसिक योग्यता	मुगल साम्राज्य	20 मार्च	रवि
11.	भारतीय अर्थव्यस्था	शिवाजी एवं मराठा पेशवा एवं मध्ययकालीन धर्म	27 मार्च	रवि
12.	भारतीय अर्थव्यस्था	आधुनिक भारत - I	03 अप्रैल	रवि
13.	भारतीय अर्थव्यस्था	आधुनिक भारत - II	07 अप्रैल	बृह
14.	समसामयिकी भारत 2005, आर्थिक समीक्षा एव अन्य रिपोर्टें	आधुनिक भारत - III	10 अप्रैल	रवि
15.	समसामयिकी भारत 2005, आर्थिक समीक्षा एव अन्य रिपोर्टें	आधुनिक भारत - IV	14 अप्रैल	बृह
16.	यू०पी०एस०सी० पैटर्न पर मॉडल टेस्ट (150 प्रश्न -२ घंटा)	यू०पी०एस०सी० पैटर्न पर मॉडल टेस्ट (120 प्रश्न -२ घंटा)	17 अप्रैल	रवि
17.	"	"	24 अप्रैल	रवि
18.	"	"	28 अप्रैल	बृह
19.	"	"	01 मई	रवि
20.	"	"	08 मई	रवि

फीस न्यूनतम

नोट : 1. सीमित स्थान, अपना स्थान सुनिश्चित करने हेतु नामांकन पहले करा लें।
2. टेस्ट-सीरीज के बाद प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा होगी।

द हिस्टोरिका

2063(BASEMENT), OUTRAM LINES,
(IN THE LANE BEHIND D.A.V. PUBLIC SCHOOL)
KINGSWAY CAMP, DELHI- 9
TEL.: (011) 55153204 CELL : 9818391120

RATE CARD OF PUBLICATIONS DIVISION JOURNALS
(From 01-04-2002)

Name of Journals		Inside Text Pages (Coloured)		B/W		Back Cover	2nd & 3rd Cover
		Full Page	Half Page	Full Page	Half Page		
Group A	Yojana (E)	8000/-	5000/-	4000/-	2500/-	+ 40%	+ 25%
	Yojana (H)						
Group B	Kurukshetra (E)	5000/-	3000/-	2500/-	1500/-	+ 40%	+ 25%
	Kurukshetra (H)						
	Ajkal (H)						
	Bal Bharti						
Group C	Yojana – (Urdu,	No -		1000/-	600/-	+ 40%	+ 25%
	Punjabi, Oriya,	Colour-					
	Assamese, Tamil,	Page					
	Telugu, Marathi,						
	Bengali, Gujarati,						
	Kannada, Malayalam)						
	Ajkal (Urdu)						

For Special Issues

Yojana – (Republic Day and Independence Day) Kurukshetra – (October Annual Number)

	Colour	B/W
Half Page	7000/-	4000/-
Full Page	12000/-	6000/-
2 & 3 Cover	16000/-	9000/-
Back Cover	19000/-	10000/-

Rate Card for India/Bharat

	India		Bharat	
	Colour	B/W	Colour	B/W
Full Page	10000/-	5000/-	6000/-	3000/-
Double Spread Inside Back Cover	25000/-	12500/-	13000/-	6500/-
Double Spread Inside Front Cover	30000/-	15000/-	16000/-	8000/-

Note : 1. For 3 or more insertions – **10% Discount**
2. Full year (12 insertions) – **20% Discount**
3. For Colour Advts. positives of advts. to be supplied by the advertisers or Rs. 500/- will be charged extra.

Mechanical Details :

	Yojana	Ajkal/Kurukshetra	Bal Bharti	India/Bharat
Overall size	19.5 x 27 cms	21 x 28 cms	18 x 24 cms	16.5 x 24 cms
Print area	17 x 23 cms	17 x 24 cms	15 x 19.5 cms	12 x 20 cms

Ad. Material Artpull/Artwork/Positives
Payment by DD in favour of Director, Publications Division,
Material & Payment to be sent to :
Circulation & Advt. Manager, Publications Division, East Block-4,
Level-7, R.K. Puram, New Delhi-110066. Tel: 011-26105590; Fax: 011-26100207.

नामांकन जारी

लोक प्रशासन

(हिन्दी माध्यम)

By

Atul Lohiya

(A person who believes in hard work and scientific approach)

UGC-NET

QUALIFIED IN TWO SUBJECTS

HISTORY & PUB. ADMINISTRATION

Course Offered:

* Mains
* Mains + Prelims (Foundation Course)
* Test Series for Mains
* Answer Formating Session for Mains
* Test Series with Answer Formating Session
* Test Series for Prelims

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

(पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 2500/-

MAINS + PRE. - 3500/-

डाक खर्च - 200/- अतिरिक्त

Send DD/MO in favour of Atul Lohiya

***UPSC** के साथ **UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS** की भी तैयारी*

नया सत्रः दिल्ली - 16 दिसंबर एवं 5 जनवरी * इलाहाबाद - 26 दिसंबर

अन्य विषय

सामान्य अध्ययन
अतुल लोहिया, शैलेन्द्र सिंह, शशि भूषण, अनामिका सिंह एवं अन्य
*नया सत्र : दिल्ली - 16 दिसंबर * इलाहाबाद - 26 दिसंबर*

हिन्दी साहित्य
अनामिका सिंह
*नया सत्र : दिल्ली - 17 दिसंबर * इलाहाबाद - 27 दिसंबर*

'अतुल लोहिया'

शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र भी

Cell.: 9810651005, 0532-3217608

Sanjay Singh
Regional Director (Allahabad)
Cell. : 9839746184

Shashi Bhushan
Director
Cell. : 9868378728

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

FLAT No. 105, 1st FLOOR, VIRAT BHAWAN (MTNL BUILDING), NEAR BATRA CINEMA, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009 • Ph.: 27655134. Cell.: 9810651005

Branch : 305/250, COLONELGANJ, NEAR COLONELGANJ POLICE STATION, ALLAHABAD.

स्त्री–पुरुष असमानता और आयोजना

○ देविका पॉल

***भा**रतीय योजना प्रक्रिया के विकास का अध्ययन करते समय महिलाओं की समस्याओं में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। हमारी महान आयोजना प्रक्रिया की सफलता का मूल्यांकन अंततः तभी किया जा सकेगा, जब पूर्ण स्त्री–पुरुष समानता हासिल कर ली जाएगी।*

समाजवादी आयोजना के नियमों के अंतर्गत हमारे देश के अनुभव भारत और विदेश में विशेषज्ञों के बीच विचार–विमर्श का लोकप्रिय विषय रहे हैं। पश्चिमी योजना विशेषज्ञों की प्रवृत्ति हमारी योजना प्रक्रिया और उपलब्धियों की तुलना अन्य बड़े एशियाई देश, चीन के साथ करने की रहती है। परंतु, भारत के लिए योजना प्रक्रिया बहुदलीय लोकतंत्र वाले एक विस्तृत और विविधतायुक्त तथा बहुभाषी राष्ट्र के विकास का मार्ग दुरुस्त करने का संकल्प रही है।

भारतीय इतिहास में आदिकाल और वैदिक युग के दौरान संभवतः समाज में महिलाओं का स्तर और उनके अधिकारों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता था। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि सभी धर्मों ने नारी को शक्तिशाली महामाया के सर्वोच्च स्तर तक सम्मान दिया, जिसे अच्छाई की स्रष्टा और संरक्षक तथा बुराई का नाश करने वाली माना गया। परंतु इतिहास के मार्ग में कहीं कुछ ऐसा हो गया, जिसकी वजह से नारी का सम्मान समाज में कम हो गया। भारतीय नारी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन 19वीं सदी में हुआ, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन हुए। ब्रिटिश शासन के दौरान महिलाओं ने अपने को संगठित करना शुरू किया और वे स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने लगीं। स्वाधीनता आंदोलन के अंतिम चरण से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि भारतीय महिला किसी नेक लक्ष्य के लिए कुछ भी बलिदान करने में सक्षम थी।

स्वतंत्र भारत की विकासात्मक आयोजना प्रक्रिया के प्रारंभ से ही, प्रमुख मुद्दों में एक मुद्दा महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान करना रहा है। प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान विभिन्न कल्याण गतिविधियों के आयोजन और महिलाओं की शिक्षा को वरीयता देने पर जोर दिया गया। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कल्याण की बजाय महिलाओं के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पर अधिक बल दिया गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना

में महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की दृष्टि से लाभार्थियों की पहचान और उन्हें प्रोत्साहित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) के अंतर्गत विकास नीति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। सामाजिक कल्याण संबंधी अध्याय में कहा गया था कि समुदाय का सामाजिक कल्याण काफी हद तक महिलाओं के स्तर, कार्यों और दायित्वों पर निर्भर करता है। इसमें जोर देकर कहा गया था कि सामाजिक स्थितियों के माध्यम से महिलाओं को ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिनसे वे अपने को रचनात्मक ढंग से अभिव्यक्त कर सकें, और समुदाय के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में अपना योगदान कर सकें। योजना में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया और ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को स्कूलों में दाखिल करने के प्रयास किए गए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य रूप से महिलाओं के लिए मातृ–सुलभ और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और महिलाओं को डाक्टर, मिडवाइव्स और दाई का प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया, ताकि महिलाओं को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें। किंतु महिलाओं के लिए प्रशासनिक संरचनाएं और उपाय निर्धारित करने के बारे में योजना

दस्तावेज में कुछ नहीं कहा गया था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) में महिलाओं के विकास के लिए कोई विशेष नए लक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया गया। योजना के अंतर्गत केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की गतिविधियों और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। माता–पिता को शिक्षित करने के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षा को लड़कियों की जरूरतों के अनुसार अधिक सार्थक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया और पहली बार आवंटन करते समय महिलाओं की शारीरिक और जैविक अक्षमताओं पर ध्यान दिया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66) में कल्याण पहलू पर बल देना जारी रहा। केन्द्रीय कल्याण बोर्ड के लिए अधिक धन आवंटित किया गया। स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच भारी अंतराल पर ध्यान आकर्षित किया गया। विश्वविद्यालय स्तर पर लड़कियों को विशेष छात्रवृत्तियां प्रदान करने और महिला कालेजों को अनुदान मंजूर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए किसी विशेष योजना का उल्लेख योजना दस्तावेज में नहीं था। उद्योग के क्षेत्र में महिलाओं के बारे में सिर्फ इतना उल्लेख किया गया कि खादी की कताई के लिए 'अंबर चरखों' की शुरुआत से महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। निस्संदेह, यह योजना महिलाओं के आर्थिक मुद्दों के प्रति निरपेक्ष रही।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) में महिलाओं के लिए कोई नई योजना नहीं प्रारंभ की गई। इसमें सिर्फ समाज कल्याण बोर्ड के कार्यों और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान करने जैसे महिलाओं के कल्याण संबंधी पहलुओं को शामिल किया गया।

महिलाओं की स्थिति के बारे में रिपोर्ट 1974 में प्रकाशित हो गई थी और प्रथम महिला सम्मेलन, जो 1975 में नैरोबी में आयोजित किया गया था, की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं, फिर भी पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) में न तो कोई नई पहल की गई और न ही कोई नीतिगत वक्तव्य योजना दस्तावेज में शामिल किया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) महिलाओं के विकास में मील का पत्थर थी। पहली बार योजना दस्तावेज में 'महिला और विकास' नाम का अलग अध्याय शुरू किया गया। इसमें महिलाओं के स्तर पर उनकी स्थिति की समीक्षा की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि कानूनी और संवैधानिक गारंटियों के बावजूद लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं। दस्तावेज में महिलाओं की दयनीय स्थिति के लिए विषम स्त्री–पुरुष अनुपात और निम्न जीवन संभाव्यता को मूल रूप से जिम्मेदार माना गया। एक बार फिर योजना दस्तावेज में साफ तौर पर कहा गया कि महिलाओं के स्तर में तेजी से सुधार के लिए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा। दस्तावेज में सुझाव दिया गया कि स्वरोजगार के जरिए महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए जिलास्तर पर सेल बनाए जाने चाहिए। इसमें कहा गया कि सरकार को महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा के लिए पारित विभिन्न विशेष कानूनों को लागू करने वाले तंत्र की उपयुक्तता की समीक्षा करनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और सर्वेक्षण की भूमिका पर बल दिया जाना चाहिए।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं के विकास की उपलब्धियों की समीक्षा की गई और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के बीच एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। योजना दस्तावेज में इस बात पर ध्यान दिया गया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के दाखिलों में भारी अंतराल है। इसमें महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और समुचित शिक्षा के जरिए अधिक संख्या में कुशल और अकुशल रोजगार के अवसर पैदा किए जाने की सिफारिश की गई। योजना दस्तावेज में कहा गया कि घरेलू कामकाज की नीरसता कम करने में सक्षम नई प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार कहा गया कि महिलाओं में विश्वास और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के कार्यों में तेजी लाई जाए, ताकि महिलाएं विकास के लिए अपनी संभावनाओं को महसूस कर सकें। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जैसे विषयों को शामिल करते हुए महिलाओं के लिए समेकित विकास परियोजनाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) में पिछली योजना की उपलब्धियों की समीक्षा की गए और विभिन्न लाभोन्मुखी योजनाओं की सराहना की गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत उस ठोस आधार पर रखी गई, जो छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तैयार किया गया था। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि रोजगार के माध्यम से महिलाओं को विकास प्रक्रिया में समान भागीदार के रूप में काम करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए, उन्हें मात्र लाभार्थी नहीं समझा जाना चाहिए। पहली बार महिलाओं पर अधिक ध्यान देने और उनके लिए रोजगार की सर्वोच्च और महत्वपूर्ण आवश्यकता का उल्लेख दस्तावेज में किया गया। इसमें कहा गया कि लोगों में जागरूकता पैदा करके महिलाओं के प्रति समाज के

नजरिए में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) में भारतीय महिला के समग्र विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए ताकि उसे अधिक आत्मविश्वास के साथ 21वीं सदी में प्रवेश करने में सक्षम बनाया जा सके। पहली बार स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया कि सामाजिक परिवर्तन और विकास के प्रेरक के रूप में महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए 'महिलाओं को अधिकार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नीति' बनाई जानी चाहिए। योजना दस्तावेज में पहली बार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता पर विचार किया गया। योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं को तीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने और कालेज स्तर तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करने जैसे सुझाव भी दिए गए। योजना में प्रस्ताव किया गया कि महिला उद्यमियों के लिए 'विकास बैंक' की स्थापना की जाए। योजना का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि महिला विकास क्षेत्रों के लिए तीस प्रतिशत धन सुनिश्चित करने के लिए योजना में विशेष महिला घटक शामिल किया जाए।

भारतीय योजना प्रक्रिया के विकास का अध्ययन करते समय पहली से दसवीं पंचवर्षीय योजना तक महिलाओं की समस्याओं में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। नई विचारधाराओं को महत्व प्राप्त हुआ है। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत महिला अधिकारिता सेल की स्थापना के बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज यह हमारी राष्ट्रीय आयोजना का प्रमुख घटक है। पहली योजना के दौरान महिलाओं की शिक्षा पर तो बल दिया गया, लेकिन उन्हें गृहणी के रूप में घर की चारदीवारी में सुरक्षित रखने की भावना बरकरार रखी गई। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं योजना तक इसी मार्ग का अनुसरण किया गया। केवल सातवें दशक के मध्य में सरकारी क्षेत्र और समाज में समान भागीदार के रूप में महिलाओं के समग्र विकास के प्रयासों के प्रति जागरूकता पैदा हुई। विकास के अन्य क्षेत्रों से भिन्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना के बाद की अवधि को छोड़कर, महिलाओं के विकास के लिए एक नियमित प्रणाली पर विचार कभी नहीं किया गया। नीति निर्माण और आयोजन एक सतत प्रक्रिया है, जो निरंतर विकासमान है। हमारी योजना की सफलता की प्रक्रिया का अंतिम मूल्यांकन तभी किया जा सकेगा, जब स्त्री–पुरुष संबंधी पूर्ण समानता हासिल कर ली जाए। तभी हम अपने समाज में महिलाओं को हमेशा सहने और हमेशा आंसू बहाने के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। ❑

(डा. देविका पॉल कस्तूरबा ग्रामीण अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली की अध्यक्ष हैं।)

भूगोल विश्व एवं भारत

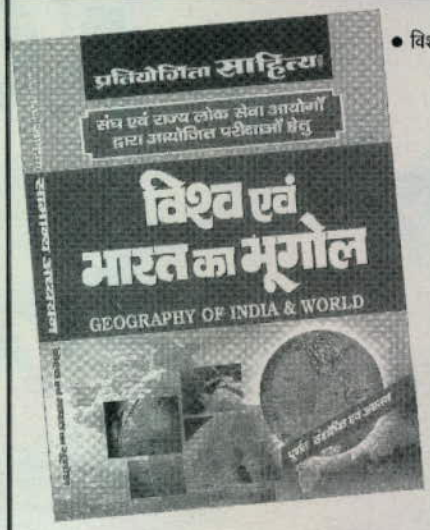

- विश्व एवं भारत के रंगीन मानचित्र
- विश्व के 191 देशों के रंगीन ध्वज

Book Code : 850
Pages : 348
Price : Rs. 140/-

विषय-सूची

विश्व का भूगोल : • ब्रह्माण्ड (सौरमण्डल, सौरमण्डल की उत्पत्ति) • अक्षांश, देशान्तर और समय • स्थलमण्डल • महाद्वीप (एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अण्टार्कण्टिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, आस्ट्रेलिया) • पर्वत • पठार • मैदान • झीलें, शैल अथवा चट्टान • विश्व की मिट्टियां, भूतल पर परिवर्तनकारी शक्तियां • वायुमण्डल • जलमण्डल (महासागरीय नितल के उच्चावच, महासागर जल की गतियां, ज्वार भाटा) • विश्व : कृषि • विश्व : ऊर्जा और खनिज • विश्व : उद्योग • विश्व : जनसंख्या (जनसंख्या : वितरण एवं वृद्धि, मानव का अर्विभाव एवं विकास, मानव प्रजाति का वर्गीकरण) • विश्व : परिवहन एवं व्यापार • विश्व : पर्यावरण (विश्व वन वितरण, विश्व के पशु-पक्षी) • विश्व के देश • भौगोलिक परिभाषाएं • जलवायु : पारिभाषिक शब्दावली • विभिन्न भौगोलिक शब्दावली • सममान रेखाएं • वस्तुनिष्ठ प्रश्न

भारत का भूगोल : • भू-वैज्ञानिक संरचना • प्रशासनिक परिचय • उच्चावच एवं भू-आकृतिक प्रदेश • अपवाह प्रणाली • जलवायु • मिट्टियां • प्राकृतिक वनस्पति • जल संसाधन • कृषि • वानिकी एवं मत्स्य व्यवसाय • खनिज • ऊर्जा • उद्योग एवं औद्योगिक विकास • जनसंख्या एवं सामाजिक भूगोल • परिवहन • भारत के राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2851665 Fax 2851568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

IAS/PCS 2005 (MAINS/PRELIMS)

CSIR/UGC-NET

KALP ACADEMY

We Kalp your dreams into reality.

KALP ACADEMY — INSTITUTE FOR EXCELLENCE

Biggest & The Best

Rely on us.... We rely only on excellence

कल्प हिन्दी माध्यम

अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान
लोक प्रशासन, भूगोल
इतिहास, दर्शनशास्त्र
मनोविज्ञान, समाज शास्त्र

Read Our Exclusive Magazines
KALP TIMES (Eng.)
कल्प टाइम्स (हिन्दी)
for IAS/PCS

ALMOST ALL ANSWERS OF QUESTIONS IN GS-MAIN EXAM: 2004 FIGURED FROM KALP TIMES

ENGLISH MEDIUM

KALP HUMANITIES: Economics, Commerce, Political Science, Public Admn., Geography, Sociology, Hisotory, Psychology
KALP SCIENCES: Zoology, Maths, Botany Physics, Chemistry

BATCHES COMMENCE ON 20th Jan & 5th Feb. 2005

Separate Hostels for Girls & Boys

POSTAL COACHING ALSO AVAILABLE

KALP ACADEMY
Symbiosis of Experts for Civil Services

A-38-40, Ansal Building, Commercial Complex,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Ph. : 27655825, 27655826. Cell.: 9810565283, 9868024975, 20054802

सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण

○ रमण पी. सिंह

सरकार ने दसवीं योजना में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रोत्साहन और उसके प्रसार की ओर ध्यान केन्द्रित किया है। इस योजना में बुनियादी स्तर पर सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया गया है।

प्राचीन काल से भारतीय कला और संस्कृति व्यक्ति और समुदाय के विविध लोकाचारों की सृजनशील आत्म–अभिव्यक्ति और आत्म–अन्वेषण से भरपूर है। इसने हमारे मूल्य और विश्वास को अर्थपूर्ण बनाया है। संक्षेप में कहें तो इसने हमें एक विशिष्टतापूर्ण अस्तित्व प्रदान किया है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय देश की सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण और संवर्द्धन के अलावा एक सामाजिक शक्ति के रूप में सृजनशीलता के विकास के लिए योजनाओं का संचालन करता है। इसके पास नेशनल म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट, नेशनल रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल प्रोपर्टी, नेशनल लाइब्रेरी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी और एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक छह संलग्न कार्यालयों का नेटवर्क है। इसके अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नामक दो संस्थाएं भी हैं। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय के अधीन संग्रहालयों, अकादमियों, स्मारकों, पुस्तकालयों, बौद्ध और तिब्बती संस्थाओं, साइंस सिटी, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों

इत्यादि के रूप में 33 स्वायत्त संस्थाएं भी काम कर रही हैं जो अपने–अपने तरीके से भारत की व्यापक सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्द्धन और विस्तार के लिए तत्पर हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य बुनियादी स्तर पर सांस्कृतिक विकास पर जोर देना है।

दसवीं योजना का लक्ष्यः

- पुरावशेषों की विरासत के संरक्षण के लिए व्यापक योजनाएं लागू करना,
- प्राचीन स्मारक परिसरों और संग्रहालयों का विकास,
- अभिलेखों का संरक्षण,
- सार्वजनिक पुस्तकालयों का

आधुनिकीकरण,

- शास्त्रीय और जनजातीय लोक कला, शिल्पकला और अलिखित परंपराओं को बढ़ावा देना और
- सांस्कृतिक संस्थानों के प्रशासन में अंतर–संस्थान नेटवर्क और प्रबंधन से जुड़े पहलुओं को शामिल कर उसे शक्ति प्रदान करना है।

दसवीं योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है –

1. प्रत्येक क्षेत्र के महत्वपूर्ण पुराकालीन स्मारकों का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करना, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से विरासत स्थलों के सर्वेक्षण में विश्वविद्यालयों के इतिहास और पुरातत्व विभाग को शामिल करना, दीर्घाओं के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू करना, पुरावशेषों का डिजिटल दस्तावेज तैयार करना, सूची–पत्र प्रकाशित करना, संग्रहालय निर्देशिका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा फोटो पोस्टकार्ड और अन्य सूचनाप्रद सामग्री जारी करना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा चलाए जा रहे उत्खनन कार्यों से जुड़ी लंबित रिपोर्ट प्रकाशित करना, जल की गहराई वाले पुरावशेषों का पता लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत एक 'अंडरवाटर आर्कियोलॉजिकल' शाखा गठित करना, पुराकालीन स्मारकों की सुरक्षा के लिए उसका सीमांकन करना और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 3643 पुरावशेषों को अवैध कब्जे से बचाने के लिए उनकी छड़ों द्वारा घेराबंदी करना।
2. नौकरी के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रदर्शनियों के आयोजन से जुड़े अनुभव और संसाधनों की भागीदारी के लिए केंद्रीय संग्रहालयों के बीच नेटवर्क को मजबूत करना, संग्रहालयों की गतिविधि के रूप में शिल्पों का दस्तावेज तैयार करना, राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा एल.ए.एन. और डब्ल्यूएएन की स्थापना सहित राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केन्द्र की मदद से कंप्यूटरीकरण करना, हस्तलिपियों की लघु फिल्म तैयार करना और ध्वनि–यंत्र लगाना, विक्टोरिया मेमोरियल हाल में आठ और सालारजंग संग्रहालय में सत्रह नई दीर्घाएं बनाना, नेशनल गैलरी ऑफ माडर्न आर्ट के दूसरे और तीसरे खंड का निर्माण करना, कला की वस्तुओं का दस्तावेज बनाना और कंप्यूटरीकृत सूची–पत्र तैयार करना।
3. अभिलेखागारों और रिकार्डों (उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार) की संरक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, रिकार्डों की मरम्मत और उनके पुनर्जीवन के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सिद्धांतों को काम में लाना, और रिकार्डों तक आसानी से पहुंचने के लिए माइक्रो फिल्म बनाने के काम में तेजी लाना।
4. केन्द्रीय और सार्वजनिक पुस्तकालयों के संसाधनों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में एक राष्ट्रीय ग्रंथ सूची डाटाबेस विकसित कर उनका आधुनिकीकरण करना, पाठकों की सेवा के लिए नेटवर्क तैयार करना, उसमें सुधार लाना। दसवीं योजना में देश के सार्वजनिक पुस्तकालय से जुड़ी सेवाओं का स्तर बढ़ाने पर जोर दिया गया है, इसके लिए आधुनिकीकरण और स्वचालन पर जोर देना, राजकीय, केन्द्रीय और जिला पुस्तकालयों को नेटवर्क से जोड़ना, दुर्लभ पांडुलिपियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों/पेंटिंगों के संरक्षण/डिजिटलीकरण का काम राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के माध्यम से क्रमिक रूप से करना।
5. सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों के माध्यम से शास्त्रीय और लोककलाओं/जनजातीय कलाओं और शिल्पों तथा अलिखित परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष परियोजनाओं से जुड़े व्यावसायिकों अथवा समूह को वित्तीय सहायता देना, सांस्कृतिक संगठनों का विकास, जनजातीय/लोककलाओं को बढ़ावा देकर उनका विस्तार करना और हिमालयी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और विकास करना।

वार्षिक योजना 2004–05

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के संचालन के साथ ही चालू वित्त वर्ष के दौरान सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय संतुलन पर जोर दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने संस्कृति मंत्रालय को 1720 करोड़ रुपये आवंटित किए जिनमें से वार्षिक योजना 2002–03 और 2003–04 के लिए 250 करोड़ रुपये दिए गए। वार्षिक योजना 2004–05 के लिए संस्कृति मंत्रालय के लिए आवंटित राशि को बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वार्षिक योजना 2004–05 में पुराकालीन विरासत के संरक्षण और ऐतिहासिक परिसरों और संग्रहालयों के विकास से जुड़े कार्यक्रमों को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके बाद अभिलेखीय विरासत को संरक्षण प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण मिशन के काम में तेजी लाना इस दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाषाओं में लिखी गई देश की लगभग 40 लाख पांडुलिपियों के संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। इस पांडुलिपि मिशन का लक्ष्य केवल भारत और विदेश की सभी भारतीय पांडुलिपियों का पता लगाना, उसकी गणना करना, संरक्षण करना और वर्णन करना ही नहीं

बल्कि सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी बढ़ाना और शैक्षिक और शोध कार्यों में उनके इस्तेमाल से जीवनपर्यंत शिक्षण को बढ़ावा देना भी है। विकास के उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं :

- प्रशिक्षण, जागरूकता और वित्तीय सहायता के द्वारा पांडुलिपियों का संरक्षण करना,
- भारतीय पांडुलिपियों का चाहे वे जहां भी हों, दस्तावेज बनाकर उन्हें सूचीबद्ध करना और उनकी स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना,
- पुस्तक और पाठ्य मशीनों जैसे प्रकाशनों के माध्यम से पांडुलिपियों तक पहुंच को बढ़ावा देना,
- भारतीय भाषाओं और पांडुलिपि–विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में छात्रवृत्ति और शोध–कार्यों को बढ़ावा देना,
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक राष्ट्रीय पांडुलिपि पुस्तकालय की स्थापना करना।

योजना का कार्यनिष्पादन

दसवीं योजना (2002–07) के लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में 1720 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें से कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देने और उसका प्रसार करने के लिए 20 प्रतिशत राशि, पुरातत्व विज्ञान के लिए 17 प्रतिशत, संग्रहालयों के लिए 18 प्रतिशत, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए 8 प्रतिशत, एनईआर के लिए 9 प्रतिशत, अन्य कार्यों के लिए 18 प्रतिशत और संस्कृति विभाग के अधीन अथवा उससे जुड़े कार्यालयों के लिए भवन बनाने हेतु 10 प्रतिशत राशि दी जा रही है। कुल योजना राशि का 0.02 प्रतिशत डीओसी के लिए है। वार्षिक योजना 2002–03 और 2003–04 के लिए आवंटित राशि 250 करोड़ रुपये में से दोनों वर्षों के दौरान क्रमशः 220.97 करोड़ रुपये और 229.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए जो क्रमशः 88.39 प्रतिशत और 91.68 प्रतिशत बैठते हैं। वार्षिक योजना 2004–05 के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक हैं।

पटियाला, इलाहाबाद, उदयपुर, नागपुर, तंजावूर, शांतिनिकेतन और दीमापुर स्थित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ उसका प्रसार किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य में सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना करना आवश्यक है। सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने और उसका प्रसार करने के काम में जुटे संस्थानों में सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र भी शामिल हैं।

संग्रहालयों के लिए विभाग की ओर से किए जाने वाले प्रयासों में राष्ट्रीय संग्रहालय (नई दिल्ली) और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा (बंगलौर और नई दिल्ली) में भवन निर्माण और निर्माणकारी गतिविधियां चलाना शामिल है। संस्कृति विभाग के संलग्न अथवा अधीन कार्यालयों के लिए भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए कोष के नियंत्रण का काम शहरी विकास मंत्रालय से हटाकर संस्कृति विभाग को दिसंबर 2003 से सौंप दिया गया है। कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आठ नई दीर्घाएं जोड़ दी गई हैं।

भविष्य की चुनौतियां

कला और संकृति के क्षेत्र से जुड़ी कई समस्याएं हैं। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की योजनाओं के लिए धन की कमी की भी समस्या है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण का काम निर्धारित समय में पूरा नहीं होने के कारण भी समस्याएं होती हैं। इस प्रकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर समस्याओं का निराकरण करना जरूरी है तभी निर्माणकारी गतिविधियों में प्रगति हो पाएगी। इसके लिए विभाग के पास उत्खनन संबंधी कार्यों की रिपोर्ट नियंत्रित रूप से दाखिल करने के साथ ही उन उत्खनन कार्यों की सूची बनाना जहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और सभी उत्खनन कार्यों का समुचित प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित होना चाहिए। संगीत नाटक अकादेमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ललित कला अकादेमी, और साहित्य अकादेमी जैसी अकादेमियों से जुड़ी योजनाओं के मूल्यांकन के साथ ही इन संस्थाओं में अनुशासन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। कुछ अन्य समस्याएं भी हैं :

- आई जी आर एम एस (भोपाल) और भाषा भवन (कोलकाता) में निर्माणकारी गतिविधियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा खाली पदों को समय पर नहीं भरे जाने के कारण विलंब, समय पर काम पूरा करने के लिए अनुबंध आधारित नियुक्ति करना जरूरी।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सार्वजनिक पुस्तकालयों और राष्ट्रीय अभिलेखगार जैसी संस्थाओं को स्वायत्त बनाना।
- सार्वजनिक पुस्तकालयों की क्रिया–विधि मनोवांछित न होने के कारण स्वतंत्र संस्थानों के रूप में उनका बदलाव।
- बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए और भी अधिक धन देना।
- क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को और भी अधिक धन देना और क्रमिक आधार पर इन केन्द्रों में अध्यक्ष की नियुक्ति करना।
- उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए दिए जा रहे धन में से बौद्ध और तिब्बती अध्ययन कार्यक्रमों सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए धन खर्च करने में विभाग अक्षम है, अतः उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए साइंस सिटी और एक अन्य संस्थान की स्थापना करना जरूरी है। ❑

(लेखक योजना आयोग के शिक्षा प्रभाग से संबद्ध हैं।)

भारत का ग्रामीण विकास

○ राजीव थिओडोर

ग्रामीण विकास नीति में काफी बदलाव किया गया है। अब ग्रामीण गरीबों को एक ऐसे संसाधन के रूप में देखा जा रहा है, जिनके विचार और अनुभव हमारी विकास संबंधी रणनीतियों का एक अभिन्न भाग है।

योजना निर्माता ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त जोर देने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं क्योंकि यह क्षेत्र कृषि और भारत की अधिकांश जनसंख्या वाले भाग से सीधे तौर पर संबंधित है। देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास से कभी भी मुख नहीं मोड़ा गया, क्योंकि देश का अधिकांश हिस्सा इसी क्षेत्र में निवास करता है। जहां तक योजना का प्रश्न है, यह आजादी से भी पूर्व 1930 के दशक से ही जारी है।

उपनिवेशवादी सरकार ने 1944 से लेकर 1946 तक एक योजना बोर्ड कायम किया था। इससे जुड़े निजी उद्यमियों और अर्थशास्त्रियों ने 1944 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बारे में तीन विकास योजनाओं का प्रकाशन किया था। लेकिन औपचारिक रूप से योजनाएं 1950 के दशक में (पंचवर्षीय योजना 1951–55) शुरू की गईं जिसमें सिंचाई और बिजली सहित कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई।

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–60) के माध्यम से प्रथम पंचवर्षीय योजना से भिन्न उद्योग, विशेषकर भारी उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों को अधिक महत्व दिया गया।

तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–65) में प्रतिव्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ाने के साथ औद्योगिक विस्तार और पिछली योजना में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा को दूर करने का लक्ष्य रखा गया, इसमें राष्ट्रीय आय को प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ाने और खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया।

चीन के साथ युद्ध के कारण 1960 के दशक के मध्य में योजना की प्रक्रिया में रुकावट आई। इस कारण हमारे कृषि–विकास और औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जबकि रक्षा खर्च बढ़ाया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि लक्ष्य से कोसों दूर थी। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और उसके बाद सूखे के कारण स्थिति और बिगड़ी।

उसके बाद जल्द ही योजना–नीति का पुनर्मूल्यांकन करने के साथ ही कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया और एक बार फिर कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। अधिक पैदावार के लिए विकसित किए गए नए बीजों का लाभ लेने के लिए उपकरणों की आपूर्ति के द्वारा इस क्षेत्र का विस्तार करना आवश्यक था।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–73) में अन्य क्षेत्रों के अलावा सिंचाई सहित कृषि क्षेत्र को पर्याप्त महत्व देना जारी रहा और इसके लिए कुल बजट में से 23 प्रतिशत धनराशि का प्रावधान किया गया।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–78) में वस्तुतः एक वर्ष के लिए निवेश के लिए दिशानिर्देश दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना (1980–84) में सार्वजनिक विकास कोष में से ऊर्जा क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 29 प्रतिशत राशि के प्रावधान के बाद 24 प्रतिशत राशि सिंचाई के लिए दी गई। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाकर गरीबी कम करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ग्रामीण गरीबों को गायें, बैलगाड़ियां और हथकरघे दिए गए थे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–89) के दौरान उद्योग और कृषि के स्थान पर ऊर्जा और सामाजिक क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया। आठवीं योजना (1992–96) पर सरकार बदलने और एक उदार अर्थव्यवस्था में योजना की भूमिका के बारे में बढ़ती अनिश्चितता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसमें कई क्षेत्रों के साथ–साथ कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव किया गया।

उसके बाद नौवीं योजना (1997–2001) और दसवीं योजना (2002–07) में ग्रामीण विकास की रफ्तार तेज हुई। इस अवधि में नए प्रयासों के साथ–साथ पहली प्राथमिकताओं को जारी रखा गया।

ऐसा माना जा रहा है कि एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरकर

विश्व के देशों के बीच अपना यथोचित स्थान कायम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का यथासाध्य विकास करना अति आवश्यक है। विकास–असंतुलन को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों को यथोचित प्राथमिकता देने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों पर विशेष जोर देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के यथासंभव विकास के लिए कई कार्यक्रम लागू करने में जुटा है।

ग्रामीण विकास की नीति के संदर्भ में कई बदलाव हुए हैं। ग्रामीण गरीबों को अब एक ऐसे संसाधन के रूप में देखा जा रहा है जिनके विचार और अनुभव हमारी विकास रणनीतियों का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

ग्रामीण और शहरी विभाजन को दूर करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए दसवीं योजना में 76,774 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि नौवीं योजना में इसके लिए 42,874 करोड़ रुपये दिए गए थे।

पंचायती राज संस्थाओं और स्व–सहायता समूहों के माध्यम से विकास प्रक्रियाओं में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सड़क संपर्क को और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत गांवों में आधारभूत सुविधाएं जुटाने के काम को प्राथमिकता दी जा रही है। वार्षिक योजना 2003–04 में इन परियोजनाओं के लिए 9825 करोड़ रुपये दिए गए और 19637 सड़क परियोजनाओं का काम पूरा किया गया। इसके अलावा 2003–04 के दौरान लगभग 8419 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। संपर्क–व्यवस्था और विकास के बीच गहरा संबंध है। कमजोर संपर्क–व्यवस्था वाले राज्य सामाजिक–आर्थिक परिपेक्ष्य में भी पीछे हैं। वर्ष 2000 तक बिना संपर्क–व्यवस्था वाले लगभग 40 प्रतिशत पर्यावास थे। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के द्वारा खाद्य सुरक्षा और रोजगार को यथोचित महत्व दिया गया है। जबकि स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना द्वारा ग्रामीण गरीबों के उत्थान का प्रयास किया जा रहा है। पहले से चलाई जा रही जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना को एक साथ करके 25 दिसंबर, 2001 से लागू किया गया। प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि से प्रतिवर्ष 100 करोड़ श्रम दिवस का रोजगार सृजन किया जाता है।

वाटर शेड विकास कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि की उर्वरता बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर जल्द से जल्द पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार प्रदान करने के लिए जोर–शोर से जुटा है। अप्रैल 2002 में संपन्न अखिल भारतीय पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन में पंचायतों को स्वशासन की एक कारगर संस्था के रूप में काम करने के लिए शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव पेश किए गए।

दिसंबर, 2002 में 'स्वजल धारा नामक एक नई परियोजना शुरू की गई है। इसके द्वारा पंचायतों को पेयजल परियोजनाएं तैयार करने और लागू करने के साथ ही उनके संचालन और रखरखाव का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अगले वर्ष जनवरी में वाटरशेड विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिए 'हरियाली' नामक दूसरी परियोजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लाक पंचायतों की तकनीकी सहायता से ग्राम पंचायत वाटरशेड परियोजनाएं लागू करेगा।

ग्रामीण आवास के क्षेत्र में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मंत्रालय की ओर से मार्च 2004 तक 20022.89 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 114.78 लाख घर बनाए गए हैं।

वर्ष 1999 में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन–स्तर सुधारने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संपूर्ण स्वच्छता अभियान शुरू किया गया।

2003–04 के दौरान सूचना, शिक्षा और संचार से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर 26.05 करोड़ रुपये खर्च किए गए क्योंकि सामाजिक लामबंदी और विकास में भागीदारी के लिए यह महत्वपूर्ण है।

क्षेत्र में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कारगर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के क्रम में मंत्रालय ने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए एक व्यापक पद्धति तैयार की है जिसमें विभिन्न तंत्रों के माध्यम से कोष का पूर्णरूपेण से इस्तेमाल भी शामिल है। ❑

(लेखक यू.एन.आई. में संवाददाता हैं)

लेखकों से अनुरोध

कृपया अपने लेख टाइप करा कर दो प्रतियों में भेजें जिसमें एक मूल प्रति हो तथा साथ में टिकट लगा लिफाफा अवश्य संलग्न करें। लेख पर दो से अधिक लेखकों के नाम केवल विशेष शोध लेखों पर ही दें। जिन रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होगा वे स्वीकार नहीं की जा सकेंगी। रचना के प्रकाशन के संबंध में किसी प्रकार का पत्र–व्यवहार न करें। विशेष अवसरों के लिए लेख तीन माह पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए। रचनाओं के साथ यथासंभव प्रासंगिक चित्र भी भेजें। सभी रचनाएं 'संपादक, योजना' के नाम प्रेषित करें।

पारिवारिक झगड़े और कारपोरेट प्रशासन

○ पुष्पेश पंत

जब भी संपत्ति संबंधी अधिकार का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता है तो असंतोष उभरकर सामने आ जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ–साथ व्यवस्था अपना संतुलन स्वयं खोज लेती है।

अधिकांश लोगों के लिए अंबानी घराने में तकरार जीवन की सच्ची घटनाओं पर आधारित चटपटे टेलीविजन धारावाहिकों की तरह है, लेकिन इसने हमारा ध्यान लोकहित और सामाजिक महत्व के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर भी आकृष्ट किया है। इस समाचार को चाहे जितना सनसनी खेज बताकर क्यों न पेश किया गया हो या इस कहानी के बड़े पात्रों के चरित्र को जितना रंगारंग बनाकर क्यों न दिखाया गया हो, हमें अपना ध्यान इस सबसे संबंधित सवालों का जवाब खोजने से नहीं हटाना चाहिए। मुकेश अंबानी के इस बयान से सहमत होना मुश्किल है कि रिलायंस समूह में मालिकाना हक का मुद्दा एक निजी मामला है। किसी साझा कंपनी और निजी संपत्ति में अंतर होता है और ऐसी कंपनी को अविभाजित हिन्दू परिवार के उत्तराधिकार कानून के तहत वारिसों में नहीं बांटा जा सकता। केवल शेयरधारक ही किसी अपने–अपने शेयरों के आधार पर किसी लिमिटेड कंपनी के स्वामित्व का दावा कर सकते हैं। एक अन्य मुद्दा भी इतना ही महत्वपूर्ण है और वह है प्रबंधन की पारदर्शिता और शेयरधारकों तथा आम जनता के प्रति उत्तरदायित्व का। जो स्वयं को संपत्ति निर्माता होने का दावा करते हैं, हो सकता है वे खुद को साझा हितों की रक्षा करने वाला टस्ट्री न मानें। लेकिन उन्हें देश के कानून के अनुसार तो चलना ही होगा

मुकेश अंबानी

अनिल अंबानी

और अपने आर्थिक उपक्रम के विधि समम्त नियमन को स्वीकार करना होगा। इससे घनिष्ठ रूप से जुड़ा है हितों के टकराव का मुद्दा जो मालिक–प्रबंधकों और विशेषज्ञ–पेशेवर मैनेजरों के बीच होना (तय) है। भाइयों के बीच इस लड़ाई में बोर्ड के कुछ सदस्यों ने जिस तपाक से इस्तीफे दिए उससे पेशेवर विशेषज्ञों की तटस्थता को लेकर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। ऐसा लगता है जैसे इस्तीफा देते समय इन लोगों के मन में कंपनी, शेयरधारकों और देश हित की बजाय वफादारी की सामंती अवधारणा तथा अपने पेशेवर हितों की रक्षा की चिंता कहीं अधिक थी। इस कारपोरेट जंग ने समसामयिक भारत में गतिमान निजी क्षेत्र की भूमिका की जांच के मुद्दे की ओर फिर ध्यान आकृष्ट किया है।

यहां शुरू में ही यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि व्यावसायिक घरानों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर उग्र और सार्वजनिक रूप से मतभेदों का सामने आना कोई अनहोनी नहीं है। इसको लेकर कई अग्रणी घरानों में बंटवारा हुआ और अब वे छोटी कंपनियों के रूप में है। यह बात और है कि कुछ घरानों में यह सद्भावपूर्ण तरीके से हुआ है जबकि अन्य में मनमुटाव के बाद ऐसा हुआ। बिरला, साराभाई, थापर, मोदी, गोयनका, बजाज, श्रीराम, मुदायीयर जैसे घरानों की बड़ी लंबी और उबाऊ सूची है। इसका एकमात्र अपवाद टाटा घराना है और इसकी एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकार मिलने के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता और जो मुनाफा होता है वह जनहित में लगे ट्रस्टों को चला जाता है। व्यावसायिक घरानों की उत्तराधिकार की लड़ाई में पेशेवर विशेषज्ञ अपने आपको हाशिए पर कर दिए जाने या अपनी गौण भूमिका को हंसी–खुशी स्वीकार कर लेते हैं। कोई पेशेवर मैनेजर अगर इसका विरोध करता है तो उसे चलता कर दिया जाता है। उदाहरण सामने है – ब्रिटेनिया कंपनी में जब सुनील अलघ अपनी हैसियत से आगे निकलने लगे तो उन्हें फौरन दरवाजा दिखा दिया गया। उन पर वित्तीय अनियमितताएं बरतने और अय्याशी की जिंदगी जीने के आरोप लगे। लेकिन इन आरोपों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने का कोई समय संयोग से तय नहीं हुआ था। अब नुस्ली वाडिया जैसे बॉस पर अक्षमता का आरोप तो नहीं लगाया जा सकता और न यह कहा जा सकता

कि उन्होंने नौसिखिये सुनील अलघ को इतने समय तक यों ही छूट नहीं दी होगी। जब कंपनी में युवराज बनाने की रस्म पूरी कर ली गई तो तो पेशेवर सीईओ की उसके आगे क्या बिसात है! इस मामले से कार्यकुशलता और भ्रष्टाचार के बीच संबंध को लेकर कुछ दिलचस्प और मुश्किल सवाल भी उठते हैं। यह पहेली केवल निजी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हाल के वर्षों में ऐसे दर्जनों मामले हुए हैं जिनमें बड़े माहिर मैनेजरों ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अपनी स्थिति के साथ समझौते किए। ये राजनीतिक आका आज के नए महाराजा हैं जिनकी सनक के आगे कोई राजकुमार भी शर्मिंदा हो जाए। चाहे तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) हो या स्टील अथारिटी आफ इंडिया (सेल) आम आदमी 'नवरत्नों' को ऐसी दुधारू गाय मानता है जिनका शासक भरपूर दोहन करते हैं। ऐसे में क्या भारत में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियां दावा कर सकती हैं कि उनका रिकार्ड पूरी तरह बेदाग है। 'स्टर्लिंग कंपनी' कही जाने वाली कंपनियों के चोटी के अधिकारी तो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जैसे किसी जागीर के मालिक हों। सप्रू और हक्सर जैसे मैनेजरों को आज जितना उनकी बुद्धि और योग्यता के लिए जाना जाता है उतना ही वे अपने शाही ठाट–बाट और तौर–तरीकों के लिए भी मशहूर हैं। अभी अधिक समय नहीं हुआ हैं। जब रतन टाटा को अपने बेकाबू होते जा रहे क्षत्रपों पर नियंत्रण के लिए चाबुक फटकारना पड़ा था ताकि वे अपने कागजात भेज दें। यह होने तक किसी के लिए भी यह कल्पना करना असंभव था कि अजित केरकर या रूसी मोदी को भी किसी के सामने रिपोर्ट करने को कहा जा सकता है।

प्रकाश टंडन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *'पंजाब ट्रायोलाजी'* में जिस जमाने की बात की है, तब से अब तक कुछ नहीं बदला है। व्यक्ति पूजा और चाटुकारिता हमेशा हर जगह और हर प्रकार से योग्यता और निष्ठा को हाशिए पर धकेलती जा रही हैं। हालांकि इसके इंफोसिस जैसे कुछ अपवाद भी हैं जिसमें नारायणमूर्ति बड़े शालीन तरीके से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अहम्मन्यता युक्त असुरक्षा का कोई संकेत नहीं दिया और नंदन नीलेकानी ने न केवल आराम से कंपनी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली बल्कि नारायणमूर्ति से कंपनी का संरक्षक बने रहने का भी अनुरोध किया। आज भी दोनों पूरे तालमेल से काम कर रहे हैं और जिस कंपनी को अपनी मेहनत से उन्होंने खड़ा किया उसे और सुदृढ़ कर रहे हैं। ऐसा ही मामला विप्रो के अजीम प्रेमजी का है जिन्होंने कंपनी के शीर्ष पद के लिए प्रतिभाओं को विकसित होने का जान–बूझकर मौका दिया और अपनी कंपनी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी – अपने बेटों को प्रबंधन से दूर रखा। लेकिन जैसे पहले भी कहा जा चुका है, ये कुछ अपवाद हैं जिनसे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि सामान्य रुझान कुछ और है। जब कंपनी के शेयरों के दाम निचले स्तर पर हों तो बोर्ड की बैठक में ताजपोशी की चुनौती की लड़ाई में पेशेवरों पर घराने की जीत होती है। रैनबेक्सी में यही हुआ जहां लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन करते हुए शीर्ष पद पर रहे सदाबहार डी.एस.ब्रार को बड़े सम्मानजनक तरीके से विदाई दी गई।

अगर यह निजी संपत्ति के हस्तांतरण का मामला होता तो इसमें कोई सार्वजनिक रुचि या जांच–पड़ताल की आवश्यकता नहीं होती। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों का संबंध बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, राज्य के राजस्व में योगदान, टेक्नोलॉजी उन्नयन, नई खोज और पूरे राष्ट्र के आर्थिक कल्याण से है। आर्थिक सुधार के और वैश्वीकरण के आज के युग में जब विश्व व्यापार संगठन की नई व्यवस्था उभरकर सामने आ रही है तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर खुल्लमखुल्ला यह नहीं कह सकता कि सरकार को व्यावसायिक गतिविधियों से अपने आपको अलग रखना चाहिए। सरकार का काम ही शासन यानी नियंत्रण रखना है। अगर इस शब्द का सही अर्थ लगाएं तो कारपोरेट गवर्नेन्स हर आम और खास व्यक्ति का कार्य है। रिलायंस जैसे व्यापारिक घरानों के स्तर हैं। वे ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें कड़ी स्पर्धा में आगे रखती है और ऊर्जा, दूर संचार तथा बुनियादी ढांचे जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी महत्वपूर्ण जगह होती है। प्रबंधन में कार्यकुशलता को लेकर किसी प्रकार की अनिश्चितता या पारिवारिक विवाद से अनिर्णय की स्थिति पैदा होने या ऐसे ही किसी अन्य कारण से राष्ट्र के आर्थिक हितों पर आंच आ सकती है।

लेकिन अनावश्यक घबराहट की भी कोई जरूरत नहीं है। पारिवारिक विवाद अक्सर उभरकर सार्वजनिक हो जाते हैं। किसी कंपनी के संस्थापक या उत्तराधिकारियों द्वारा किसी 'बाहरी' व्यक्ति को संचालन का दायित्व सौंपना या भाइयों के साथ अधिकारों की भागीदारी इतनी आसान नहीं होती। कहावत है – राजाओं की कोई रिश्तेदारी नहीं होती। पुराने जमाने के राजघरानों की तरह आज के व्यापारिक घरानों पर भी यह बात लागू होती है। चाहे अमेरिका में रॉटशील्ड्स जैसे धन्नासेठ हों या फोर्ड, कार्नेगी, रॉकफेल जैसे नए उद्योगपति या जर्मनी में क्रप्स, इटली में एग्नेली, जापान में सोनी और कोरिया में सैमसंग व हुंदे, दुनिया भर में एक ही कहानी है। जब भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संपत्ति का हस्तांतरण होता है तो अगली पीढ़ी के मन में पैदा हो रहे असंतोष उभरकर अचानक सामने आ जाते हैं, लेकिन कालांतर में व्यवस्था में स्वयं संतुलन आ जाता है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि भारत में भी यही होगा। ❑

(श्री पुष्पेश पंत, नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर हैं)

भारत–पाकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार नई ऊंचाइयों पर

○ मनोज्ञान आर. पाल

भारत और पाकिस्तान के बीच चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में व्यापार उछाल पर है।

इस वित्तीय वर्ष के पहले चार महिनों (अप्रैल–जुलाई) में भारत से पाकिस्तान को हुए निर्यात में 328 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 16.738 करोड़ डालर तक पहुंच गया। वर्ष 2003–04 में इसी अवधि में निर्यात 3.91 करोड़ डालर के बराबर था।

इसी दौरान इस वर्ष पाकिस्तान से आयात 1.898 करोड़ डालर का रहा जबकि पिछले वित्त वर्ष के इन चार महिनों में वहां से 2.531 करोड़ डालर का आयात हुआ था। इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल–जुलाई के दौरान द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6.441 करोड़ डालर की तुलना में तीन गुना हो गया।

वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की यही रफ्तार बनी रही तो 2004–05 वित्तीय वर्ष में भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय व्यापार 50 करोड़ डालर का आंकड़ा पार कर जाएगा।

दोनों देश आर्थिक सहयोग बढ़ाने के विषय में एक संयुक्त अध्ययन समूह बनाने पर सहमत हुए हैं। इस समूह की अध्यक्षता भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव करेंगे। समूह के कुछ उपसमूह बनाए जाएंगे जो अलग–अलग क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शौकत अज़ीज की भारत यात्रा के समय पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर ने उनसे 44.16 अरब की भारत–ईरान गैस पाइप लाइन परियोजना पर पाकिस्तान के साथ मंत्रिस्तरीय बातचीत का प्रस्ताव रखा। यह पाइप लाइन पाकिस्तान के रास्ते लाने की बात है।

भारत–पाकिस्तान व्यापार

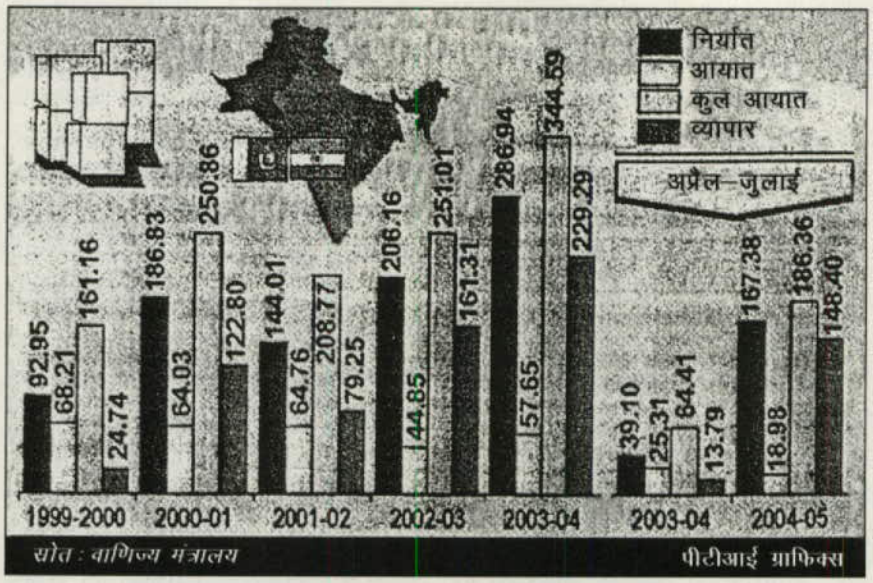

श्री अय्यर ने श्री अज़ीज के साथ बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक संबंध सुधरने पर ही यह पाइप लाईन बिछाई जा सकती है।

कुल 2775 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से भारत के साथ–साथ पाकिस्तान को भी लाभ होगा। इससे जहां भारत को सस्ती दर पर गैस सुलभ होगी वहीं इसका रास्ता देने से पाकिस्तान को वर्ष में 60 से 80 करोड़ डालर का मार्ग शुल्क मिल जाएगा। इस परियोजना पर पिछले दशक से ही चर्चा चल रही है पर अभी इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी है। भारत सरकार चाहती है कि पाकिस्तान इस पाइप लाइन की तोड़ फोड़ से सुरक्षा की गारंटी दे और भरोसा दे कि उसके यहां से पाइप लाइन से गैस के प्रवाह में कोई व्यवधान नहीं खड़ा किया जाएगा।

इस बीच पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वह भारत को व्यापार में "सर्वाधिक वरीयता प्राप्त" देश का दर्जा देने के लिए तैयार है बशर्ते पाकिस्तान में निर्मित वस्तुओं के आयात पर भारत में प्रशुल्कीय और गैर प्रशुल्कीय बाधाएं खत्म कर बराबरी के अवसर दिए जाएं।

पाकिस्तान के एक दैनिक समाचार–पत्र के साथ भेंटवार्ता में वहां के वाणिज्य मंत्री हुमायूं अख्तर खान ने कहा कि उन्हें दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों की अध्यक्षता में गठित व्यावसायिक अध्ययन समूह की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। ❑

महान भारतीय योजना

○ मधु आर. शेखर

1948 के प्रस्ताव में विकास के कार्यक्रम तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने का सुझाव दिया गया था। इस घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार ने मार्च 1950 में एक स्वायत्त, सलाहकार और विशेषज्ञ संगठन के रूप में योजना आयोग की स्थापना की। आयोग का कार्य था संविधान की प्रस्तावना, मूल्य अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना बनाना।

भारत की योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को 50 वर्ष से अधिक हो गए हैं। जिस स्थिति और जिन आर्थिक प्रवृत्तियों ने इसे आकार प्रदान किया उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1498 में वास्को डि गामा के आगमन पर महाद्वीपीय आयाम वाली अर्थव्यवस्था के चिह्न पाए जा सकते हैं। समुद्री व्यापारिक गतिविधियों के विकास में भारतीय अर्थव्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही नहीं, इंग्लैंड की महान औद्योगिक क्रांति के विकास में भी उसका योगदान उल्लेखनीय रहा है। 19वीं शताब्दी में स्वेज नहर के निर्माण के पीछे भी मुख्य कारण भारत और यूरोप के पीछे समुद्री मार्ग की दूरी और सफर का समय कम करना था ताकि भारत और विश्व के बीच व्यापार को बढ़ावा मिले। समुद्री मार्ग की खोज के बाद इंग्लैंड, हालैंड, पुर्तगाल, स्पेन और फ्रांस के बीच भारत के साथ व्यापार के लिए जबर्दस्त प्रतियोगिता शुरू हो गई। यूरोप के सभी व्यापारी भारत के विदेश व्यापार पर अपना

एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत पूरी तरह पराधीन हो गया था और भारत ब्रिटिश राजमुकुट का सबसे उज्ज्वल हीरा बन गया था। विरोधाभास यह था और आज भी है कि जिस अर्थव्यवस्था ने एक अन्य देश की अर्थव्यवस्था को दो विनाशक विश्वयुद्ध लड़ने की शक्ति–क्षमता प्रदान की उसे आज भी पिछड़ी और अविकसित कहा जाता है।

दो सौ वर्षों से भी अधिक समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था के पराभव के कारण जहां समूचे विश्व ने पुरानी अर्थव्यवस्था के युग से आधुनिक अर्थव्यवस्था के युग में प्रवेश किया, मानवीय और भौतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद भारत में कोई प्रगति नहीं हुई। उपनिवेशवादी शासन देश में भंयकर पिछड़ेपन और गरीबी की विरासत छोड़ गया जिसकी विशेषता अनेक तरह की मजबूरियां, विवशताएं और और बंधन थे। इनसे नए राष्ट्र के सामने अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने में जबर्दस्त रुकावट आई और सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ी। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की लज्जाजनक लूट–खसोट के दौरान एक राष्ट्रवादी प्रगतिशील गुट का उदय हुआ, जिसने देश की संपन्न अर्थव्यवस्था और विरासत को नष्ट करने वाले सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध भारत की राजनीतिक और आर्थिक मुक्ति के लिए प्रयास किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 के पूर्ण अधिवेशन में देश की अर्थव्यवस्था पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके बाद एम. विश्वेश्वरैया के "प्लांड इकानामी आफ इंडिया" का प्रकाशन हुआ। इसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया गया था और औद्योगिक और तकनीकी कुशलता बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया था। उन्होंने दो उपायों का प्रस्ताव किया: (1) एक बार में पांच या दस वर्ष की राष्ट्रीय आर्थिक योजना, और (2) उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक संगठन जो सामान्यतः आर्थिक गतिविधियों और समस्याओं के लिए उत्तरदायी होगा।

जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार ने एक सलाहकार योजना बोर्ड का गठन किया जिसमें भारत सरकार के वाणिज्य, उद्योग, कृषि और वित्त विभाग के सलाहकार और प्रमुख वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री शामिल थे। बोर्ड के विचारार्थ विषय थे – योजना संबंधी सरकारी प्रयासों, राष्ट्रीय योजना समिति के कार्यों और योजना संबंधी अन्य प्रस्तावों की समीक्षा। दूसरे महायुद्ध के बाद योजना संबंधी जो अन्य प्रस्ताव तैयार और प्रकाशित किए गए वे थे – 'बंबई योजना', 'पीपुल्स प्लान' (जन योजना) और 'गांधीवादी योजना'। मुम्बई योजना 1944 में जे.आर. डी. टाटा सहित आठ उद्योगपतियों ने तैयार की थी। इसमें 15 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय आय तिगुनी और प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करने की चर्चा थी। पीपुल्स प्लान रेडिकल ह्यूमेनिस्ट मूवमेंट के नेता एम.एन. राय की इंडियन फेडरेशन की युद्धोत्तर पुनर्निर्माण समिति ने पेश की थी। इसमें बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव था। गांधीवादी योजना गांधीजी के शिष्य श्रीमन्नारायण ने तैयार की थी। इसमें ग्रामीण पुनर्निर्माण पर जोर दिया गया था और प्रति व्यक्ति आय चार गुनी करने की चर्चा थी।

यद्यपि विभाजन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को जबर्दस्त आघात लगा था, 1947 में देश का 'नियति से मिलन' हुआ और युद्ध के कारण शोषित एवं तबाह देश के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया। सरकार के सामने स्थिर विकास की दीर्घावधि सामरिक नीति तैयार करने और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नियति को परिभाषित करने की चुनौती थी। 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा, जिसे 1958 की औद्योगिक नीति में बदल दिया गया था, सलाहकार योजना बोर्ड की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1948 के प्रस्ताव में विकास के कार्यक्रम तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने का सुझाव दिया गया था। इस घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार ने मार्च 1950 में एक स्वायत्त, सलाहकार और विशेषज्ञ संगठन के रूप में योजना आयोग की स्थापना की। आयोग का कार्य था – संविधान की प्रस्तावना, मूल्य अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास की योजना बनाना। आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आयोग के पूर्णकालिक उपाध्यक्ष उसके सभी प्रशासनिक और कार्यकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। वित्त मंत्री, योजना मंत्री और कुछ अन्य केबिनेट मंत्री आयोग के अंशकालिक सदस्य होते हैं। कुछ अन्य विशेषज्ञ आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से यह केबिनेट सचिवालय का हिस्सा होता है और सरकारी तंत्र में इसे उच्च स्थान प्राप्त है।

आयोग के निश्चित कार्य हैं : (1) तकनीकी कार्मिकों सहित देश के सभी मानव, भौतिक संसाधनों और पूंजी का मूल्यांकन करना और उन्हें बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाना; (2) हमारे संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग की योजना बनाना; (3) उन चरणों को परिभाषित करना जिनमें योजना कार्यान्वित की जाए और संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करना; (4) उन कारणों की ओर ध्यान दिलाना जो आर्थिक विकास में बाधा डाल सकते हैं और उन तरीकों

को सुझाना जिनसे योजना को सफलता–पूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है; (5) योजना के हर चरण के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र का निर्धारण करना; (6) योजना के प्रत्येक चरण में प्राप्त प्रगति का समय–समय पर मूल्यांकन करना और कमियों को, अगर कोई हो, दूर करने के उपाय सुझाना; (7) उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों के सुचारु निर्वहन के लिए अंतरिम सिफारिशों का सुझाव देना।

भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देश की योजना तैयार करना, उसे स्वीकृत करना, कार्यान्वित करना एक दुष्कर, कठिन और समय लेने वाला कार्य है। भारत का योजना आयोग अब लगभग 55 वर्ष पुराना है और उसे दस पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने का अनुभव है। आयोग ने तथ्यों का पता लगाने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने और संपाद्य रिपोर्टों के रूप में अनेक खंडों में सूचना, आंकड़ें और साहित्य तैयार किया है। योजना तैयार करने की दिशा में पहला कदम, जो योजना आयोग का मुख्य काम है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ विचार–विमर्श करके उठाया जाता है। यह कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के दिशा निर्देश में किया जाता है। परिषद की स्थापना 1952 में योजना और विकास कार्यों में राज्यों का पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए की गई थी। परिषद के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री और सदस्य राज्यों के मुख्य मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य होते हैं। योजना तैयार करने का काम योजना के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष पहले हाथ में ले लिया जाता है जब योजना के बारे में सामान्य दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है। आयोग अर्थव्यवस्था की स्थिति और कमजोरियों की जांच करने और अर्थव्यवस्था और समाज की दीर्घावधि प्रगति के संबंध में आर्थिक विकास की दर की सामान्य प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने के बाद अपने प्रारंभिक निष्कर्ष और नतीजे पेश करता है। आयोग द्वारा पेश किए गए निष्कर्षों और नतीजों की जांच–पड़ताल करने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद इस बात का संकेत देती है कि योजना अवधि में कितनी विकास दर प्राप्त की जाएगी और किन उद्देश्यों और क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद आयोग ज्ञापन का मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक मुख्य अध्ययन शुरू करता है। यह दस्तावेज तैयार की जाने वाली योजना की विशेषताओं को निर्दिष्ट करता है। इसमें प्रमुख विषय और सर्वोच्च स्तर पर निर्धारित किए जाने वाले विषय शामिल होते हैं। योजना आयोग ज्ञापन का मसौदा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करता है और मंत्रिमंडल उस पर विचार करने के बाद उसे राष्ट्रीय विकास परिषद को टिप्पणियों के लिए भेजता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नए प्रस्तावों और टिप्पणियों के साथ योजना का विस्तृत मसौदा तैयार करने का आधार प्रस्तुत करती है। इस प्रक्रिया के दौरान आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ योजना में शामिल प्रमुख विषयों पर विचार–विमर्श करते हैं।

योजना के मसौदे का मुख्य उद्देश्य योजना में प्रस्तावित कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाना है। इसे टिप्पणियों के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को भेजा जाता है। उनके उत्तरों और सुझावों का अध्ययन और जांच करने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल योजना के मसौदे को विचारार्थ राष्ट्रीय विकास परिषद को भेज देता है। परिषद की मंजूरी के बाद, इसे सार्वजनिक बहस और टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया जाता है। संसद के दोनों सदन भी विभिन्न स्तरों पर योजना पर विचार करते हैं। इस व्यापक विचार–विमर्श के दौरान आयोग संबंधित मंत्रालयों के साथ विभिन्न राज्यों की योजनाओं के बारे में विस्तार से सलाह करता है, जिसमें उनकी वित्तीय प्रायोजनाओं, अतिरिक्त संसाधन जुटाने और विभिन्न क्षेत्रों के लिए योजना खर्च पर विचार किया जाता है। राज्यों की योजनाओं को संबंधित राज्य के मुख्य मंत्री के साथ अंतिम दौर की बातचीत के बाद अंतिम रूप दिया जाता है। राज्यों और आयोग के बीच इन विषयों पर एक तरह की सहमति होती है : योजना का आकार और बनावट, प्राप्त और कार्यान्वित किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्य और कार्यक्रम केंद्र की ओर से राज्य को दी जाने वाली निश्चित वित्तीय सहायता और राज्य द्वारा अपने संसाधन जुटाने तथा प्राथमिकताओं का पालन करने का वचन।

इस विचार–विमर्श और आपसी सहमति के आधार पर योजना आयोग केंद्र सरकार और राष्ट्रीय विकास परिषद को एक नया ज्ञापन देता है। इस ज्ञापन में योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख होता है। इन सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के निष्कर्ष योजना के अंतिम रूप का आधार बनते हैं, जिसमें योजना के उद्देश्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की रूपरेखा दी जाती है। इस पर एक बार फिर विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें विचार करती हैं। इसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय विकास परिषद को मंजूरी के लिए भेजा जाता है। परिषद की मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रकाशित करके संसद में पेश किया जाता है। संसद के दोनों सदन बहस के बाद इसे आम मंजूरी प्रदान करते हैं और इसे लागू करने को कहते हैं।

दिमाग को परेशान करने वाली इस गतिविधि के पीछे मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी समाजवादी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने की पुरानी इच्छा को पूरा करना है। ❑

(सहायक संपादक 'योजना' (अंग्रेजी))

साधारण व्यक्ति का असाधारण कार्य

○ राजेन्द्र राय

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अनेक कीर्तिमान स्थापित कर चुके युवक अरुण कुमार भारद्वाज को यदि योजना आयोग का गौरव कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने अनेक देशों में अल्ट्रामेराथन में भाग लेकर देश का नाम रोशन किया है। योजना आयोग के अवर श्रेणी लिपिक अरुण कुमार भारद्वाज ने दिल्ली–चंडीगढ़–दिल्ली की 550 किलोमीटर लंबी 6 दिवसीय अल्ट्रामेराथन में 30 नवंबर, 2004 को 122 घंटे में पूरा करके एक राष्ट्रीय कीर्तिमान कायम किया है। इस अल्ट्रामेराथन को पूरा करने के लिए 150 घंटे का लक्ष्य रखा गया था। इस उपलब्धि के साथ 35 वर्षीय इस युवक को एक वर्ष के भीतर तीन अल्ट्रामेराथन पूरा करने वाला और हर बार राष्ट्रीय कीर्तिमान कायम करने वाला एशिया का पहला व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली स्थित योजना भवन से 25 नवंबर, 2004 को प्रातः 10.30 बजे एकता और सद्भाव के लिए योजना आयोग के सदस्य डा. भालचंद्र मुणगेकर ने इस अल्ट्रामेराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया था। अरुण भारद्वाज 27 नवंबर, 2004 को प्रातः 10 बजे चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ से वापसी के समय अल्ट्रामेराथन को हॉकी में तीन बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे पद्मश्री बलबीर सिंह ने 27 नवंबर को 6 बजे शाम को झंडी दिखाकर रवाना किया। अरुण 30 नवंबर, 2004 को 1.15 बजे वापस योजना भवन पहुंच गए। यह अल्ट्रामेराथन कौमी एकता सप्ताह और भारत सरकार की ओर से झंडा दिवस के आयोजन के साथ–साथ आयोजित किया गया।

इससे पूर्व अरुण ने इस वर्ष 22–28 मार्च 2004 को आयोजित 6 दिवसीय मैक्सिको अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 501 किलोमीटर और 1–7 अगस्त को 6 दिवसीय जर्मन इंटरनेशनल प्रतियोगिता में 532 किलोमीटर दौड़कर सफलता प्राप्त की।

अरुण उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से गांव, बावली के मूल निवासी हैं। यह गांव दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। उनका जन्म 2 फरवरी, 1969 को एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था।

अरुण के समर्पण, निरंतर प्रयत्न और अदम्य उत्साह के कारण विषम स्थितियों में भी उन्हें एक के बाद एक सफलता मिली। अरुण को 27 अप्रैल, 2003 से न्यूयार्क में शुरू 6 दिवसीय सेल्फ ट्रांसन्डेंस अल्ट्रामेराथन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह पूरे विश्व में आयोजित होने वाले चार प्रतिष्ठित वार्षिक प्रतियोगिताओं में से एक है। 17 देशों के 26 धावकों में वह भारत के अकेले धावक थे। दो–तीन सप्ताह पहले न्यूयार्क पहुंच कर अपने अभ्यास में जुटने के बदले अरुण हवाई टिकट, वीसा और अन्य सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए यहां–वहां चक्कर लगा रहे थे। अंततः 26 अप्रैल, 2003 को स्थानीय समय के अनुसार रात के 9 बजे, दौड़ के केवल 14 घंटे पहले न्यूयार्क पहुंचे, वह भी

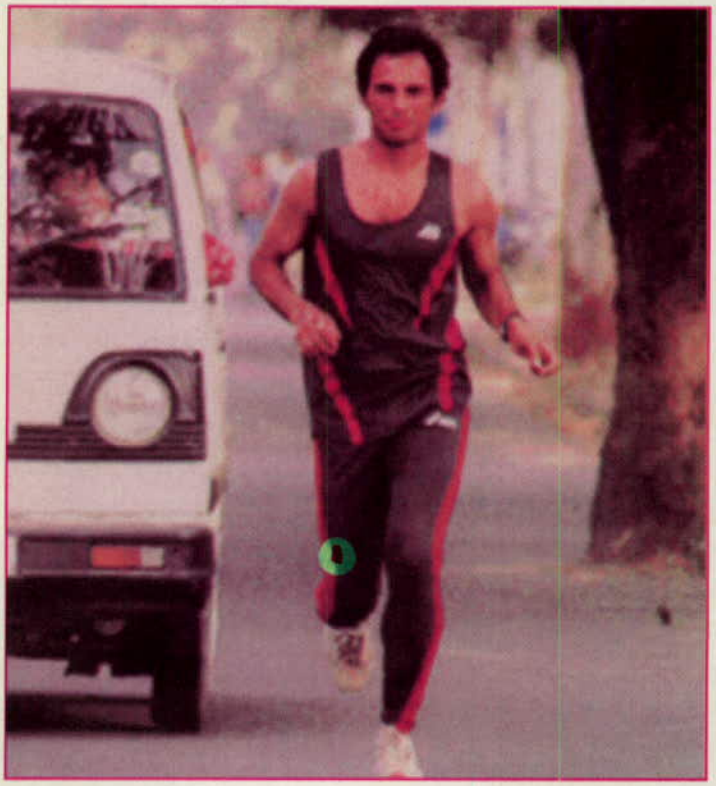

धावक अरुण कुमार भारद्वाज

जरूरी साजो–सामान और सहायक के बिना। शिकागो की एक मेडिकल की छात्रा सुश्री जेनिफर ने इस प्रतियोगिता में उनके सहायक की भूमिका निभाई। सभी प्रतिकूलताओं के बावजूद अरुण ने 516 किलोमीटर की दौड़ लगाकर 500 किलोमीटर से अधिक दूरी वाली दौड़ में सफलता पाने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया।

अरुण ने 17 नवंबर, 2002 को आस्ट्रेलिया के कोलाक में शुरू 6 दिवसीय प्रतियोगिता में भी भाग लिया था। कुल 26 प्रतियोगियों में वह सबसे कम उम्र के धावक थे और उन्हें इस प्रकार की बहुदिवसीय और लंबी दूरी की प्रतियोगिता से संबंधित किसी प्रकार का अनुभव भी नहीं था। इस प्रतियोगिता का एक नियम है – "सहायक नहीं तो शुरूआत नहीं।" आस्ट्रेलिया के श्री फिल इस्साम (उनके प्रशिक्षक), श्री वारन, श्री जेवन मैकफी और श्री मिसकिन ने अरुण के सहायकों की भूमिका निभाई और अरुण ने खराब जूतों और खाली पेट सहित सभी प्रकार की प्रतिकूलताओं के रहते हुए भी अल्ट्रामेराथन में 492 किलोमीटर की दूरी तय की।

अरुण भारद्वाज ताईवान में 2–3 मार्च, 2002 को संपन्न 24 घंटे की आईएयू ट्रैक चैंपियनशिप में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे। इस प्रतियोगिता में उन्होंने 24 घंटे में 138 किलोमीटर की दूरी तय करके नौवां स्थान प्राप्त किया। फिर अगले वर्ष उन्होंने 16 नवंबर, 2003 को ताईवान में संपन्न 100 किलोमीटर की आईएयू विश्व कप – 2003 प्रतियोगिता में सफलता पाई। उन्होंने 100 किलोमीटर विश्व कप में भाग लेने वाले और सफलता पाने वाले पहले भारतीय होने का गौरव दुबारा प्राप्त किया। वह अपनी अर्जित छुट्टी लेकर वहां गए थे जबकि हवाई टिकट से लेकर खाने और रहने का खर्च आयोजन समिति ने उठाया था।

प्रेरक व्यक्तित्व

उसका जन्म चाय बागान मजदूरों की एक बस्ती की एक झुग्गी में हुआ जहां गरीबी, बेबसी और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़ी आम बात हैं। वह बागान के एक स्कूल में पढ़ता है जहां पढ़ाई की डेस्क भी आसानी से नहीं मिलती। लेकिन उसने पढ़ाई–लिखाई में उत्कृष्टता हासिल करने को अपने जीवन का लक्ष्य और ध्येय बना लिया है। जयशीलन अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा है। उसे उच्च शिक्षा के लिए फुलब्राइट छात्रवृत्ति मिली है जहां वह शैक्षिक जगत की नई ऊंचाइयां छुएगा।

जयशीलन श्री राजू और श्रीमती मनोरंजतम के चार बच्चों में से सबसे छोटा है। यह दंपति केरल के पीरुमेदु चाय बागान में पजयापंपनार कोडुवक्करनम–द्वितीय मंडल में मजदूरी करते हैं। जयशीलन को इतिहास में फुलब्राइट स्कालर चुना गया है जो इतिहास में उच्च अध्ययन के लिए बड़ी ही सम्मानजनक उपलब्धि है। वह पढ़ाई के लिए पेन्सिलवेनिया, अरकान्सो और ओहियो में से कोई एक विश्वविद्यालय चुन सकता है।

बचपन में जयशीलन चाय बागान की नर्सरी में दिहाड़ी मजदूरी भी कर चुका है। उसे दिहाड़ी के पांच रुपये मिलते थे। पांचवीं कक्षा में नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद से जैसे शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करना जयशीलन की आदत बन गई है। अपने अब तक के विद्यार्थी जीवन में उसे भाषण देने, निबंध लेखन और वाद–विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर तक के अनेक पुरस्कार मिले हैं।

वह फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए चुने गए दस छात्रों में से एक है। यह छात्रवृत्ति 50 लाख रुपये की है। इंटरव्यू बोर्ड ने जब जयशीलन से उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में पूछा तो उसका उत्तर था कि खुद बाल मजदूरी कर चुकने के बाद अब वह बाल श्रमिकों की समस्याओं के अध्ययन में लगा है।

फिलहाल जयशीलन केरल विश्वविद्यालय के तिरुअनंतपुरम कालेज में स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में पढ़ रहा है। ❑

इन प्रतियोगिताओं के अलावा अरुण ने 3–9 अगस्त, 2003 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में संपन्न 6 दिवसीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 520 किलोमीटर की दूरी तय करके उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। अपने देश में उन्होंने हरिद्वार से बागपत (180 किलोमीटर) की दौड़ 23.25 घंटे में, दिल्ली से जयपुर (270 किलोमीटर) 33.10 घंटे में और दिल्ली से देहरादून (250 किलोमीटर) 35.50 घंटे में पूरी की।

जब उनसे उनके आहार के बारे में पूछा गया तो अरुण ने बताया कि वह रोटी, सब्जी, दाल, शहद, केला और ईख जैसा सामान्य शाकाहारी आहार लेते हैं तीन बच्चों–जोला, सोफिया और यानिस के पिता के लिए अधिक पोषक आहार लेने के लायक साधन नहीं हैं। अभ्यास के लिए वह प्रत्येक सप्ताह 150–200 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। अरुण को इस बात का पछतावा है कि अल्ट्रामेराथन के लिए कोई प्रायोजक नहीं मिलता है। उनका कहना है, "एकता और सद्भाव के मिशन के साथ कम–से–कम समय में दिल्ली से लेकर सभी राज्यों की राजधानियों तक दौड़ लगाना मेरा सपना है।" ❑

(लेखक 'योजना' हिन्दी के संपादक हैं।)

अंतरिक्ष पर्यटन की खुलती डगर

○ संजय वर्मा

अमेरिका की स्केल्ड कंपोजिस्ट कंपनी ने 'स्पेसशिप–वन' नामक एक ऐसा यान बनाने में सफलता प्राप्त की है, जो यात्रियों को अंतरिक्ष कही जाने वाली परिधि तक ले जाने और फिर वापस पृथ्वी तक सकुशल लौटने में सक्षम है। कैलिफोर्निया में 'स्केल्ड कंपोजिस्ट' नामक कंपनी की स्थापना करने वाले पॉल एलेन और बर्ट रुटान के यान 'स्पेसशिप–वन' से पहली बार माइकल मेलविन ने जो उड़ान भरी, वह उन्हें धरती की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर एक ऐसे संसार में ले गई, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं।

अंतरिक्ष सदा से ही हम मानवों के आकर्षण का केंद्र रहा है। सदियों से इंसान चांद–तारों को आसमान में टंका देखकर सोचता रहा है कि आखिर कैसे वह इन्हें छू पाएगा। पहले वह नहीं जानता था कि ये चांद, सितारे पृथ्वी की तरह ही ग्रह, उपग्रह या तारे हैं और जहां वे स्थित हैं, वह जगह अंतरिक्ष कहलाती है, पर बाद में विज्ञान ने ये तमाम गुत्थियां सुलझाईं। हमें पता लगा कि पृथ्वी का एक वायुमंडल है। उससे बाहर जो ब्रह्मांड दिखता है, वह हमारी वायुमंडलीय परिधि में नहीं आता है। इस तरह चांद–तारे छूने से पहले अंतरिक्ष तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बन गई, जिसे सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल, 1961 को पहली बार पृथ्वी के वायुमंडल की परिधि पार करके छुआ। इसी तरह दूसरा इतिहास तब बना, जब 20 जुलाई, 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री अपोलो अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा पर ही जा पहुंचे। ये दोनों कारनामे सरकारी प्रयासों की बदौलत अंजाम दिए जा सके। ऐसे में, नई चुनौती यह पैदा हुई कि कोई व्यक्ति या संस्था बिना सरकारी योगदान के अपने खर्च और अपने प्रयास से ऐसा यान बनाए, जो मनुष्य को अंतरिक्ष तक ले जा सके। निश्चय ही ऐसी कोशिशों में बेशुमार धन ही नहीं लगना था, बल्कि वह तकनीकी योग्यता भी जरूरी थी, जैसी यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजते वक्त महसूस हुई थी। ये बड़ी बाधाएं थीं, पर इस साल इन बाधाओं से पार पा लिया गया। वह भी सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि तीन बार, जिससे अंतरिक्ष के निजी पर्यटन का रास्ता भी खुला है।

दरअसल, इसके बाद सितंबर–अक्टूबर में एक पखवाड़े के भीतर स्पेसशिप–वन से ही यह कारनामा एक अन्य पायलट ब्रियान बिन्नी ने दो बार कर दिखाया। एक पखवाड़े के अंदर दो बार ऐसी उड़ान का मकसद एक करोड़ डालर का वह **एक्स–अंसारी** पुरस्कार हासिल करना था, जो निजी स्पेस फ्लाइट को दिया जाना निश्चित किया गया था। पुरस्कार की शर्त थी कि कोई निजी कंपनी ऐसा यान बनाए, जो कम से कम तीन यात्रियों को 15 दिन के भीतर दो बार अंतरिक्ष तक ले जाए और सकुशल पृथ्वी तक लौटा लाए। निश्चित ही इस पुरस्कार के जरिए अंतरिक्ष की निजी उड़ानों को प्रोत्साहन देने का सपना देखा गया और यह भी सही है कि स्पेसशिप–वन सिर्फ एक पायलट को अंतरिक्ष में ले जाकर शर्त का

पूरा निर्वाह नहीं कर सका है, पर अंसारी पुरस्कार समिति ने स्केल्ड कंपोजिस्ट कंपनी के जज्बे को सलाम करते हुए यह पुरस्कार स्पेसशिप–वन के नाम करना ठीक समझा। माना जा रहा है कि यह पुरस्कार मानव इतिहास की इस एक और बड़ी उपलब्धि से अंतरिक्ष पर्यटन के उस सपने को साकार कर सकेगा, जो बीते अनेक दशकों से कई देश देख रहे हैं। इसी उपलब्धि के आधार पर अब स्पेसशिप–वन के डिजाइनर बर्ट रुटान भी सितारों से आगे होड़ लगाने की बात सोच रहे हैं।

सस्ता होगा अंतरिक्ष का सफर

साठ के दशक की विज्ञान कथाओं में यह चर्चा जरूर रहती थी कि आने वाले समय में हमारे पास उड़ने वाली कारें होंगी और हम चांद पर छुट्टियां मनाने जाया करेंगे। हालांकि किसी शोरूम में अभी तक उड़ने वाली कारें तो नहीं दिखीं, पर अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में स्पेसशिप–वन के साथ ही हमने इस दिशा में कुछ कदम और आगे बढ़ा लिए हैं। हालांकि यहां यह सवाल जरूर पैदा होता है कि स्पेस फ्लाइट के इस चार दशकीय सफर में जब सरकारी स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष ही नहीं, चंद्रमा तक भेज चुकी हैं, तो अंतरिक्ष को निजी तौर पर छू लेने का क्या विशेष उद्देश्य या अर्थ है? विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के एडवेंचर का असली मकसद तो अंतरिक्ष पर्यटन को सस्ता बनाना है। इसके अलावा वर्ष 1996 में स्थापित एक करोड़ डालर का 'अंसारी एक्स पुरस्कार' या 'एक्स प्राइज' हासिल करना अकेला मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि रुटान और एलेन ने स्पेसशिप–वन बनाने में ही दो करोड़ डालर खर्च कर डाले। इससे यह साबित होता है कि स्पेस टूरिज्म की राह रुटान जैसे लोगों की निजी कोशिशें ही खोल सकती हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी – नासा को अंगूठा दिखाकर रुटान ने यह भी साबित किया है कि उपलब्धि के लिए भारी–भरकम बजट की भी जरूरत नहीं होती। नासा के दसियों करोड़ डालर के बजट के सामने रुटान और पॉल का दो करोड़ डालर का बजट तुच्छ था, पर उनका अभियान चंद्रमा की यात्रा से किसी सूरत में कम नहीं था।

पॉल एलेन और बर्ट रुटान की कंपनी 'स्केल्ड कंपोजिस्ट' अपने कारनामे में कितना सफल रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी उप कंपनी 'मोजावे एयरोस्पेस वेंचर्स' को ब्रिटेन के रिचर्ड ब्रैनसंस की पर्यटकों को अंतरिक्ष में भेजने की इच्छुक कंपनी – वर्जिन ग्रुप ने स्पेसशिप–वन जैसे पांच ऐसे यान तैयार करने का आर्डर भी दे दिया है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के परे अंतरिक्ष के ताबड़तोड़ फेरे धरती से लगा सके। वर्जिन ग्रुप को उम्मीद है कि वह सन 2007 से पर्यटकों को अंतरिक्ष में भेजना शुरू कर देगी। सिर्फ वर्जिन ग्रुप ही नहीं, यह सपना दुनिया की दूसरी करीब आधा दर्जन कंपनियां भी देख रही हैं, क्योंकि स्पेस टूरिज्म का धंधा सालाना एक अरब डालर के कारोबार का है। मजेदार बात यह है कि ऐसी उड़ानें महीनों में या हफ्तों में एकाध नहीं, बल्कि एक्स प्राइज़ फाउंडेशन के मुखिया पीटर डायमंडिस की बात मानें, तो हर घंटे में एक होनी चाहिए। लेकिन पीटर भी मानते हैं कि फिलहाल तो हफ्ते में एक बार और बहुत ज्यादा हुआ, तो दिन में एक स्पेस–फ्लाइट ही मुमकिन हो सकेगी। हालांकि फ्यूट्रॉन कारपोरेशन नामक कंपनी का दावा है कि सन 2021 तक हर साल करीब 15 हजार से अधिक पर्यटक अंतरिक्ष की सैर कर रहे होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतरिक्ष पर्यटन के माध्यम से 70 करोड़ डालर सालाना कमाए जा सकेंगे।

पुरस्कारों ने बनाया काम

यों तो विज्ञान जगत में जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं, उनमें सबसे ज्यादा भूमिका व्यक्तिगत प्रेरणा की रही है, पर यह भी सही है कि कई बार पुरस्कारों ने भी आविष्कारों की राह खोली है। सौ साल पहले जरूर राइट बंधुओं ने स्वप्रेरणा के आधार पर वायुयानों के निर्माण की बात सोची, पर बाद में इस क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों ने लोगों में उड़ान को सस्ता तथा भरोसेमंद बनाने के प्रति ललक जगाई। बीसवीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के दैनिक अखबारों में 50 हजार डालर तक के पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ये उन्हें दिए जाने थे, जो अपने विमान से बिना रुके अटलांटिक महासागर पार कर दिखाते। सबसे पहले कैप्टन जॉन एलॉक और लेफ्टिनेंट व्हिटिन ब्राउन ने ऐसा करने की कोशिश की। दो रॉल्स रॉयस इंजनों वाले बमवर्षक – विकर्स विमी नामक विमान से उन्होंने 16.5 घंटे में 3500 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन आयरलैंड में उतरते वक्त विमान क्रैश हो गया। हालांकि वे पुरस्कार नहीं पा सके, लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने उनके प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें **लॉर्ड नॉर्थक्लिफ** की उपाधि से नवाजा। इसके बाद 1919 में एक और पुरस्कार की घोषणा हुई। उड्डयन के क्षेत्र में अटलांटिक सागर पर न्यूयार्क से पेरिस के बीच बिना रुके विमान उड़ाने वाले को 25 हजार डालर का पुरस्कार दिया जाना था, पर उस वर्ष इस चुनौती को किसी ने स्वीकार नहीं किया। 1926 में इस चुनौती को विख्यात उड़ाका चार्ल्स लिंडबर्ग ने स्वीकारा। अनेक विशेषज्ञों ने उन्हें सलाह दी कि अटलांटिक पार करने के लिए अनेक इंजनों वाला विमान ले जाना उचित होगा, पर लिंडबर्ग ने कहा कि ऐसा करना खतरनाक होगा। उन्होंने समस्या का हल सुझाया और कहा कि एक इंजन, एक पायलट वाला हल्का विमान ही ऐसा कारनामा कर सकता है। उनकी सलाह पर 1927 में

ऐसा विमान बना, जिसका नाम था – स्पिरिट ऑफ सेंट लुइस। इसमें 22 हार्सपावर का नौ सिलेंडर वाला 'व्हर्लवाइंड' इंजन लगा था। जिस दिन लिंडबर्ग को उड़ान भरनी थी, उससे दो दिन पहले दो फ्रांसीसियों ने पेरिस–न्यूयार्क की दूरी विमान से तय करने की कोशिश की, पर उनके समेत उनका विमान आज तक लापता है। हालांकि लिंडबर्ग ने न्यूयार्क–पेरिस के बीच की 5,790 किलोमीटर की दूरी अपने विमान से 33. 5 घंटे में सफलतापूर्वक पूरी की और 25 हजार डालर का एविएशन प्राइज जीता। चार्ल्स लिंडबर्ग के इसी कारनामे का असर था कि उनकी ट्रांस अटलांटिक उड़ान के दो वर्ष के अंदर–अंदर वायुयानों से यात्रा करने वालों की संख्या में 40 गुना इजाफा हो गया।

इसलिए यह निश्चित ही कहा जा सकता है कि अंसारी एक्स पुरस्कार की मदद से अंतरिक्ष पर्यटन के क्षेत्र में उसी तरह तरक्की होगी, जैसा लिंडबर्ग को मिले पुरस्कार से उड्डयन क्षेत्र में हुई थी। इसके अलावा एक मोटा–मोटा अनुमान यह है कि आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म के प्रति लोगों में रुचि जागेगी, और यह भी संभावना है कि प्रत्येक स्पेस टूरिस्ट से एक लाख डालर की फीस ली जा सकेगी। बेशुमार कमाई की इस संभावना को देखते हुए ही इस वक्त पूरी दुनिया में स्केल्ड कंपोजिस्ट (स्पेसशिप– वन बनाने वाली कंपनी) के अलावा दो दर्जन कंपनियां ऐसे विमान के निर्माण में लगी हैं, जो पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर करा सके। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि असल में अंतरिक्ष पर्यटन का भविष्य क्या होगा, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि सस्ती 'सब–ऑर्बिटल फ्लाइट' यानी अंतरिक्ष को छूकर पृथ्वी पर लौट आने में लोगों की दिलचस्पी जाग सकती है।

मुश्किलें हैं बाकी

हालांकि अंतरिक्ष यात्राओं को लेकर अभी कई संशय बाकी हैं। जैसे, कुछ लोग यह कह सकते हैं कि जब पारंपरिक हवाई उड़ानों का ही पर्यावरण पर घातक असर पड़ रहा है, तो ऐसे में व्यावसायिक निजी अंतरिक्ष उड़ानों पर कड़ा नियंत्रण रखे जाने की जरूरत है। पर जहां तक अंतरिक्ष के तांबड़तोड़ फेरे लगाने की बात है, तो कह सकते हैं कि ऐसा होने में तो अभी 10–20 वर्ष लगेंगे। अभी ऐसे भला कितने लोग हैं, जो अंतरिक्ष के एक चक्कर के लिए एक लाख पाउंड खर्च करना चाहेंगे। जो भी हो, पॉल एलेन और बर्ट रुटान की इस कामयाबी ने साहसिक यात्राओं का एक नया दौर तो शुरू कर ही दिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह बीसवीं शताब्दी में विमानन क्षेत्र के पुरोधाओं – ब्लेरियट, लिंडबर्ग और बैटेन ने एक नया रास्ता दिखाया था। ❑

(लेखक 'नवभारत टाइम्स' में सहायक संपादक हैं)

भारतीय राजव्यवस्था एवं भारत का संविधान

कम मूल्य में इतनी अधिक अद्यतन जानकारी अन्यत्र दुर्लभ है

Book Code : 849
Pages : 192
Price : Rs. 80/-

प्रमुख आकर्षण

• भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की विस्तृत विवेचना • भारत के संविधान में अब तक हुए 92 संविधान संशोधन अधिनियमों का समावेश • 800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न • भारतीय राजनीति की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं सितम्बर 2004 तक का यथास्थान और आवश्यक विस्तार के साथ समावेश इस प्रकार यह पुस्तक पूर्णतया अद्यतन (Most up-to-date) है।

प्रतियोगिता साहित्य

Hospital Road, Agra-3 ☎ 0562-2151665 Fax 2151568
Email: info@sbpagra.com *or* visit www.sbpagra.com

Aligarh 3153072; Kanpur 2321191; 2321353; Varanasi 2354582; Lucknow 2270019; Allahabad 2461291; Bareilly 2554451; Gorakhpur 2344862; Meerut 2640540; Faizabad 260351; Jaunpur 260888; Jhansi 9839281738; Atarra 211056; Gaziabad 2748051; Moradabad 2313372; Azamgarh 220582; Muzaffarnagar 442739; Rishikesh 436532; Dehradun 2658555; Haridwar 428450; Gwalior 2325179; Bhopal 2543480; Indore 2451933, 2454372; Jabalpur 2655306; Sagar 23109; Satna 34760; Rewa 251753; Raipur 2227343; Bilaspur 505781; Bharatpur 20650; Jaipur 2327405, 2564452; Alwar 2701545; Swaimadhopur 22270; Kota 2323377; Ajmer 2620122; Udaipur 2421577, 2421375; Jodhpur 2626797; Dungarpur 230022; Rohtak 253217; Delhi 23918332; Patna 226540; Bhagalpur 24244830; Gaya 21147; Ranchi 301387; Bokaro 46001; Jamshedpur 2423508; Nagpur 2526191; Ahmedabad 25355755

सदस्यता कूपन

❑ नई सदस्यता ❑ नवीनीकरण ❑ पता बदलने के लिए

(जो लागू होता हो उस पर '✓' का चिह्न लगाएं।)

मैं ..... (पत्रिका का नाम एवं भाषा) का ❑ वार्षिक (70 रुपये) ❑ द्विवार्षिक (135 रुपये) ❑ त्रिवार्षिक (190 रुपये) सदस्य बनने का इच्छुक हूं। डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर संख्या ..... तारीख .....

नाम .....

वर्ग ❑ विद्यार्थी ❑ शिक्षक ❑ संस्था ❑ अन्य

पता : .....

.....

.....

पिन .....

नवीनीकरण/पता बदलने के लिए कृपया अपनी सदस्य संख्या यहां लिखें ☐

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर/मनीआर्डर 'निदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवाएं और कूपन के साथ निम्न पते पर भेजें :

विज्ञापन एवं प्रसार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग,

ईस्ट ब्लाक IV, लेवल VII, आर.के. पुरम, नई दिल्ली – 110066,

दूरभाष : 26100207, 26105590

पहली प्रति की प्राप्ति हेतु आठ से दस हफ्ते का समय दें।

प्रो0 उमाकांत मिश्रा, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पटियाला हाऊस, नई दिल्ली–110 001 से प्रकाशित एवं मुद्रित तथा अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली–110 020 में मुद्रित। दूरभाष : 26388830–32
संपादक : राजेन्द्र राय

रजि.सं.एल. 12036 यू (डीएन) 53/2003-05 तथा डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक में डालने के लिए लाइसेंस-प्राप्त पंजी सं. 951/57
Reg. No. D.L.12036 (DN) 53/2003-05 Licenced to post without pre-payment at RMS, Delhi. R.N. 951/57

IAS/PCS PT-cum-MAINS-2005/06

सामान्य अध्ययन पर कम ध्यान दिये जाने से सफलता संदिग्ध हो सकती है, जिसकी प्रामाणिकता वर्ष 2003 की मुख्य परीक्षा के परिणाम हैं। इस परिणाम ने सामान्य अध्ययन की नये दृष्टिकोण के साथ तैयारी की रणनीति को अनिवार्य बना दिया है। निश्चित रूप से एक वैकल्पिक विषय की अपेक्षा सामान्य अध्ययन की महत्ता में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस आलोक में **DISCOVERY** के "सुधार आधारित विकास कार्यक्रम" की लक्षित एवं तार्किक रणनीति सफलता की पथ प्रदर्शक बन सकती है–

सामान्य अध्ययन

–सी.बी.पी. श्रीवास्तव, अख्तर मलिक, अनिल केशरी एवं अन्य

"सुधार आधारित विकास कार्यक्रम" द्वारा संचालित कक्षा की रूपरेखा–

प्रारम्भिक परीक्षा

- पाठ्यक्रम के विभिन्न खण्डों की आधारिक जानकारी तथा तथ्यों के साथ अवधारणाओं के विकास के लिए कक्षा का संचालन ताकि कथन-कारण व वक्तव्य वाले प्रश्नों का हल संभव हो सके।
- प्रतिदिन, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर संभावित प्रश्नों पर चर्चा एवं उनका संकलन।
- कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अध्याय विशिष्ट अवधारणात्मक तथा तथ्यात्मक अध्ययन सामग्री।
- समसामयिक प्रश्नों के हल के लिए प्रतिदिन समाचार पत्र में प्रकाशित घटनाक्रमों पर चर्चा। साथ ही भारत संदर्भ ग्रंथ, आर्थिक सर्वेक्षण तथा विभिन्न सरकारी रिपोर्टों का संक्षिप्त रूप।
- प्रति सप्ताहांत अध्याय विशिष्ट जांच परीक्षा जो विषय के व्यावहारिक, अवधारणात्मक तथा सूक्ष्म तथ्यों वाले प्रश्न पर आधारित।

मुख्य परीक्षा

- कक्षा क्रमशः तथ्यात्मक-विश्लेषण एवं पूर्णतः विश्लेषणात्मक ताकि प्रश्नों की प्रकृति के अनुरूप उत्तर लेखन सम्भव हो सके।
- "फाइल मेन्टिनेन्स सिस्टम" द्वारा लेखन शैली का चरणबद्ध विकास-
  - प्रत्येक अध्याय की संकल्पना का विकास।
  - पूछे गए तथा संभावित प्रश्नों का उत्तर प्रारूप।
  - प्रतिदिन प्रश्नोत्तर लेखन (20 शब्द, 150 शब्द और 250 शब्द)।
  - मूल्यांकन एवं सुधारात्मक सुझाव।
  - गत वर्षों में पूछे गए तथा संभावित प्रश्नों की आवश्यकता के आधार पर पूर्णतः संशोधित अध्ययन सामग्री।

प्रा० परीक्षा विशेष कक्षा प्रारंभ 6 जनवरी, समय 8:30 से 10:30

लोक प्रशासन
–दिवाकर गुप्ता

इतिहास
–डॉ० हरिश्चन्द्र वर्मा, डॉ० लाल बहादुर वर्मा एवं अख्तर मलिक

भूगोल
–अनिल केशरी

समाजशास्त्र
–सी.बी.पी. श्रीवास्तव

हिन्दी साहित्य –अजय अनुराग

- प्रत्येक विषय की आधारिक कक्षा जिसमें सूक्ष्मतम पहलुओं पर चर्चा।
- विषय के दोनों पत्रों की विशिष्टताओं के संदर्भ में विभिन्न खंडों में निहित तथ्यों एवं संकल्पनाओं का विश्लेषण।
- प्रारंभिक परीक्षा में पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों की आधारिक जानकारी तथा तथ्यों के साथ अवधारणाओं के विकास पर समान बल ताकि व्यवहारिक पक्षों तथा कथन-कारण वाले प्रश्नों का हल सम्भव हो सके।
- प्रत्येक खंड में अध्याय समाप्ति के पश्चात् विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों तथा संभावित प्रश्नों का उत्तर प्रारूप।
- प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों कक्षाओं में नियमित जाँच एवं कक्षा समाप्ति के पश्चात् मॉडल जाँच परीक्षा।

–: अन्य विषयों की प्रारंभिक परीक्षा कक्षा प्रारंभ– 10 जनवरी :–

DISCOVERY
...Discover your mettle

B-14 (Basement), Commercial Complex,
Beside HDFC Bank, Mukherjee Nagar, Delhi-9
30906050, 9313058532, 27655891